ISSN-0971-8397

योजना

फरवरी 2010 | विकास को समर्पित मासिक | मूल्य : 10 रुपये

भारत में बैंकिंग

अब उपलब्ध है

वार्षिक संदर्भ ग्रंथ

भारत 2010

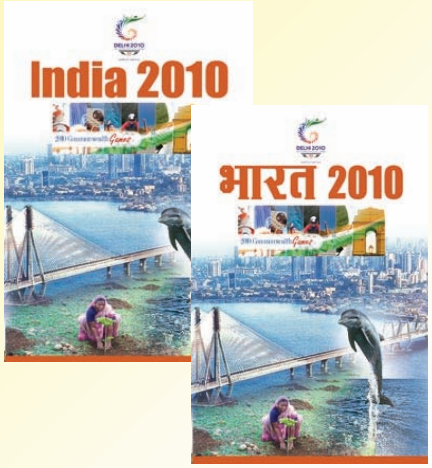

मूल्यः 345 रुपये

देश के विकास की
विश्वसनीय और अद्यतन जानकारी के लिए

* अर्थव्यवस्था
* विज्ञान और तकनीक
* सामाजिक विकास
* राजनीति
* शिक्षा
* कला और संस्कृति

अपनी प्रति यहां से खरीदें :

हमारे विक्रय केंद्रः • **नयी दिल्ली** (फोन 24365610, 24367260) • **दिल्ली** (फोन 23890205) • **कोलकाता** (फोन 22488030) • **नवी मुम्बई** (फोन 27570686) • **चेन्नई** (फोन 24917673) • **तिरुअनंतपुरम** (फोन 2330650) • **हैदराबाद** (फोन 24605383) • **बंगलुरू** (फोन 25537244) • **पटना** (फोन 2683407) • **लखनऊ** (फोन 2325455) • **गुवाहाटी** (फोन 26656090) • **अहमदाबाद** (फोन 26588669)

प्रतियां प्रमुख पुस्तक केंद्रों में भी उपलब्ध हैं

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:
व्यापार व्यवस्थापक प्रकाशन विभाग,
सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली
फोन. 011–24365610, 24367260, फैक्सः 24365609

ईमेलः dpd@mail.nic.in
dpd@sb.nic.in
वेबसाइटः www.publicationsdivision.nic.in

प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार

योजना

वर्ष : 54 • अंक : 2 • फरवरी 2010 • माघ-फाल्गुन, शक संवत 1931 • कुल पृष्ठ : 56

प्रधान संपादक
सोनम थरगे

वरिष्ठ संपादक
राकेशरेणु

संपादक
रेमी कुमारी

संपादकीय कार्यालय

538, योजना भवन, संसद मार्ग,
नयी दिल्ली-110 001
दूरभाष : 23717910, 23096738
टेलीफैक्स : 23359578
ई-मेल : exeed.yojana@gmail.com
yojanahindi@gmail.com
वेबसाइट : www.yojana.gov.in
www.publicationsdivision.nic.in
a) dpd@nic.in
b) dpd@hub.nic.in

संयुक्त निदेशक (उत्पादन)
जे.के. चंद्रा

व्यापार व्यवस्थापक (प्रसार एवं विज्ञापन)
सूर्यकांत शर्मा
दूरभाष : 26100207, 26105590
फैक्स : 26175516
ई-मेल : pdjucir_icm@yahoo.co.in

आवरण : **साधना सक्सेना**

इस अंक में

संपादकीय	–	3
स्वस्थ और समर्थ बैंकिंग क्षेत्र	के.बी.एल. माथुर	6
बैंकिंग क्षेत्र की नवीन चुनौतियां	के. आर. कामथ	10
ग्रामीण विकास के लिए ऋणोन्मुखी दृष्टि	के.जी. करमाकर	13
बैंकिंग क्षेत्र : विकास व चुनौतियां	प्रांजल धर	18
वित्तीय जगत के महत्वपूर्ण खिलाड़ी	वेद प्रकाश अरोड़ा	21
ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं	नवीन पंत	23
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक : चुनौतियां एवं समाधान	सुभाष चंद्र वर्मा	25
बैंकिंग क्षेत्र में स्वचालन	वी. दीनदयालन	27
वित्तीय सुधारों में बैंकिंग	गोपाल जायसवाल	31
भारतीय बैंकिंग परिदृश्य में ज़ोखिम प्रबंधन	सुधीश कुमार पटेल	34
बैंकिंग लोकपाल योजना	संतोष श्रीवास्तव	37
वित्तीय क्षेत्र में कॉरपोरेट अभिशासन	संजय एम. नाफड़े	39
बैंकों से बदलती गांवों की तस्वीर	चंद्रभान यादव	42
ग्रामीण ऋण व्यवस्था और सार्वजनिक बैंक	कुसुमलता सिंह	43
क्या आप जानते हैं : क्या है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग ?	सुनील कुमार खण्डेलवाल	47
स्वास्थ्य चर्चा : योगासन और स्वास्थ्य	पी. डी. शर्मा	51

योजना हिंदी के अतिरिक्त असमिया, बांग्ला, अंग्रेजी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तमिल, उड़िया, पंजाबी, तेलुगु तथा उर्दू भाषाओं में भी प्रकाशित की जाती है। पत्रिका मंगवाने हेतु, नयी सदस्यता, नवीकरण, पुराने अंकों की प्राप्ति एवं एजेंसी आदि के लिए मनीआर्डर/डिमांड ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर 'निदेशक, प्रकाशन विभाग' के नाम से बनवा कर निम्न पते पर भेजें : व्यापार व्यवस्थापक (प्रसार एवं विज्ञापन), प्रकाशन विभाग, ईस्ट ब्लाक IV, लेवल VII, आर.के. पुरम, नयी दिल्ली-110066 दूरभाष : 26100207, 26105590, तार : सूचनाप्रकाशन।

सदस्य बनने अथवा पत्रिका मंगाने के लिए आप हमारे निम्नलिखित बिक्री केंद्रों पर भी संपर्क कर सकते हैं :- सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नयी दिल्ली-110003 (दूरभाष : 24367260, 5610), हाल सं. 196, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054 (दूरभाष : 23890205) * 701, सी- विंग, सातवीं मंजिल, केंद्रीय सदन, बेलापुर, नवी मुंबई-400614 (दूरभाष : 27570686) * 8, एसप्लानेड ईस्ट, कोलकाता-700069 (दूरभाष : 22488030) * 'ए' विंग, राजाजी भवन, बंसल नगर, चेन्नई-600090 (दूरभाष : 24917673) * प्रेस रोड नयी गवर्नमेंट प्रेस के निकट, तिरुवनंतपुरम-695001 (दूरभाष : 2330650) * ब्लॉक सं-4, पहला तल, गृहकल्प, एमजी रोड, नामपल्ली, हैदराबाद-500001 (दूरभाष : 24605383) * फर्स्ट फ्लोर, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला, बंगलुरु-560034 (दूरभाष : 25537244) * बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ, पटना-800004 (दूरभाष : 2683407) * हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, सेक्टर-H, अलीगंज, लखनऊ-226024 (दूरभाष : 2225455) * अंबिका कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर, पाल्दी, अहमदाबाद-380007 (दूरभाष : 26588669) * के.के.बी. रोड, नयी कॉलोनी, मकान संख्या-7, चेनीकुटी, गुवाहाटी-781003 (दूरभाष : 2665090)

चंदे की दरें : वार्षिक : 100 रु. **द्विवार्षिक :** 180 रु.; **त्रैवार्षिक :** 250 रु.; **विदेशों में वार्षिक दरें : पड़ोसी देश:** 500 रु.; **यूरोपीय एवं अन्य देश :** 700 रु.

'योजना' में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। ज़रूरी नहीं कि ये लेखक भारत सरकार के जिन मंत्रालयों, विभागों अथवा संगठनों से संबद्ध हैं, उनका भी यही दृष्टिकोण हो। पत्रिका में प्रकाशित विज्ञापनों की विषयवस्तु के लिए 'योजना' उत्तरदायी नहीं है।

आपकी राय

कृषि विषयक लेख शामिल करें

मैं *योजना* पत्रिका पिछले 10 वर्षों से पढ़ रहा हूं। यह पत्रिका भारत के विकास का सजग प्रहरी है। आपसे एक नम्र निवेदन है कि पत्रिका में कृषि विषयक लेखों को भी शामिल करें। चूंकि भारत की 70 प्रतिशत आबादी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर ही आश्रित है अत: कृषि वैज्ञानिकों के लेखों को पत्रिका में शामिल कर कृषि विषयक आधुनिक जानकारियां कृषि कार्य से जुड़े लोगों तक पहुंचाएं ताकि हम सीमित संसाधनों से अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकें।

शीशराम पूनियां
झुन्झुन, राजस्थान

क्या उपभोक्ता लाभान्वित होगा?

केंद्र सरकार आगामी 1 अप्रैल, 2010 से संपूर्ण देश में सेवा कर और वस्तु कर को मिलाकर नयी कर प्रणाली लागू करने जा रही है जिसे जीएसटी का नाम दिया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार इस कर प्रणाली के लागू होने से विभिन्न प्रकार के अन्य कर, जैसे चुंगी, मंडी शुल्क, अन्य प्रवेश कर या उपकर आदि पूर्णतया समाप्त हो जाएंगे। केंद्रीय बिक्री कर समाप्त नहीं होगा। वाहनों पर लगने वाला रोड टैक्स, सीमा शुल्क, उत्पादन कर भी समाप्त नहीं होगा। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि जीएसटी लागू होने से उपभोक्ताओं को लाभ होगा या हानि?

यह कटु सत्य है कि देश में उपभोक्ता के हितों की उपेक्षा की जाती रही है। प्रत्येक कर प्रणाली का अंतिम प्रभाव उपभोक्ता को ही भुगतना पड़ता है। देश में विगत एक दशक में मनोरंजन, परिवहन के सामानों, टीवी, म्यूज़िक चैनल, फ्रिज़, कूलर, मोटरसाइकिल, कारों आदि का उत्पादन विश्व स्तर पर हो रहा है। इन संसाधनों से राष्ट्रीय आय में भारी बढ़ोतरी संभव हुई है। देश में औद्योगिक उत्पादन में भी महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज़ हुई है। परंतु यह खेद का विषय है कि दैनिक राष्ट्रीय आय में विगत दस वर्षों में कई गुना वृद्धि दर्ज़ होने के बाद भी आम उपभोक्ता को कर दायरे में शामिल किया जा रहा है। आम गृहणी की रसोई दिन-प्रतिदिन महंगी होती जा रही है परंतु कर ढांचे से मुक्त करने के प्रयास शून्य हैं। दैनिक उपभोग की वस्तुएं, जैसे खाद्य पदार्थ, दैनिक प्रयोग की दवाएं, घरेलू सामान, बच्चों के स्कूल की कॉपी, किताबें, कपड़े, जूते व अन्य प्रसाधन सामग्री, स्टेशनरी आदि को कर-मुक्त करने से परहेज क्यों? यह भी खेद है कि सीएफएल बल्बों को भी कर-मुक्त नहीं किया जा रहा है जो ऊर्जा की बचत में मुख्य सहयोगी साबित हो रहा है।

नयी कर प्रणाली का सार्वजनिक स्तर पर प्रचार नहीं किया जाता, जिससे भ्रष्टाचार और लालफीताशाही को प्रोत्साहन मिलता है। क्या नयी कर प्रणाली लागू करने से पूर्व देश के उपभोक्ताओं को विश्वास में लिया गया?

विश्व के विकासशील देशों में हमारे देश की कर प्रणाली अत्यंत जटिल मानी जाती है। क्या जीएसटी लागू होने पर हमारी कर प्रणाली सुलभ, उदार और न्यायप्रद होगी?

कृष्ण मोहन गोपाल
अमरोहा, उ.प्र.

सार्थक अंक

दिसंबर 2009 का पूर्वोत्तर विशेषांक आद्योपांत पढ़ा। अंक सार्थक लगा। एक बात स्पष्ट रूप से सामने आई है कि हमारे पूर्वोत्तर राज्यों में सृजनात्मक क्षमता एवं संसाधनों की कमी नहीं है। संपादकीय में मणिपुर के लोगों की सामाजिक-आर्थिक विकास के प्रति चिंता के संदर्भ में जो बातें कहीं गई हैं, सोलह आने सत्य हैं। अशिक्षा, बेरोज़गारी, प्राकृतिक संसाधनों का समुचित प्रयोग न कर पाना आदि समस्याओं को तीव्र गति से हल करने पर ही मणिपुर की प्रगति हो सकती है। यह भी सत्य है कि इस ओर सरकार का ध्यान है। नीतियों में समयानुसार अपेक्षित परिवर्तन के द्वारा प्रगति के प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन हर दृष्टि से आशातीत सफलता नहीं मिल पा रही है। फिर भी सभी को बुलंद एवं नेक इरादों से इस दिशा में अनवरत प्रयास करना ही चाहिए तभी राज्यों का भविष्य उज्ज्वल बन पाएगा।

पूर्वोत्तर क्षेत्रों में प्राकृतिक सौंदर्य अतुलनीय है। जैव-विविधता भी आकर्षण का केंद्र है। अतएव इन क्षेत्रों में पर्यटन की दृष्टि से भी नीतियां बनाना अनिवार्य है। पर्यटन आर्थिक प्रगति के लिए, व्यक्तित्व के निख़ार के लिए एवं ज्ञान के लिए आवश्यक तो है ही यह पूरे विश्व में भारत की प्राचीन संस्कृति एवं समृद्धि को भी प्रसारित करता है।

अंक मणिपुर के संबंध में सभी जिज्ञासाओं और संदेहों का निवारण करने में सक्षम है।

प्रवीण कुमार शर्मा
किशनगंज, बिहार
ई-मेल : prabinkr.s@gmail.com

विकास का नया गर्भगृह

सात बहनों के रूप में विख्यात पूर्वोत्तर के राज्य अपनी नैसर्गिक सुंदरता, विविधताओं और भविष्य की अपार संभावनाओं से भरे पड़े हैं। विकास की दृष्टि से ये राज्य भले ही पिछड़े हों, परंतु सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता की दृष्टि से ये भारत के श्रेष्ठतम राज्य हैं। स्त्री-पुरुष समानता, शिक्षा, रोज़गार और सांस्कृतिक गतिविधियों में हिस्सेदारी भेदभाव रहित है। बाल विवाह, बालिका भ्रूण हत्या, सती प्रथा जैसी कुरीतियां यहां के सभ्य समाज में नहीं पाई जाती हैं। प्रेम विवाह को भी सामाजिक मान्यता प्राप्त है।

जिस पंचायती राज के प्रसार में भारत के अन्य राज्य लगे हैं उसकी सच्ची और पवित्र झलक केवल इन्हीं राज्यों में दिखाई देती है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए देश में होने वाले सभी प्रकार के आयोजन उन्हीं क्षेत्रों में आयोजित किए जाएं जैसे फ़िल्म महोत्सव का आयोजन, फ़िल्म पुरस्कारों का वितरण, राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय खेल, व्यापार मेला, पुस्तक मेले, अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय गोष्ठियों का आयोजन और सभी प्रशिक्षण क्रार्यक्रमों का आयोजन इन्हीं राज्यों में किया जाए।

जब भारतीय और अंतरराष्ट्रीय जन मानस इन राज्यों के संपर्क में आएंगे तब स्वत: ही जड़ता टूटेगी और विकास की नयी संभावना तैयार होगी। आज ऐसी नीति की आवश्यकता है जो इन राज्यों को इस भ्रम से निकाल सके कि वे उपेक्षित हैं।

ढांचागत विकास में बुनियादी मुद्दे, सामूहिक संसाधन प्रबंधन परियोजना, दोहा वार्ता और ग़रीबी रेखा पर कुछ सवाल नामक आलेख भी काफ़ी अच्छे लगे।

संपादकीय पूर्व की ही भांति उत्कृष्ट है।

सौरभ कुमार मौर्य
दिल्ली कैंट

क़ाबिले तारीफ़

मैं योजना का नया पाठक हूं। सितंबर, नवंबर व दिसंबर 2009 का अंक पढ़ा। सितंबर के अंक में 'शिक्षा का पुनर्गठन' पर सामग्री बेहद ज्ञानवर्धक व रुचिकर लगी। राजेश्वरी जी द्वारा प्रस्तुत आलेख 'हरियाणा में शिक्षा का प्रारूप व विकास' सराहनीय रहा। यह सही है कि केवल आय बढ़ जाने मात्र से व्यक्ति या समाज का विकास कभी सुनिश्चित नहीं हो सकता। किसी भी देश का पूर्णरूपेण विकास तभी संभव है जब उस देश का हर व्यक्ति सभ्य और साक्षर हो। हमारे देश में करोड़ों ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने स्कूल का मुंह नहीं देखा है। यह बात साफ़ है कि इसकी वज़ह भारत जैसे विकासशील देश की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि है। ऐसे में ग़रीब परिवारों की ज़्यादातर लड़कियों के लिए स्कूल जाना स्वप्न ही है। गांवों में यह देखकर अत्यंत दुख होता है कि आठ वर्ष की आयु में लड़कियां दस-दस घंटे काम करती हैं और जैसे-जैसे बड़ी होती हैं उन पर काम का बोझ बढ़ता जाता है। स्त्री शिक्षा का स्तर देश में चिंताजनक है। इसकी एक खास वज़ह यह है कि दूरदराज़ के ग्रामीण इलाकों में स्कूल प्राय: इतने दूर होते हैं कि परिवार वाले लड़कियों को स्कूल भेजने से डरते हैं। जिन स्कूलों में अध्यापक हैं वहां बैठने के लिए कमरे नहीं, यदि कमरे हैं तो अध्यापक नहीं और यदि सारी सुविधाएं हैं तो अध्यापक ही स्कूल से नदारद मिलते हैं। लड़कियों के लिए स्नातक तक की नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था है लेकिन यह तभी सार्थक होगी जब लड़कियां इतनी ऊंची कक्षाओं तक पहुंचने के लिए पहले स्कूल जाएं। शिक्षा भले ही हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है पर हमारी सरकार आज भी शिक्षा पर कुल सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 6 प्रतिशत ही व्यय करती है। इसमें प्राथमिक शिक्षा का स्तर आज भी नाममात्र है।

पूर्वोत्तर विशेषांक काबिले तारीफ़ है। इसके मूल्य में थोड़ी-सी वृद्धि की गई है जो पत्रिका की उत्कृष्टता को देखते हुए लाज़िमी है। अंत में *योजना* टीम को साधुवाद व पत्रिका का नया कलेवर प्रस्तुत करने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।

विवेक कुमार सिंह
फ़ैजाबाद, उ.प्र.

पूर्वोत्तर को पहचान

योजना का दिसंबर अंक उत्कृष्ठ लगा। मुख्यत: संपादकीय तथा 'पूर्वोत्तर भारत में बैंकिंग परिदृश्य' शीर्षक जोयिता देब का लेख उत्कृष्ट लगा। 'मणिपुर पर्यटन मानचित्र और चुनौतियां' तथा मैसनम बोबो सिंह का लेख वर्तमान स्थिति को दर्शाता है। मणिपुर में महिलाओं की प्रगति दर्शाने वाला सामुदायिक संगठन पर लिखा कीर्ति सक्सेना का लेख महत्वपूर्ण है। *योजना* द्वारा प्रकाशित यह अंक पूर्वोत्तर की वास्तविक परिस्थिति बताता है तथा उसे पहचान दिलाता है।

राहुल पाडवी
नंदुरबार, महाराष्ट्र

गागर में सागर

योजना का दिसंबर अंक बहुत ही रोचक एवं सटीक लगा। पूर्वोत्तर विशेषांक गागर में सागर की तरह है और इसमें समस्त) सूचनाएं एवं आंकड़े सटीक एवं सुव्यवस्थित हैं। 'मणिपुर में महिलाओं की स्थिति : अतीत और वर्तमान' च. जामिनी देवी का लेख बहुत अच्छा लगा। मणिपुर में महिलाओं की स्थिति, आमदनी, शारीरिक श्रम के क्षेत्र में सुधार, राजनीतिक स्थिति एवं सशक्तीकरण, स्वास्थ्य इत्यादि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक अच्छा एवं साफ़ प्रयास है।

राकेश छाजडे (जैन)
बीकानेर, राजस्थान

पूर्वोत्तर से जुड़ा महसूस किया

दिसंबर अंक काफी ज्ञानवर्धक है। पी.पी. श्रीवास्तव ने अपने लेख 'ढांचागत विकास में बुनियादी मुद्दे' में अभी तक भारत सरकार द्वारा पूर्वोत्तर के विकास के लिए उठाए गए कदमों और भावी रणनीति का सटीक विश्लेषण किया है। इसी तरह देवेन्द्र उपाध्याय का लेख 'पूर्वोत्तर हेतु संसाधनों का केंद्रीय पूल' में जिस प्रकार सरकार की 'लुक ईस्ट' पॉलिसी का तार्किक विवेचन किया है, वह काफी प्रशंसनीय है। इसके अलावा अन्य लेखों में एच. सुधीर का 'महिलाओं का राजनीतिक सशक्तीकरण', सुनील जी का लेख 'ग़रीबी रेखा पर कुछ सवाल' तथा मंथन में सरोज कुमार शुक्ल का 'मानव अधिकारों का मेरूदंड' लेख काफी रोचक व ज्ञानवर्धक हैं।

योजना के इस अंक ने सरकार की 'लुक ईस्ट पॉलिसी' को पाठकों की नज़र में सार्थक बना दिया है क्योंकि इसमें मणिपुर को फ़ोकस करते हुए पूर्वात्तर की जो तस्वीर प्रस्तुत की गई है, उससे पूर्वोत्तर की सांस्कृतिक विविधता, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संसाधन, विकास के अवसर और सरकारी सहायता की सार्थकता का ज्ञान हो जाता है। कुल मिलाकर एक पाठक अपने आप को पूर्वोत्तर से जुड़ा हुआ महसूस करता है क्योंकि देश के दूसरे छोर पर निवास करने वाले नागरिक को अपने ही देश के इस हिस्से की सामाजिक और राजनीतिक समझ पूरी तरह से नहीं है। आशा है शेष भारत पर भी भावी अंकों में इस तरह की ज्ञानवर्धक सामग्री पढ़ने को मिलेगी।

अजय शर्मा
मुजफ्फरनगर, उ.प्र.

Ranked best school in imparting training in IAS Exam.*

*(Business Sphere, Feb. 2009)

KSG

Passionate about your success...

G.S.

with

DR. Khan

(पूर्व में, भूगोल विभाग दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली विश्वविद्यालय में लैक्चरर)

पी.ओ.डी. तकनीक* द्वारा सामान्य अध्ययन की तैयारी

केवल खान स्टडी ग्रुप द्वारा

सामान्य अध्ययन में 18 वर्षों के अध्यापन अनुभव से डॉ. खान द्वारा विकसित एक अनुपम विधि

सामान्य अध्ययन

आपके व्यक्तिगत लक्ष्य में सहभागी

वैकल्पिक विषय

● इतिहास ● मनोविज्ञान ● लोक प्रशासन

प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु उपलब्ध पत्राचार कोर्स

- सामान्य अध्ययन (English/हिन्दी)
- भूगोल (English/हिन्दी)
- इतिहास (English/हिन्दी)
- लोक प्रशासन (English/हिन्दी)
- समाजशास्त्र (English/हिन्दी)
- मनोविज्ञान (English/हिन्दी)

छात्र-छात्राओं के लिए पृथक होस्टल की सुविधा में सहयोग

विवरण पुस्तिका हेतु रू.50/- का डीडी/एमओ भेजें

Separate Batches for English & Hindi Medium

KSG खान स्टडी ग्रुप स्वयं कठिन परिश्रम में विश्वास रखता है; हमें यह अपेक्षा है कि मात्र वे प्रत्याशी ही प्रवेश लें जो कठिन परिश्रम के लिए तैयार हों। ध्यान रहे: हमें सफलता के किसी शॉर्ट-कट की जानकारी नहीं है।

KHAN STUDY GROUP

2521, Hudson Line, Vijay Nagar Chowk, Near G.T.B. Nagar Metro Station, New Delhi - 110 009

Ph: 011-45552607, 45552608, 27130786, 27131786, 09717380832, send us mail: drkhan@ksgindia.com

You can also download Registration Form from our Website: www.ksgindia.com

YH-2/10/1

संपादकीय

पिछले दशक के दौरान भारत के बैंकिंग क्षेत्र में अनेक सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं। इस अवधि में नीतियों और नियमों में जो परिवर्तन किए गए हैं उनके कारण हमारे बैंकों के विकास, परिसंपत्ति, गुणवत्ता और लाभप्रदता में काफी सुधार हुआ है। हमारे बैंक अब अपने क्षेत्र के अन्य बैंकों के मुक़ाबले बराबरी की स्थिति में खड़े हैं। बैंकिंग सूचकांक अप्रैल 2001 से कुल मिलाकर 51 प्रतिशत वार्षिक की दर से बढ़ रहा है जबकि बाज़ार विकास का सूचकांक इस अवधि में 27 प्रतिशत तक सीमित रहा है। सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए पूंजी के मुक़ाबले में ज़ोखिमयुक्त परिसंपत्तियों का अनुपात 2001 के 11.4 प्रतिशत से बढ़कर अब 13.2 प्रतिशत हो गया है जोकि बेसल फ्रेमवर्क के तहत निर्धारित 8 प्रतिशत से भी अधिक है। यह भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा भारतीय बैंकों के लिए अपनाए गए मानक 9 प्रतिशत से भी अधिक है। कुछ बैंकों ने विकास और अभिनव क़ारोबार के मामले में शानदार रिकॉर्ड कायम किया है। यहां तक कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भी नये निजी बैंकों की चुनौतियों का जमकर सामना कर रहे हैं। उनके क़ारोबार और कार्यकुशलता में स्पष्ट सुधार दिखाई दे रहा है। यह तथ्य कि वैश्विक आर्थिक संकट के मौजूदा दौर में भारतीय बैंकों के क़ारोबार और प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आई है, हमारे बैंकों की संकट सहने की क्षमता का स्पष्ट उदाहरण है। अनेक विशाल विदेशी बैंक इस संकट का सामना करने में अक्षम रहे।

इस सफलता के बावजूद भारतीय बैंकिंग क्षेत्र को सुदृढ़ और सशक्त बनाने के लिए बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है ताकि वे बाज़ार की मांग के अनुसार काम कर सकें और भारत को जिस तरह के विकास की अपेक्षा है उस तरह के विकास में सहयोग दे सकें। देश में बैंकों का गहन विस्तार अपेक्षा के अनुसार नहीं है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाओं का विस्तार कुछ हद तक हुआ है। पूंजी की उपलब्धता और अदायगी, कमज़ोर संस्थागत समर्थन, बुनियादी ढांचा, कड़े श्रम नियम, अप्रभावी कानून और प्रशासनिक मुद्दों जैसी अनेक संरचनात्मक कमज़ोरियां बैंकिंग प्रणाली में बनी हुई हैं। इनका तत्काल निराकरण करने की आवश्यकता है।

वित्तीय समावेशन हमारे नीति-निर्माताओं के लिए आज सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है, क्योंकि जब तक हम लोगों की पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते, हम स्थायी विकास के बारे में नहीं सोच सकते। अधिकतम लोगों तक सुचारू रूप से बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए बैंकों को ज़ोखिम प्रबंधन पद्धतियों को मज़बूत बनाना होगा, उन्नत प्रौद्योगिकी और कार्यकुशल जनशक्ति का नियोजन करना होगा। इसके साथ ही ठोस विपणन पद्धतियां भी अपनानी होंगी। इस सबके लिए भारी निवेश की आवश्यकता होगी। इसके अलावा विदेशी बैकों से प्रतिस्पर्धा भी आने वाले वर्षों में बढ़ेगी और इस चुनौती का सामना करने के लिए भारतीय बैंकों को अपने आपको तैयार करना होगा। दिन-प्रतिदिन आ रहे नये-नये उत्पादों और सेवाओं को देखते हुए बैंकों को अपनी कार्यकुशलता बढ़ानी होगी। विक्रय, विपणन और ऋण संबंधी क़ारोबार में दक्षता लानी होगी।

योजना के इस अंक में बैंकिंग क्षेत्र के विशेषज्ञों ने इन सब विषयों के अलावा, भारत में बैंकिंग क्षेत्र के विकास और प्रगति से संबंधित अन्य विषयों पर अपने विचार प्रकट किए हैं। इन लेखों में बैंकों के सामने मौजूद चुनौतियों और अवसरों की चर्चा करने के अलावा उन बातों की भी चर्चा की गई है जो नीति-निर्माताओं और बैंक प्रबंधन द्वारा इस क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए करने की आवश्यकता है। ❑

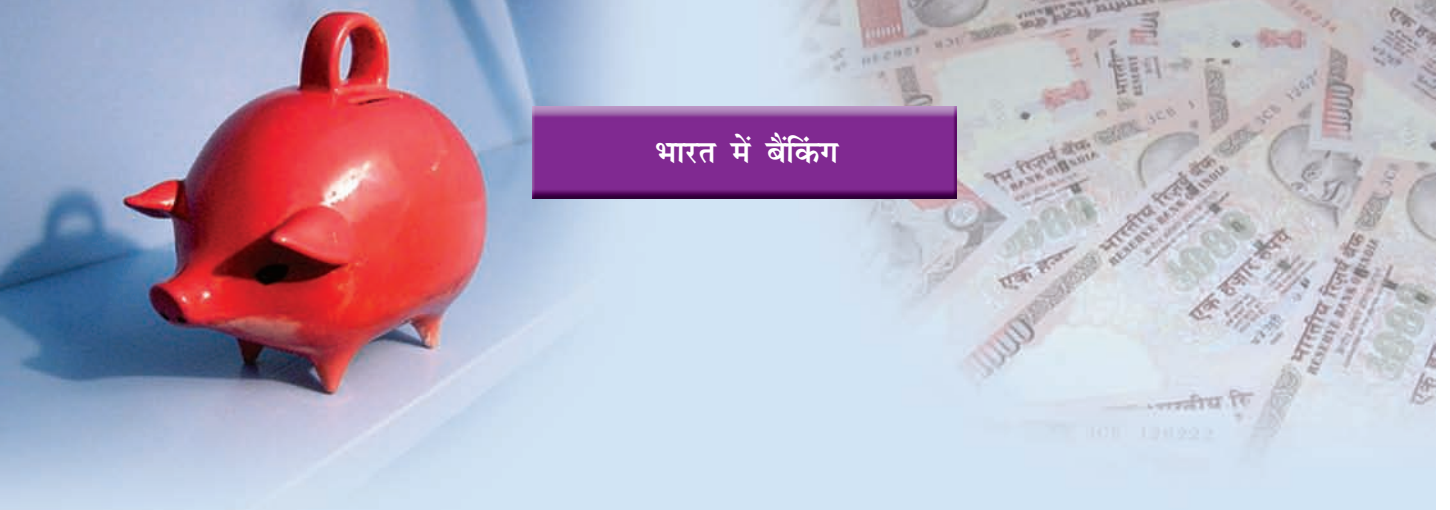

स्वस्थ और समर्थ बैंकिंग क्षेत्र

● के.बी.एल. माथुर

प्रस्तुत आलेख में, वैश्विक बैंकिंग संकट के मद्देनज़र भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की मज़बूती और संकट से उबरने की उसकी क्षमता को संक्षेप में दर्शाया गया है।

इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि पिछले कुछ वर्षों में, विशेषकर पिछले दशक में, सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक और स्वयं बैंकों के निरंतर प्रयासों से भारतीय बैंकिंग क्षेत्र न केवल सुदृढ़ हुआ है बल्कि इतना प्रतिस्पर्द्धी हो गया है कि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली के साथ-साथ भारतीय आर्थिक घटनाक्रमों द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों का सामना कर सके। यही कारण है कि भारत का बैंकिंग क्षेत्र, वैश्विक वित्तीय संकट से अछूता रहा है, जबकि अमरीका, ब्रिटेन जैसे विकसित देशों को बैंकों के संकट से मुक्ति दिलाने के लिए भारी सरकारी समर्थन देना पड़ा।

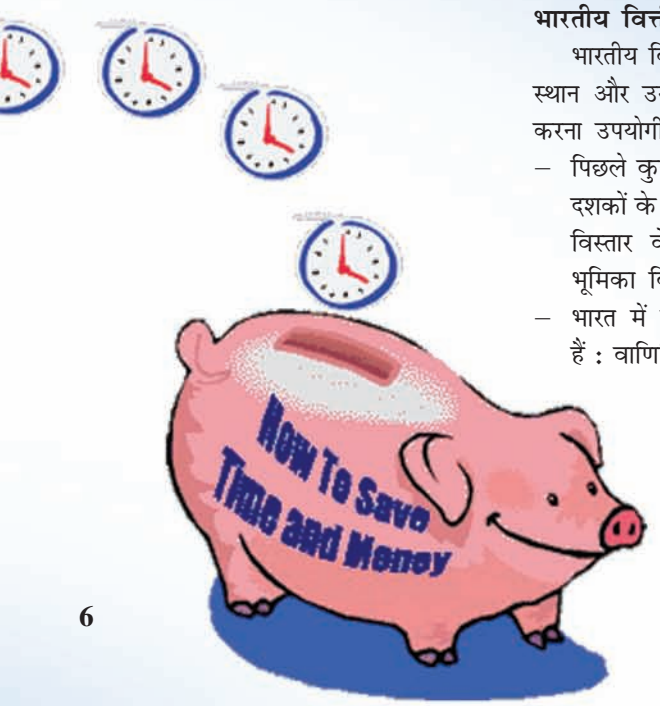

रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों के दबाव सहने के सामर्थ्य के परीक्षण से यह सिद्ध हो गया है कि वैश्विक वित्तीय संकट के भीषण संक्रमण के बावजूद वित्तीय प्रणाली की संकट सहने की क्षमता काफी मज़बूत है। रिज़र्व बैंक के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि की बात है कि मार्च 2009 के अंत तक, सभी भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक बेसल-दो ढांचे के अंतर्गत उपलब्ध सरल दृष्टिकोण अपना चुके थे।

भारतीय वित्तीय प्रणाली में बैंकिंग क्षेत्र

भारतीय वित्तीय प्रणाली में बैंकिंग क्षेत्र का स्थान और उसकी प्रमुख विशेषताओं पर गौर करना उपयोगी होगा :

- पिछले कुछ अरसे से, विशेषकर पिछले दो दशकों के दौरान पूंजी बाज़ार के उल्लेखनीय विस्तार के बावजूद बैंकों की मध्यवर्ती भूमिका वित्तीय प्रणाली में हावी रही है।
- भारत में वित्तीय क्षेत्र के 7 प्रमुख घटक हैं : वाणिज्यिक बैंक, शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी), ग्रामीण वित्तीय संस्थाएं, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी), आवास वित्त कंपनियां (एचएफसी), वैकल्पिक वित्तीय संस्थाएं (डीएफआई) और बीमा क्षेत्र।
- वित्तीय क्षेत्र की कुल परिसंपत्तियों का क़रीब 60 प्रतिशत वाणिज्यिक बैंकों के खाते में जाता है। सहकारी बैंक को मिलाकर बैंकिंग क्षेत्र, भारतीय वित्तीय संस्थाओं की लगभग 70 प्रतिशत परिसंपत्तियों के लिए उत्तरदायी होता है।

मार्च 2009 के अंत तक

- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में 27 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (भारतीय स्टेट और उसके 6 सहयोगी बैंक, 19 राष्ट्रीयकृत बैंक और आईडीबीआई बैंक लिमिटेड), निजी क्षेत्र के नये बैंक, निजी क्षेत्र के 15 पुराने बैंक और 3 विदेशी बैंक शामिल हैं। इसके अलावा 4 स्थानीय क्षेत्र बैंक, 86 आरआरबी (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और 1,721 शहरी सहकारी बैंक भी हैं।
- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल परिसंपत्तियों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसवी) का हिस्सा 71.9 प्रतिशत, कुल जमा का 76.6 प्रतिशत, कुल अग्रिम (ऋण) का 75.3 प्रतिशत और कुल निवेश में 69.9 प्रतिशत था।
- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की परिसंपत्तियों का प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 98.5 प्रतिशत था।
- बैंक ऋण सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात

में 56 प्रतिशत था, जोकि मार्च 2000 के अंत की स्थिति- 29 प्रतिशत से लगभग दो गुना अधिक था।

– कुल 64,608 बैंक शाखाएं थीं, जिनमें से राष्ट्रीयकृत बैंकों की 39,376 शाखाएं थीं, भारतीय स्टेट बैंक समूह की 16,062 शाखाएं, पुराने निजी बैंकों की 4,673 शाखाएं, नए निजी बैंकों की 4,204 और विदेशी बैंकों की कुल 293 शाखाएं थीं। कुल मिलाकर 43,651 एटीएम थे जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल शाखाओं को 67 प्रतिशत के बराबर हैं।

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की मज़बूती

किसी बैंकिंग संस्था की मज़बूती दर्शाने वाले दो महत्वपूर्ण पैमाने पूंजी की पर्याप्तता और परिसंपत्ति की गुणवत्ता होते हैं। भारत के संदर्भ में, इन दोनों मामलों में पिछले दशक के दौरान उल्लेखनीय सुधार दिखाई दिया है।

पूंजी पर्याप्तता : सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीवी) के लिए समग्र पूंजी और जोख़िमयुक्त परिसंपत्तियों का अनुपात (सीआरएआर) मार्च 2001 के अंत तक 11.4 प्रतिशत था। यह मार्च 2009 के अंत तक बढ़कर 13.26 प्रतिशत हो गया। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का सीआरएआर भी दशक के दौरान 11.2 प्रतिशत से बढ़कर 12.3 प्रतिशत हो गया (देखें तालिका-1) यहां सीआरएआर की चार विशेषताओं का विशेष रूप से उल्लेख करना होगा। पहला, सीआरएआर बैंक की मज़बूती को नापने का सबसे निर्णायक पैमाना होता है, क्योंकि बैंक की पूंजी ही बैंक के किसी संभावित घाटे के विरुद्ध अंतिम सहारा होती है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की मौजूदा समग्र सीआरएआर 13.2 प्रतिशत है। यह बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति (बीसीबीएस) द्वारा बेसल-एक और बेसल-दो ढांचे के तहत प्रस्तावित 8 प्रतिशत से कहीं अधिक है। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक द्वारा किसी भारतीय बैंक के लिए स्वीकृत 9 प्रतिशत के मानक से भी यह अधिक है। दूसरा, मार्च 2009 के अंत तक भारत के 79 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में से 78 बैंकों का सीआरएआर 10 प्रतिशत से अधिक था। केवल एक बैंक का सीआरएआर 9 से 10 प्रतिशत के बीच था। तीसरा, भारतीय बैंकों के सीआरएआर की तुलना अधिकांश उभरते बाज़ारों और विशेष रूप से विकसित अर्थव्यवस्थाओं से की जा सकती है। (देखें तालिका-2)। चौथा, भारतीय बैंकों का प्रभावन (लीवरेज) अनुपात लगातार ऊंचा बना रहा है, जिससे भारतीय बैंकिंग प्रणाली की शक्ति का पता चलता है। प्रभावन अनुपात आमतौर पर कुल समायोजित परिसंपत्तियों के प्रतिशत के तौर पर प्रथम श्रेणी की पूंजी को दर्शाता है। अनुपात जितना कम होगा, बैंक का प्रभावन और असुरक्षा उतनी ही अधिक होगी। यह गौर करने लायक है कि कुछ उन्नत देशों में पाई जाने वाली प्रवृत्तियों के विपरीत भारतीय बैंकों के प्रभावन अनुपात में सुधार हुआ है। उदाहरणार्थ, ब्रिटेन के बैंकों का प्रभावन अनुपात 1990 के दशक में गिरता जा रहा था जो 2000 के बाद और ज़ोर पकड़ता गया और 1990 के दशक के लगभग 5 प्रतिशत से नीचे जाकर 2008 में 3 प्रतिशत तक पहुंच गया। इसके दूसरी ओर, भारतीय बैंकों का प्रभावन अनुपात मार्च 2001 में लगभग 4.1 प्रतिशत था जो मार्च 2009 तक 6.3 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गया था (आरबीआई, 2009)।

तालिका-1

चुनिंदा बैंक समूहों की मजबूती के संकेतक 2001 और 2009 के मार्च अंत तक

मज़बूती के संकेतक	2001	2009
	(प्रतिशत)	
पूंजी पर्याप्तता : सीआरएआर (पूंजी और जोखिमभरी संपत्ति अनुपात)		
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी)	11.4	13.2
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी)	11.2	13.3
राष्ट्रीयकृत बैंक	10.2	12.1
नये निजी बैंक (एनबीएसबी)	11.5	15.1
अनुत्पादक परिसंपत्तियां (एनबीए) : एनएनपीए (कुल एनपीए और कुल अग्रिम अनुपात)		
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	6.20	1.1
सार्वजनिक क्षेत्र बैंक	6.70	0.7
राष्ट्रीयकृत बैंक	7.01	0.7
एनपीएसबी	3.10	1.3
सकल एपीएजे (सकल एनपीए और सकल अग्रिम अनुपात)		
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	11.40	2.3
सार्वजनिक क्षेत्र बैंक	12.40	2.0
राष्ट्रीयकृत बैंक	12.16	1.8
एनपीएसबी	5.10	2.8
प्रचालन दक्षता (प्रचालन व्यय और परिसंपत्ति अनुपात)		
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	2.64	1.1
सार्वजनिक क्षेत्र बैंक	2.72	1.5
राष्ट्रीयकृत बैंक	2.76	1.5
एनपीएसबी	1.75	2.2
लाभप्रदता		
अंश (इक्विटी) पर लाभ	9.61	13.3
परिसंपत्ति पर लाभ	0.50	1.0

*** सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति भुगतान के कारण कम। बाद में यह बराबर 13 प्रतिशत से अधिक रही।**

स्रोत : ट्रेंड एंड प्रोग्रेस इन इंडियन बैंकिंग, 2008-09 (आरबीआई-2009) और पूर्ववर्ती अंक

परिसंपत्ति गुणवत्ता

भारतीय बैंकिंग प्रणाली के बेहतर स्वास्थ्य की ओर संकेत करने वाला सर्वाधिक उल्लेखनीय सुधार सकल अग्रिम (ऋण) के मुकाबले अनुत्पादक परिसंपत्तियों (एनपीए) के अनुपात में तेज़ी से आई गिरावट है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए सकल एनपीए अनुपात मार्च 2009 के अंत तक अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर गिरकर 2.3 प्रतिशत पर आ गया। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए भी सकल एनपीए अनुपात तेज़ी से गिरते हुए 12.4 प्रतिशत से दशक के दौरान 2 प्रतिशत पर आ गया। सबसे उल्लेखनीय तो शुद्ध अग्रिम की तुलना में शुद्ध अनुत्पादक परिसंपत्तियों (एनएनपीए) का अनुपात रहा। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए एनएनपीए

अनुपात मार्च 2001 के अंत के 6.2 प्रतिशत से गिरकर मार्च 2009 के अंत तक 1.1 प्रतिशत पर आ गया। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए गिरावट में और भी तेज़ी आई और यह 6.7 प्रतिशत से गिरकर 0.7 प्रतिशत पर आ गई। (तालिका-1) एनपीए अनुपात का कम और घटता स्तर न केवल बैंक के बेहतर स्वास्थ्य का द्योतक है बल्कि यह बुद्धिमत्तापूर्ण व्यापार रणनीति और बैंकिंग प्रणाली की रिकवरी (पटरी पर वापस लौटने) के अनुकूल ढांचे को भी दर्शाता है। सकल एनपीए और शुद्ध एनपीए के बीच अंतर मुख्यत: अधोस्तरीय परिसंपत्ति के लिए किए गए प्रावधान को दर्शाता है। इस प्रकार, एनपीए के लिए प्रावधान का अनुपात, परिसंपत्ति मूल्य के ह्रास को सहन करने की बैंक की क्षमता को दर्शाता है। भारतीय बैंकों के लिए यह अनुमान 2008 के मार्च अंत तक 52.6 प्रतिशत था, जोकि अधिकांश विकसित देशों में इस तरह के प्रावधान के अनुपात से कहीं कम नहीं ठहरता (तालिका-2)। अंत में, यह गौरतलब है कि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संकट के फलस्वरूप एनपीए में उल्लेखनीय कमी की संभावना के विपरीत वर्ष 2008-09 के दौरान भारतीय बैंकों की यह कमी, विश्व के अन्य बैंकों की समस्याओं के मुक़ाबले काफी मामूली रही।

वाणिज्यिक मज़बूती

परिसंपत्तियों पर लाभ (आरओए) : बैंकिंग प्रणाली की वाणिज्यिक मज़बूती आरओए (परिसंपत्तियों पर लाभ) के अनुपात में दिखाई देती है जोकि मार्च 2008 के अंत में 1.0 प्रतिशत थी और मार्च 2009 के अंत में 1.02 प्रतिशत। यह अनुपात अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार ही है विशेषकर तब जब अनेक उभरते बाज़ारों के साथ-साथ उन्नत देशों में भी यह एक प्रतिशत से कम पाया गया है (तालिका-2)।

अंश पूंजी (इक्विटी) पर लाभ (आरओई) : कर चुकाने के बाद होने वाले शुद्ध लाभ और कुल अंश पूंजी के बीच का अनुपात लाभप्रदता को मापने वाले एक दूसरे पैमाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इससे उस दक्षता और कार्यकुशलता का पता चलता है जिससे बैंक की पूंजी का इस्तेमाल होता है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का आरओई अनुपात जो 2007-08 में 12.5 प्रतिशत था, वर्ष 2008-209 में बढ़कर 13.2 प्रतिशत हो गया। यह सफलता बाहरी परिसंपत्तियों की लाभप्रदता पर पड़ने वाले दबाव के बावजूद हासिल की गई।

कार्यकुशलता : कुल परिसपंत्तियों (मध्यस्थता लागत अनुपात) और प्रचालन दक्षता के बीच अनुपात पर गौर करें तो भारतीय बैंकों की प्रचालक दक्षता में लगातार सुधार हो रहा है, विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के संदर्भ में। इस प्रकार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए मध्यस्थता लागत अनुपात मार्च 2001 के अंत के 2.64 प्रतिशत से गिरकर मार्च 2009 तक 1.8 प्रतिशत हो गया था। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में यह गिरावट दशक के दौरान 2.72 प्रतिशत से घटकर 1.5 प्रतिशत रह गई थी।

अंत में, भारतीय रिज़र्व बैंक की रिपोर्ट (मुद्रा एवं वित्त रिपोर्ट 2006-08) के एक अध्ययन में, आंकड़ा आवरण विश्लेषण (डाटा-एन्वेलपमेंट एनालिसिस-डीईए) का इस्तेमाल करते हुए यह दर्शाया गया है कि सुधारों की शुरुआत के बाद से सभी बैंक समूहों की कार्यकुशलता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। यह सुधार 1992 से 1998 तक की अवधि की तुलना में 1998 से 2001 के दौरान अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। निजी बैंक समूहों के भारी लाभ के बावजूद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, विशेषकर स्टेट बैंक समूह, जहां तक दक्षता स्तर का संबंध है, बाज़ार में सबसे आगे बने रहे।

ग्राहक सेवा में दक्षता: जहां तक ग्राहक सेवा में दक्षता का प्रश्न है, निजी अथवा विदेशी बैंकों की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का बचाव करना ज़रा मुश्किल होगा। विशेषकर तब जब प्रकरणों का प्रमाण दिया जाता हो। परंतु इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि कुल मिलाकर ग्राहक सेवा की दक्षता में सुधार की प्रवृत्ति दिखाई पड़ी है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने सभी बैंकों द्वारा तैयार की गई 'ग्राहकों के प्रति बैंकों की प्रतिबद्धता

तालिका-2

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के मानक

देश	परिसंपत्ति पर लाभ	सकल अग्रिम का सकल एनपीएल	सीआरएआर	एनपीएल को प्रावधान	परिसंपत्ति और पूंजी का अनुपात
1	2	3	4	5	6
भारत	**1.0***	**2.3***	**13.0***	**52.6***	**6.4****
उभरती एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाएं					
ब्राजील	1.1	4.3	18.5	157.3	9.2
मेक्सिको	1.2	3.8	15.2	143.7	9.1
रूस	0.5*	7.6	18.5	90.8	13.6*
चीन	1*	1.8	12.0*	134.3	5.4
संयुक्त अरब अमीरात	2.2*	2.5*	16.2	101.5*	10.6*
दक्षिण अफ्रीका	1.0	5.1	13.5		7.9*
उन्नत देश					
अमरीका	0.2	3.8	13.5	66.5	10.1
ब्रिटेन	-0.5*	1.6*	12.9*	54.6***	4.4*
जापान	0.2	1.7*	13.4	25.5	3.6*
फ्रांस	0.4**	2.8**	10.2**	51.3**	4.2*
जर्मनी	0.3**	2.7**	12.9**	56.7*	4.5*
इटली	0.3*	5.5	10.8*	46.1*	6.6*
कनाडा	1.3	0.9	10.3	29.8	5.8
कोरिया	0.5*	1.5	12.9	125.3	9.5

*आंकड़े 2008 के हैं। **आंकड़े 2007 के हैं। ***आंकड़े 2006 के हैं।

नोट : वैश्विक वित्तीय स्थायित्व रिपोर्ट अक्तूबर, 2009 आईएमएफ पर आधारित

स्रोत : ट्रेंड एंड प्रोग्रेस इन इंडियन बैंकिंग 2008-09 (आरबीआई 2009)

संहिता' के आकलन पर्यवेक्षण और प्रवर्तन के लिए एक स्वतंत्र निकाय भारतीय संहिताएं एवं मानक बोर्ड (कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया) का गठन किया है, जिसे एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस संहिता की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि आम आदमी के हाथ में अधिकारों का घोषणापत्र (चार्टर ऑफ राइट्स) आ गया है जिसे वह बैंक के विरुद्ध लागू कर सकता है। अंत में, रिज़र्व बैंक ने पहली जुलाई, 2009 को ग्राहक सेवा पर एक व्यापक परिपत्र (मास्टर सर्कुलर ऑन कस्टमर सर्विस) जारी किया है जिसमें ग्राहक सेवा, मियादी खातों का परिचालन, सेवा प्रभार वसूलना, काउंटर सेवाएं, सूचनाओं का खुलासा, वृद्ध और अशक्त जनों द्वारा खाता परिचालन, दृष्टिहीन व्यक्तियों को सुविधाएं, जमा खातों में अभिमापक, पैसे भेजना, ड्रॉप बॉक्स सुविधा, चेक आदि का संग्रहण, चेक वापसी, शिकायतों का निपटारा आदि जैसे विभिन्न विषयों को शामिल किया गया है।

अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग संकट और भारतीय बैंकिंग

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग प्रणाली के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियामक, पर्यवेक्षकीय और सावधानी के उपाय किए गए, जिनके कारण भारतीय बैंक अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग और वित्तीय संकट से अछूते रहे और संकट का उन पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। रिज़र्व बैंक की भारतीय बैंकिंग में प्रवृत्ति और प्रगति रिपोर्ट (रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस) 2008-09 के अनुसार भारत के इस सुरक्षा बचाव के कारण हैं : (1) ऋण आधारित बाज़ार के विकास की प्रारंभिक अवस्था, (2) सुरक्षा संबंधी दिशानिर्देश लाभ को तुरंत मान्यता देने की अनुमति नहीं देते; (3) विवेकपूर्ण नीति का कड़ाई से पालन, जो संस्थाओं को अधिक ज़ोखिम उठाने से रोकते हैं और वित्तीय बाज़ारों में ज्यादा उतार-चढ़ाव और उथल-पुथल मचाने नहीं देते; (4) बैंकों की देखरेख और नियमन में घनिष्ठ समन्वय। इससे स्पष्ट है कि रिज़र्व बैंक की देखरेख और नियमन के साथ-साथ इसकी विवेकपूर्ण नीतियों ने भारतीय बैंकिंग प्रणाली को अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग संकट के विपरीत प्रमाण से बचाए रखा है।

सार्वजनिक क्षेत्र का प्रभुत्व और भारतीय बैंकिंग प्रणाली की मजबूती

यहां यह गौर करना महत्वपूर्ण है कि विश्व बैंक की पहले की एक रिपोर्ट (विश्व विकास रिपोर्ट-2005, पृष्ठ-117) में यह कहा गया था कि 'सरकारी बैंकों की प्रमुखता वाली स्थिति अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक हो सकती है', लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था की हाल की प्रवृत्तियों ने उसे ग़लत साबित कर दिया है। बैंकों के सरकारी स्वामित्व के प्रभुत्व के कारण, भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनी हुई है। अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत के बैंकिंग क्षेत्र की मज़बूती और दक्षता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। यह तर्क़ देना कि यह सब सुधार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के स्वामित्व में सरकारी अंश में आई कमी के कारण संभव हुआ है, कुछ हद तक सही हो सकता है क्योंकि निजीकरण को छोड़कर सुधारों के उपाय अत्यंत सफल रहे हैं।

अंत में, भारतीय बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर आरबीआई की रिपोर्ट, 2008-09 के अनुसार सार्वजनिक स्वामित्व भारतीय बैंकिंग प्रणाली की कमज़ोरी के बजाय शक्ति का स्रोत साबित हुई है। इस धारणा के विपरीत कि सार्वजनिक स्वामित्व आवंटनीय दक्षता को कमज़ोर बना देता है, रिज़र्व बैंक के विश्लेषण से पता चलता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की आवंटनीय, तकनीकी और लागत दक्षता हाल के वर्षों में, निजी और विदेशी बैंकों की तुलना में कहीं अधिक रही है। इसके साथ ही, भारत की वित्तीय प्रणाली के सार्वजनिक स्वामित्व का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वैकल्पिक वित्त के सामाजिक और पुनर्वितरण संबंधी उद्देश्य को प्राप्त करने में बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था के लिए यह काफी महत्वपूर्ण है।

समग्र आकलन

भारत सरकार और आरबीआई द्वारा मार्च 2009 में संयुक्त रूप से तैयार की गई और जारी 'वित्तीय क्षेत्र आकलन समिति' रिपोर्ट में भारत के वित्तीय क्षेत्र का व्यापक आकलन करते हुए बताया गया है कि वाणिज्यिक बैंकों ने स्वस्थ विकास दर दर्शाई है और उनके कामकाज में सुधार हुआ है, जोकि पूंजी की पर्याप्तता, परिसंपत्ति की गुणवत्ता, आमदनी और दक्षता संकेतकों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। वित्त वर्ष 2008-09 के दौरान (सितंबर 2008 तक) कुछ प्रतिकूलताओं के बावजूद बैंकिंग प्रणाली के प्रमुख वित्तीय संकेतक किसी तरह की कोई बड़ी चिंता और जोख़िम प्रस्तुत नहीं करते और हमारी प्रणाली संकट से उभरने में समर्थ बनी हुई है। ❑

(लेखक केंद्रीय वित्त मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार (बैंकिंग) रह चुके हैं।
ई-मेल : kblmathur@hotmail.com)

बैंकिंग क्षेत्र की नवीन चुनौतियां

● के. आर. कामथ

हमारी अर्थव्यवस्था आज मज़बूत हो सकती है, परंतु हमारी समृद्धि और आर्थिक नेतृत्व टिकेंगे नहीं, जब तक कि हम इन सच्चाइयों से उपजी प्रतिस्पर्धी चुनौतियों कीशृंखला का निर्भीक होकर सामना नहीं करते।"– टॉमस जे. डोनोह्यू, अध्यक्ष, अमरीकी चैंबर ऑफ कॉमर्स

भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे तेज़ी से बढ़ रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, बावजूद इसके कि दुनियाभर में आर्थिक हवा अनुकूल दिशा में नहीं बह रही है। वैश्विक आर्थिक संकट के झटके से उबरने में भारतीय अर्थव्यवस्था को ज्यादा देर नहीं लगी। आशा के विपरीत उसने तेज़ी से वापस पटरी पर आना शुरू कर दिया। यद्यपि 2003-08 की अवधि में 8.8 प्रतिशत की औसत विकास दर के मुकाबले 2008-09 के उत्तरार्ध में केवल 5.8 प्रतिशत की विकास दर दर्ज़ हुई थी परंतु विस्तारमूलक राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों के कारण इस गिरावट को सफलतापूर्वक रोक दिया गया। यहां तक कि 5.8 प्रतिशत की यह विकास दर भी विश्व में सबसे बेहतर दरों में से एक रही। अनेक विशालकाय अर्थव्यवस्थाएं अभी भी नकारात्मक अथवा नगण्य विकास दर को लेकर जूझ रही हैं। वर्ष 2008-09 की दूसरी तिमाही में 7.9 प्रतिशत की स्वस्थ विकास दर के साथ मज़बूत वापसी ने अर्थव्यवस्था के और टिकाऊ स्थायी विकास की सुखद उम्मीद जगाई है।

स्थायी एवं टिकाऊ विकास की संभावना का समर्थन करने वाले घटकों में विस्तारमूलक नीतिगत प्रोत्साहन का प्रभाव, मुख्य बुनियादी ढांचे के साथ-साथ शुद्ध औद्योगिक रिकवरी के चिह्न, विभिन्न व्यावसायिक अपेक्षाओं के सर्वेक्षणों के अनुसार व्यापारिक विश्वास में उल्लेखनीय बढ़ोतरी, पूंजीगत प्रवाह का पुनर्जीवन, शेयर मार्केट में पुनर्जीवन और समग्र वैश्विक आर्थिक एवं वित्तीय परिस्थितियों में सुधार शामिल हैं। बैंकिंग क्षेत्र को भी उच्च आर्थिक विकास दर को सहारा देने के लिए तैयार रहना होगा। साथ ही, वर्तमान परिस्थितियों में नयी चुनौतियों का सामना करने के लिए भी तैयार रहना होगा।

वित्तीय क्षेत्र के अवसर और चुनौतियां

वित्तीय क्षेत्र में बड़ी तेज़ी से बदलाव आया है। प्रतिस्पर्धी और नियमों के बंधन से मुक्त करने वाली शक्तियों के कारण ग्राहकों की अपेक्षाओं में आया बदलाव स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आईसीटी (सूचना और संचार प्रौद्योगिकी) की प्रगति के कारण ग्राहक अब सरल, तेज़, कुशल और सुरक्षित वित्तीय सेवाओं की अपेक्षा करने लगे हैं और वह भी उचित क़ीमत पर, एक ही खिड़की से। इस बदले हुए परिदृश्य में ग्राहक उपलब्ध विकल्पों का बखूबी उपयोग करना चाहते हैं। यदि संबंधों में नये सिरे से जान फूंकने की कोशिश नहीं की जाएगी तो वफादारी की पारंपरिक धारणा को मिटते देर नहीं लगती। प्रतिस्पर्धा में बने रहने और ग्राहकों की बढ़ती अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए, बैंक अब केवल पैसे जमा करने और उधार देने की पारंपरिक भूमिका में सीमित न रहते हुए उससे आगे जाकर व्यापक वित्तीय सेवा प्रदाता की भूमिका अदा कर रहे हैं। बैंक अब ग्राहकों की आकांक्षाओं और बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक प्रकार के वित्तीय उत्पाद (योजनाएं) लेकर आ रहे हैं। इस विकास का प्रत्यक्ष लाभार्थी ग्राहक ही है। इस प्रक्रिया में सेवा के दायरे का विस्तार करते हुए बैंक अब कारोबार की लागत में कमी लाने का प्रयास कर रहे हैं।

वित्तीय क्षेत्र में नियमों में दी गई छूट से नये अवसर पैदा हुए हैं; हालांकि इससे बैंकों का ज़ोखिम भी बढ़ा है। क़ारोबारी माहौल अब अधिक गतिशील हो गया है और बाज़ार काफी उतार-चढ़ावभरा। बैंकों को अब अनेक प्रकार के ज़ोखिमों का सामना करना पड़ता है, यथा– कारोबारी, बाज़ार और ऋण संबंधी ज़ोखिम, जिसमें ब्याजदर का ज़ोखिम भी शामिल है, तरलता नकदी/ज़ोखिम, विदेशी मुद्रा ज़ोखिम, पैसे अदा न करने का ज़ोखिम आदि। इस सबके साथ अपनी प्रतिष्ठा का भी ज़ोखिम उनके सामने रहता है। इन ज़ोखिमों की मात्रा (राशि) और मंशा (दुष्प्रभाव) को देखते हुए बैंकों ने आईटी जनित ज़ोखिम प्रबंधन प्रणालियां लागू की हैं।

प्रौद्योगिकी ने वित्तीय व्यापार को पुनर्परिभाषित करने में निस्संदेह सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और निभा रहा है। वित्तीय मध्यस्थों ने बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी को अपनाया है। प्रौद्योगिकी ने ग्राहक के हाथ में शक्ति देकर बैंकिंग में आमूलचूल परिवर्तन किया है। ग्राहक अब उपभोक्ता के अनुकूल और गुणात्मक वित्तीय समाधान चाहता है। बैंक भी अब एटीएम, टेलीबैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग आदि जैसी सुविधाएं देकर सेवा के वैकल्पिक माध्यम अपना रहे हैं। अधिकांश बैंक, सही अर्थों में 'कभी भी कहीं भी' बैंकिंग सेवा प्रदान करने के लिए अपने सभी कार्यालयों (शाखाओं) में 'कोर बैंकिंग सॉल्यूशन' (सीबीएस) प्रणाली लागू कर चुके हैं। प्रौद्योगिकी ऐसी होनी चाहिए जो कोर बैंकिंग सुविधा से

भी आगे बढ़कर विभिन्न प्रकार के मूल्य संवर्धित उत्पाद और सेवा प्रदान करने के काम आ सके और उन्हें बेहतर बनाया जा सके। उदाहरण के लिए, हम पंजाब नेशनल बैंक में इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से चेक प्रस्तुत करने और भुगतान करने, आवश्यक सुविधाओं के लिए ऑनलाइन भुगतान, ई-कर भुगतान आदि की सुविधा दे रहे हैं। वित्तीय उद्योग में एक तकनीकी क्रांति हुई है, जो अभी भी जारी है और वह जल्द खत्म होने वाली नहीं।

इन सबके मद्देनज़र, भविष्य में बैंकों के समक्ष आने वाली संभावित परिस्थितियों और उनसे निपटने के लिए जो रास्ते अपनाए जा सकते हैं, उनकी रूपरेखा इस प्रकार है :

● बैंक नियमों के बंधन से मुक्त होकर उदारीकरण और तकनीकी तरक्क़ी का लाभ उठाते हुए सार्वभौमिक बैंकिंग की ओर रुख कर सकते हैं।

● आकार का महत्व बढ़ जाएगा, क्योंकि बैंकों को अब विश्व के बड़े-बड़े बैंकों से मुक़ाबला करना होगा। बैंक प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए परस्पर रणनीतिक गठबंधन बनाने के बारे में सोच सकते हैं।

● 'प्रतिस्पर्धा के बजाय गठबंधन' पर ध्यान जा सकता है। भारतीय बैंकों में बृहत्तर साझेदारी के साथ और विदेशी बैंक सामने आ सकते हैं।

● कोर बैंकिंग की स्वचालित प्रक्रिया के चालू हो जाने के बाद अब शाखा नेटवर्क परिदृश्य में युक्तिसंगत बदलाव की आवश्यकता पड़ सकती है। प्रतिस्पर्धी सेवाएं देने के लिए कितनी शाखाओं की आवश्यकता वास्तव में पड़ेगी, इस तथ्य के आकलन के आधार पर युक्तिकरण करना होगा।

● एटीएम, कियोस्क, व्यवसाय, संवाददाता, इंटरनेट/मोबाइल बैंकिंग, पीओएस टर्मिनल आदि जैसे आभासी बैंक शाखाओं द्वारा शाखाओं की ज़रूरतों को पूरा करने के बाद बैंक अब भारी तकनीकी निवेश पर हुए ख़र्च और उस पर होने वाले आवर्ती व्यय के बदले में लाभ कमाने के इरादे से शीघ्र ही मार्ग बदल सकते हैं।

● बैंक ग्राहकों की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से समझने और पहले से ही अंदाज़ा लगा लेने अथवा कम से कम त्वरित प्रतिक्रिया के लिए अधिक समतल संगठनात्मक ढांचा और ग्राहक-केंद्रित व्यवसाय प्रादर्श अपना सकते हैं; लगातार ग्राहकों से कुछ सीख सकते हैं और ग्राहकों को 'जहां चाहें और जैसे चाहें' लेनदेन की सुविधा दे सकते हैं; विशेषकर आईटी के जानकार युवा ग्राहकों को; व्यक्तिगत और ग्राहकों की इच्छानुसार उत्पादों और सेवाओं पर ध्यान दे सकते हैं और ग्राहकों के साथ सुदृढ़ संबंध बना सकते हैं। प्रतिस्पर्धी वातावरण में काम करने के लिए बैंकों को बाज़ार की चाल के अनुसार चलने के लिए अपने आप को ढालना होगा। व्यवसाय प्रादर्शों को नये सिरे से तैयार करना होगा, फालतू और बेकार चीज़ों को हटाना होगा, कार्यकुशलता और उत्पादकता बढ़ानी होगी।

● भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए मानव संसाधन सबसे बड़ी चुनौती है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में क़रीब एक दशक से भर्ती में एक प्रकार से लगी रोक से कर्मचारियों की औसत आयु में इज़ाफ़ा हुआ है और इससे कर्मचारियों को नया कुछ सिखाने में काफी समस्याओं का सामना करना होता है। तकनीकी बदलाव और ग्राहकों की अपेक्षाओं में वृद्धि को पूरा करने के लिए नये कौशल और व्यवहार में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। कर्मचारियों को नया ज्ञान प्राप्त करने के साथ ही बहुत कुछ भूलना भी होगा। इसके साथ ही, एक अन्य अपेक्षित महत्वपूर्ण बदलाव विशेषज्ञता/ भूमिकाओं से संबंधित है। आज के हमारे अधिकांश बैंक आम श्रेणी के हैं। परंतु ग्राहक केंद्रित सेवाओं की ओर संगठनों के बढ़ते झुकाव के कारण ऐसे विशेषज्ञों की आवश्यकता बढ़ रही है जो विभिन्न प्रकार के उत्पादों और ग्राहकों के सूक्ष्मतर अंतर को समझकर काम कर सकें। लोगों को कॉर्पोरेट बैंकिंग अथवा विदेशी मुद्रा व्यापार आदि जैसे विशिष्ट व्यवसाय अथवा आईटी वित्त या एचआर जैसे कार्यशील व्यवसाय से जुड़े कैरियर का प्रस्ताव देना होगा। बैंक इस चुनौती का सामना मौजूद कार्मिकों को प्रशिक्षण देकर और विशेषज्ञों को काम देकर कर रहे हैं। इस प्रकार बैंकों को नयी प्रतिभाओं को आकर्षित करने और विद्यमान प्रतिभाओं को अपने साथ जोड़े रखने के लिए भर्ती/कैरियर नियोजन, कार्यनिष्पादन से जुड़े प्रोत्साहनों आदि के बारे में गौर करना होगा।

● राजस्व प्रादर्श बदल जाएगा। लेनदेन आधारित सेवाओं के बदले मूल्य संवर्धित सेवाओं को अपनाने से शुल्क आधारित गैर-ब्याजी आय को अधिकाधिक महत्व मिलेगा।

● व्यापक पैमाने पर प्रौद्योगिकी को अपनाए जाने से कारोबार की लागत में कमी आने की आशा है। बैंकों को प्रौद्योगिकी की लागत पर होने वाले लाभ के पहलू के बारे में गंभीरता से विचार करना होगा। प्रौद्योगिकी की भूमिका अब 'चालक' की हो गई है जबकि पहले उसकी भूमिका केवल एक 'सहायक' के तौर पर थी। विभिन्न बैंकों की प्रौद्योगिकीय अधोसंरचना में अंतर अब सीधे इन बैंकों के प्रति ग्राहकों के नज़रिये को परिभाषित करता है। प्रतिस्पर्धी वातावरण में लागत नियंत्रण काफी मायने रखता है। तकनीक को बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से अपनाने और उसके समझबूझ भरे उपयोग से हासिल किया जा सकता है। साझा नेटवर्क, सेवाओं की आउटसोर्सिंग, केंद्रीकृत प्रक्रमण, दोष सह्य प्रणालियां (हार्डवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर, दोनों) आंकड़ों का भंडारण, सीआरएम (ग्राहक संबंध प्रबंधन), हरित आईटी आभासीकरण, सेवोन्मुखी वास्तुशिल्प, मांग पर गणना (ऑन डिमांड कंप्यूटिंग), उच्चस्तरीय कॉल सेंटर सेवाएं, उच्च गुणवत्ता के पोर्टल/वेबसाइट, केएम (ज्ञान प्रबंधन), उन्मुखी संदेश सेवाएं, मोबाइल व्यवसाय, ईआरपी (उपक्रम संसाधन नियोजन), एकीकृत सुरक्षा, व्यापार निरंतरता/बहुस्तरीय आपदा प्रबंधन प्रणालियां आदि वे कुछ प्रौद्योगिकियां हैं जिन पर, इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विचार करने की आवश्यकता है। प्रौद्योगिकी पर होने वाले ख़र्च से उत्पादकता में वृद्धि होनी चाहिए जिसे परिचालन लागत, विशेषकर कार्मिक लागत में वृद्धि के बगैर आईटी के ज़रिये संपन्न होने वाले कारोबार में वृद्धि से हासिल किया जा सकता है।

● प्रौद्योगिकी विकास से कार्यकुशलता में इज़ाफ़ा हुआ है और ग्राहकों की संतुष्टि का स्तर भी बढ़ा है। परंतु इससे ज़ोखिम की चिंता भी बढ़ गई है। वित्तीय इकाइयां होने के नाते बैंकों को कई प्रकार की धोखाधड़ी की आशंका बनी रहती है। आईटी क्रियान्वयन की आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं में 'किसी गड़बड़ी की स्थिति में या फिर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में ही किन्हीं त्रुटियों अथवा कतिपय उपयोगकर्ताओं के तकनीकी कौशल और व्यवहार के कारण धोखाधड़ी का ज़ोखिम बना रहता है। अत: आईटी आधारित कारोबार की प्रक्रिया वाले वातावरण में सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। पर्याप्त सुरक्षा और प्रयोग नियंत्रण व्यवस्था (उपभोगकर्ता के स्तर पर, नेटवर्क स्तर पर, सर्वर स्तर पर और उपयोग स्तर पर), इसीलिए बहुत ज़रूरी

होगी और तकनीकी परिदृश्य में हो रहे परितर्वनों की मांग को पूरा करने के लिए उनको अपनाना होगा और उन्हें निरंतर उन्नत बनाते रहना होगा। हो सकता है कि बैंकों को अपने उपक्रमों के आईटी अधोसंरचना में वापस जाकर उसमें आमूल परिवर्तन करना पड़े ताकि सुरक्षा में चूक अथवा आईटी की विफलता से व्यवसाय को चौपट होने से बचाया जा सके।

● स्वनियमन और स्वनियंत्रण पर ज़ोर दिया जाना जारी रहेगा। बैंक कार्पोरेट प्रशासन और सीएसआर (कार्पोरेट सामाजिक दायित्व) में सर्वोत्तम पद्धतियां अपनाने का प्रयास करेंगे। इससे उनकी छवि में सुधार आएगा और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों का विश्वास जीतने में मदद मिलेगी। इसमें परिचालन संबंधी पारदर्शिता में और अधिक सुधार के प्रति बोर्ड सदस्यों की अतिरिक्त जिम्मेदारी निहित है।

● खुदरा क्षेत्र से बैंक को मिलने वाले अवसरों में वृद्धि होती रहेगी। अधिक अतिरिक्त ख़र्च योग्य आय, युवाओं हेतु बेहतर रोज़गार और आय के अवसरों, वैश्विक वातावरण का संपर्क लाभ, जनसंख्या, जीवनशैली और संपन्नता के स्तर में परितर्वन ने अतीत में खुदरा क्रांति को जन्म दिया है। यह प्रवृत्ति आगे और भी बढ़ेगी, विशेषकर आवासीय और शिक्षा ऋणों के मामले में। इस संभावना के दोहन के लिए बैंकों से आशा है कि अभिनव और आकर्षक प्रस्ताव लेकर सामने आएं। रोज़गार अब उतना सुरक्षित नहीं रह गया है, इस ज़ोखिम को ध्यान में रखना होगा।

● भारत में जनसंख्या विषयक जो लाभ बढ़ता दिख रहा है, उससे वित्तीय सेवा प्रदाताओं के लिए ढेरों अवसर प्राप्त होंगे। जनसंख्या का करीब एक-तिहाई भाग 15 वर्ष से कम आयु का है। अनुमान है कि लगभग 30 करोड़ युवा 2025 तक आय अर्जक समूह में नये-नये शामिल होंगे। युवा पीढ़ी (विश्व में सबसे अधिक) उपभोक्ता ऋण, बीमा, म्यूचुअल फंड और संपत्ति प्रबंधन जैसे वित्तीय उत्पादों के प्रति अधिक जागरूक है और इसलिए आने वाले समय में वित्तीय सेवा प्रदाताओं को राजस्व कमाने का बड़ा भारी आधार प्राप्त होगा। नैस्कॉम के एक अध्ययन के अनुसार भारत में तीसरे स्तर की (स्नातक स्तर की) शिक्षा के लिए भर्ती छात्रों की संख्या 1 करोड़ के लगभग है। भारत में पढ़ाई के लिए बैंक अब नियमित रूप से शिक्षा ऋण दे रहे हैं और कुछ तो विदेशों में अध्ययन के लिए भी ऋण दे रहे हैं। इससे इस बात का पता चलता है कि भारत में शिक्षा ऋण में वृद्धि की अपार संभावनाएं हैं।

● बैंक वित्तीय समावेशन के लिए कड़ा परिश्रम करेंगे। ग्रामीण वित्तीय प्रणाली को सुदृढ़ बनाया जाएगा ताकि ग्रामीण/अर्द्धशहरी क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के लिए 'वन स्टॉप शॉप' (एक ही स्थान पर सभी आवश्यक वस्तुओं की बिक्री) के रूप में उभर सके। बैंक ग्रामीण उत्पादकता और ग्रामीण आय में सुधार के लिए ग्रामीण क्षेत्र में क्षमता विकास का यथासंभव प्रयास करेंगे। कारोबार की ऊंची लागत कुछ बाधा खड़ी कर सकती है, परंतु अभिनव और किफ़ायती प्रौद्योगिकी के उपयोग से अंततः इस बाधा को दूर किया जा सकता है। वर्तमान में, वित्तीय समावेशन के लिए कोई किफ़ायती प्रौद्योगिकी ढूंढना एक चुनौती है। यद्यपि प्रारंभ में यह प्रयास लाभदायी साबित हो, यह ज़रूरी नहीं है, वस्तुतः शनैः शनैः ज्यों-ज्यों वंचित लोग अर्थव्यवस्था के विकास का हिस्सा बनते जाएंगे, उनका समावेशन न केवल ढेरों लाभ, बल्कि अच्छी संभावनाओं वाले तमाम भावी ग्राहक भी लेकर आएगा। अनुबंधित कृषि, ग्रामीण गुमटियां, ग्रामीण मॉल आदि के ज़रिये कुछ प्रमुख बैंकों/ कंपनियों ने जो नये कदम उठाए हैं उनसे किसानों को काफी लाभ हुआ है। पंजाब नेशनल बैंक ने कृषक प्रशिक्षण संस्थाओं और आरयूडीएसईटीआई (ग्रामीण विकास एवं स्वरोज़गार प्रशिक्षण संस्थान) के अपने प्रयासों के रूप में इस दिशा में मार्गदर्शी भूमिका अदा की है। वे किसानों और ग्रामीण युवाओं के कौशल में सुधार ला रहे हैं। लाभदायी प्रस्ताव होने के नाते ग्रामीण उधारी के लिए बैंकिंग क्षेत्र को अधिक ध्यान, समय और ऊर्जा ख़र्च करनी होगी। हमारे भावी ग्राहक गांवों में रहते हैं और विकास में उनको शामिल किए बिना भारत को ऊंचा नहीं उठाया जा सकता। इन अवसरों के प्रति पूर्ण न्याय करने से बैंकों के व्यापार के साथ-साथ उनके प्रति सामाजिक सद्भावना भी बढ़ेगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास और बैंकों का विकास एक-दूसरे के समर्थन से आगे बढ़ेगा।

● बैंकों के लिए एसएमई (लघु एवं मध्यम उद्यम) एक आकर्षक और उच्च विकास की व्यापारिक संभावना वाला क्षेत्र बना रहेगा। बैंक इस क्षेत्र को अधिकाधिक समर्थन देंगे क्योंकि यही उन्हें उच्च विकास का मार्ग दिखाएगा, राष्ट्रीय संपत्ति का निर्माण करेगा और आय के स्तरों में बहुमुखी विकास के साथ-साथ राष्ट्रीय आर्थिक प्राथमिकता– रोज़गार सृजन की ओर ले जाएगा। इस क्षेत्र द्वारा प्रस्तुत अवसरों और संभावनाओं को देखते हुए और अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र के योगदान और उसमें हो रही वृद्धि के मद्देनज़र हमारा बैंक तकनीकी कार्मिकों की भर्ती कर रहा है ताकि इस क्षेत्र के ऋण में जो वृद्धि हुई है, उसे ज़ोरदार समर्थन दिया जा सके। यह इस क्षेत्र को बढ़ावा देने की सरकार की नीति के अनुरूप ही है। बैंक अपने संसाधनों की मांग को पूरा करने के लिए अब अलग-अलग क्षेत्रों के लिए अलग-अलग योजनाएं पेश कर रहे हैं।

उपर्युक्त तथ्यों के प्रकाश में, यह कहा जा सकता है कि प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए, वित्तीय क्षेत्र को जैविक के साथ-साथ अजैविक विकास और मूल्य शृंखला के भीतर संभावना और स्तर में वृद्धि और कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए उपयुक्त व्यवस्थाओं और अन्य संरचनाओं पर ध्यान देना होगा। इसके साथ ही, उपर्युक्त वर्णित चुनौतियों का सामना करने के रास्ते पर बैंकों के लिए नेतृत्व और प्रबंधन की चुनौतियां भी होंगी, क्योंकि संस्कृतियों की खाई पाटने में कठिनाइयां और दुविधाएं सामने आ सकती हैं। संभावित विलय और अधिग्रहण के कारण उत्पन्न अंतर्निहित सम्मिश्रित ऊर्जा का व्यवस्थित ढंग से उपयोग करना होगा।

वित्तीय सेवा क्षेत्र को मौजूदा ग्राहकों के साथ संबंध बनाए रखने, उनमें विस्तार करने तथा संभावित ग्राहकों के साथ नये संपर्कों के विकास और मीडिया के ज़रिये ग्राहकों को जानकारी देने के तरीक़े के बारे में निर्णय लेने में भारी चुनौतियां मिलना जारी रहेंगी। बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं को सतर्क रहना होगा और अपने उत्पादों में लगातार सुधार और नवाचार की आक्रामक पद्धतियों को अपनाने की आवश्यकता होगी। एक ठोस एवं विश्वसनीय ब्रांड के रूप में अपनी मार्केटिंग करना भी कोई कम चुनौतीपूर्ण कार्य नहीं होगा। वही लोग बचेंगे और तरक्क़ी करेंगे जो अपने ग्राहकों, शेयरधारकों और कर्मचारियों को ध्यान में रखेंगे और जिनके पास तमाम कठिनाइयों एवं विपरीत परिस्थितियों के बावजूद इन सबको संभव बनाने की परिकल्पना, धैर्य और संकल्प होगा। ❑

(लेखक पंजाब नेशनल बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं।

ई-मेल : cmd@pnh.co.in

ग्रामीण विकास के लिए ऋणोन्मुखी दृष्टि

● के.जी. करमाकर

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) का गठन वर्ष 1982 में भारतीय रिज़र्व बैंक से कुछ कार्य अलग कर बनाया गया था। गांवों के एकीकृत विकास के इरादे से वर्ष 1981 में संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित यह देश का अनूठा बैंक है। यह एक शीर्ष वैकासिक वित्त संस्थान है जिसे कृषि ऋण संस्थागत विकास के साथ-साथ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी ऋण संस्थाओं पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी, सौंपी गई है। भारतीय रिज़र्व बैंक और केंद्र सरकार के संयुक्त स्वामित्व वाले इस बैंक का लक्ष्य प्रभावी ऋण समर्थन, संबंधित सेवाओं, संस्थागत विकास और अन्य नवाचारी प्रयासों के ज़रिये कृषि का स्थायी और तर्क़संगत विकास तथा ग्रामीण समृद्धि का संवर्धन करना है। यह भारत का एकमात्र संस्थान है जो ग्रामीण क्षेत्रों के उपयोग के लिए शहरी क्षेत्रों से धन जुटाता है। इसके कर्मचारियों में 3,000 अधिकारी और 1,800 अन्य कर्मचारी शामिल हैं जिसमें वित्तीय और तकनीकी विशेषज्ञों के साथ-साथ कृषि विशेषज्ञ भी हैं। उच्च स्तर की योग्यता वाले ये अधिकारी देश के सभी राज्यों की राजधानियों और 400 जिलों में कार्यरत हैं। यह अपने 6 प्रशिक्षण संस्थाओं में सहकारिताओं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और वाणिज्यिक बैंकों को प्रशिक्षण भी प्रदान करता है।

ऋण प्रचालन

अधिदेश के अनुरूप, नाबार्ड कृषि और संबंधित गतिविधियों के साथ-साथ ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र में उत्पादन और निवेश गतिविधियों के समर्थन के लिए वाणिज्यिक, सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्वित्त के ज़रिये वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसके अनुरूप नाबार्ड ने ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं (आरएफआई) को भारी मात्रा में कृषि ऋण देने और अधिकाधिक किसानों को ऋण लाभ देने हेतु पुनर्वित्त दिया है। बैंकों को अपने संसाधन जुटाने की लागत की तुलना में अपेक्षाकृत सस्ती दरों पर संसाधन प्रदान करने और इच्छित दिशा तथा क्षेत्रों में ग्रामीण ऋण को दिशा देने के लिए भी नाबार्ड संसाधन मुहैया कराता है। नाबार्ड बैंकों, सहकारी ऋण संस्थाओं और राज्य सरकारों के लिए चार प्रकार के ऋण प्रदान करता है जो इस प्रकार हैं :

(1) **लघु अवधि ऋण (18 माह तक)**
- विभिन्न फ़सलों और क्षेत्रों को अनुमोदित स्तर पर वित्तीय सहायता के अनुसार किसानों को समय पर रियायती ऋण देने के लिए मौसमी कृषि कार्य (2009-10 में 24,000 करोड़ रुपये)।
- कच्चे माल का विपणन, फ़सल विपणन, मछली पालन, ग्रामीण औद्योगिक सहकारिताएं, वनोपज, ग्रामीण शिल्पी, हथकरघा बुनकरों आदि जैसे गैर-कृषि और अन्य कृषि कार्य

(2) **मध्यमावधि ऋण (3 वर्ष तक परंतु विशेष परिस्थितियों में 7 वर्ष तक बढ़ाए जा सकते हैं)**
- प्राकृतिक आपदाओं के कारण भारी कृषि हानि के लिए परिवर्तनीय ऋण।
- उत्पादक संपत्ति अर्जन हेतु योजनामुक्त ऋण

(3) **निवेश ऋण (3 वर्ष से आगे 25 वर्ष तक)**

परिसंपत्ति सृजन के माध्यम से पूंजी निर्माण के निमित्त सभी ग्रामीण आर्थिक गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके अलावा अधिक उत्पादन, उत्पादकता और किसानों की आय में वृद्धि के लिए तकनीकी उन्नयन के लिए भी सहायता दी जाती है (2009-10 में 12,000 करोड़ रुपये)।

(4) **ग्रामीण बुनियादी संरचना कोष (2009-10 में 18,500 करोड़ रुपये)**

देश में ग्रामीण बुनियादी संरचना के आकार में वृद्धि और कृषि और ग्रामीण ऋण के लिए प्रभावी मांग में तेज़ी लाने में सरकारी बजट संसाधन अपर्याप्त होते हैं और इसलिए 5 वर्षों के लिए सावधि ऋण रियायती दरों पर दिए जाते हैं। यह ऋण वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से दिए जाते हैं। ग्रामीण इलाकों के 31 प्रमुख क्षेत्रों को इस योजना के तहत ऋण दिया जाता है। इसमें से 45-45 प्रतिशत सड़कों और सिंचाई क्षेत्रों के लिए तथा शेष 10 प्रतिशत सामाजिक क्षेत्र के लिए दिया जाता है।

1982 में गठन के बाद से नाबार्ड द्वारा दिए गए ऋण का विवरण तालिका-1 में दिया गया है।

वैकासिक प्रयास

इसके अतिरिक्त पिछले कुछ वर्षों में नाबार्ड ने अनेक वैकासिक और प्रोत्साहन उपायों की शुरुआत की है जिनका उद्देश्य ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं/ग्रामीण ग्राहकी, सामाजिक-आर्थिक अधोसंरचना का सुदृढ़ीकरण, प्रभावी और

किफ़ायती ऋण योजनाएं एवं सेवाएं, ग्रामीण मूल्य शृंखला, प्रसार सेवाओं का विस्तार आदि की क्षमताओं को विस्तृत और सुदृढ़ बनाना है। इन सबका लक्ष्य ग्रामीण ऋण का विस्तार और गहराई सुनिश्चित करना है साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण के इस्तेमाल करने की क्षमता को भी बढ़ाना है। यद्यपि इन प्रयासों में से कुछ तो पंचवर्षीय योजनाओं में वर्णित राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और सरकारी कार्यक्रमों से अनुप्राणित हैं। अधिकांश प्रयास नाबार्ड की अपनी कोशिश के नतीज़े हैं। बहुमुखी ग्रामीण विकास के लिए नवाचार, अनुप्रयोगों, मार्गदर्शक और उत्पादों एवं सेवाओं का स्तर ऊंचा उठाने के लिए नाबार्ड अपनी ओर से भी पहल करता रहा है। नाबार्ड के ऋण देने प्रयास इस प्रकार हैं :

खाद्य सुरक्षा

– किसानों को 7 प्रतिशत की दर से सस्ता फ़सल ऋण। इसी प्रकार का किफ़ायती कर्ज़ हथकरघा बुनकरों को भी दिए जाने की ज़रूरत है।

– अभावग्रस्त इलाक़ों में अनाज़ के गोलों में अनाज़ की बचत कर और सामुदायिक बचत की पारंपरिक पद्धति को उत्प्रेरित कर

तालिका-1

नाबार्ड से पुनर्वित्त/वित्तीय सहयोग (1982-83 से 2007-09)

वर्ष	लघु अवधि पुनर्वित्त		निवेश पुनर्वित्त	मध्यमावधि (परिवर्तन सहित)	आरआईडीएफ/ राज्य सरकार को ऋण*	कुल योग (3+4+5+6)
	स्वीकृत सीमा	अधिकतम बकाया				
1	2	3	4	5	6	7
1982-83	1658	1231	703	108	13	2055
1983-84	1880	1259	892	73	9	2233
1984-85	1733	1251	1061	90	9	2411
1985-86	1901	1339	1192	132	7	2670
1986-87	2009	1370	1334	236	12	2952
1987-88	2699	1841	1482	343	88	3754
1988-89	3362	2487	1270	316	45	4118
1989-90	3904	2988	1702	135	30	4855
1990-91	4135	3103	1902	233	28	5266
1991-92	4223	3104	2054	129	29	5316
1992-93	4447	3614	2359	279	24	6276
1993-94	4748	3694	2745	78	31	6548
1994-95	5770	4802	3011	151	75	8039
1995-96	6667	5340	3064	85	495*	8984
1996-97	7023	5702	3523	70	1164	10459
1997-98	7140	6000	3922	288	1149	11359
1998-99	8083	6340	4521	393	1354	12608
1999-2000	8169	6746	5215	58	2327	14346
2000-2001	8595	7011	6158	130	3238	16537
2001-2002	8701	7295	6683	316	3840	18134
2002-2003	8763	7038	7419	19	4131	18607
2003-2004	9954	6967	7605	230	4007	18809
2004-2005	11260	9451	8577	808	4328	23164
2005-2006	12080	10769	8622	1806	6000	27197
2006-2007	16089	14168	8795	60	6239	29262
2007-2008	18291	16352	9046	266	8053	33717
2008-2009	19627	17212	10635	0	10477	38324
योग	**192911**	**158474**	**11592**	**6832**	**57202**	**338000**

***** *आरआईडीएफ की किस्तों का प्रारंभ*

अन्न बैंक योजना आदिवासियों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है। अधिक बचत होने पर उसको बेचकर पैसे कमा लिए जाते हैं।

– जल संचय ढांचों और मौसमी सिंचाई पर रोक लगाकर 'वादी' कार्यक्रम आदिवासी परिवारों के लिए स्थायी आजीविका सुनिश्चित करने हेतु समर्थन सेवाओं के साथ फलोद्यान विकास पर ध्यान केंद्रित करता है।
– वाटरशेड विकास का अभिप्राय मृदा एवं जल प्रबंधन, बेहतर सष्यविज्ञानी पद्धतियां, जल संचय, मृदाक्षरण से बचाव, बिगड़े वनों के पुनर्विकास आदि से होता है ताकि मनुष्यों और पशुओं की आबादियां साथ-साथ रह सकें। वाटरशेड विकास में 'रिज टू वैली' दृष्टिकोण आजीविका समर्थन, कर्ज़ संबंधी गतिविधियों और महिलाओं के समावेशन के कारण अब अधिक प्रभावशाली हो गया है।
– संयुक्त दायित्व समूह और ऋतु मित्र समूह थाईलैंड के बीएएसी मॉडल की तर्ज़ पर किसानों के लिए काम करने वाले स्वयं सहायता समूह हैं जो उनके लिए प्रभावी ऋण सुविधाएं और अन्य सहायक सेवाएं प्रदान करते हैं।
– 960 गांवों के लिए वाणिज्यिक बैंकों के साथ चिह्नित ग्राम विकास योजनाएं, सम्यक विकास हेतु नीचे से ऊपर की योजना और जनभागीदारी।
– बेहतर ऋण अनुशासन और विशिष्ट वस्तुओं के अर्ज़न एवं विपणन में मितव्ययिता सुनिश्चित करने के लिए बने स्वयं सहायता समूह एवं किसान क्लब।
– *किसानों के संघ* : किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने और उनके लाभ-प्रतिशत में वृद्धि सुनिश्चित करने, किसानों के खेतों तक प्रौद्योगिकी का विस्तार करने के लिए।

वित्तीय समावेशन

– यह प्रयोगात्मक, उच्चस्तरीय और मुख्यधारा का विश्व में सबसे बड़ा सूक्ष्म क्षेत्र का वित्त आंदोलन है –500 बैंकों और 5,000 गैर-सरकारी संगठनों की सहायता से स्वयं सहायता समूहों और बैंकों के बीच संपर्क कार्यक्रम;
– भारतीय रिज़र्व बैंक के मानकों के अनुसार सभी बैंकों के लिए बिना किसी विशेष सुविधा वाले मियादी खाते;
– पीओएस व्यवस्था आदि के ज़रिये सुरक्षित राशि अंतरण की सुविधा के लिए 'कॉमन टेक्नोलॉजी प्लेटफार्म;
– सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बीमा कंपनियां, डाकघर, स्वसहायता समूह सभी वित्तीय समावेशन में मदद देते हैं।
– साधारण सेवा केंद्रों का इस्तेमाल करते हुए मोबाइल फोन के ज़रिये पैसा भेजना।
– पीएसी/स्वसहायता समूहों/सभी बैंकों हेतु बीसी/बीएफ प्रादर्श;
– बैंकों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड और स्वरोज़गार क्रेडिट कार्ड के ज़रिये ग्रामीण क्षेत्रों में एक ही स्थान से ऋण वितरण हेतु प्रभावी ऋण उत्पादों का विकास;
– स्वसहायता समूहों/किसानों के लिए जनसहभागी मॉडल के ज़रिये सूक्ष्म क्षेत्र का वित्त पोषण किसानों का ज़ोखिम कम करने में मदद करता है;
– ज़िलों में वित्तीय परामर्श/साक्षरता के लिए अग्रणी बैंक मदद कर सकते हैं;
– मोबाइल फोन के ज़रिये सूक्ष्म स्तर पर बचत और प्रेषण का प्रायोगिक परीक्षण किया जा रहा है;
– किसानों का लाभांश बढ़ाने के लिए किसान हितैषी संगठनों, उत्पादन सहकारिताओं का गठन;
– अति निर्धन ग्रामीण लोगों के लिए स्वसहायता समूहों हेतु सूक्ष्म पेंशन योजनाएं वरदान सिद्ध हो सकती हैं।

ग्रामीण रोज़गार के ज़रिये ग़रीबी उन्मूलन

– ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर बेरोज़गार युवाओं के लिए क्षमता निर्माण और रोज़गार सृजन हेतु आरईडीपी/आरयूडीएसईटीआईएस;
– कृषि हेतु पूंजी जुटाने की योजनाओं हेतु वेंचर कैपिटल फंड (राज्य केंद्रित);
– मास्टर बुनकरों के मार्गदर्शन के तहत समूहों में वित्त पोषण हेतु हथकरघा बुनकर सहायता (एचडब्ल्यूजी);
– विपणन प्रयासों के माध्यम से परिपक्व स्वसहायता समूहों हेतु सूक्ष्म उद्यम;
– गैर-सरकारी संगठनों और बैंकों से ऋण व विकास केंद्रित निवेश के साथ स्वसहायता समूहों के माध्यम से महिला सशक्तीकरण;
– स्वसहायता समूह के संघ उत्पाद मूल्य संवर्धन, प्रशिक्षण और उधार सेवाओं के साथ-साथ परामर्श देने का काम भी सुनिश्चित करते हैं;
– ग्रामीण बाज़ार संकुल के माध्यम से बाज़ार मुहैया कराकर स्वसहायता समूहों हेतु विपणन अवसर;
– निवेश ऋण में वृद्धि हेतु नवाचारी कृषि पद्धतियां;
– बांस और बेंत विकास;
– औषधीय जड़ी-बूटियां और पौधे;
– किसानों द्वारा मिनी कृषि प्रसंस्करण उद्यमों हेतु उत्पादकों की कंपनियां।

ग्रामीण अधोसंरचना

– भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) के ज़रिये ई-गवर्नेंस और ई-मेल सुविधाओं के माध्यम से आईसीटी (सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी) का उपयोग; साथ ही स्वसहायता समूहों हेतु कृषि पोर्टल, प्रशिक्षण, अभिलेखों का रखरखाव आदि;
– ज़िला अधोसंरचना योजना सहित ग्रामीण अधोसंरचना हेतु व्यापक पंच वर्षीय योजना और कृषि हेतु पंच वर्षीय ज़िला योजना
– ग्रामीण अधोसंरचना की आवश्यकताओं और वित्तपोषण का मूल्यांकन;
– ग्रामीण अधोसंरचना में कार्पोरेट व सामाजिक उद्यमों के वित्तपोषण हेतु निवेश के लिए गैर-सरकारी संगठनों/व्यापारिक समूहों के साथ सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी से संयुक्त उद्यम;
– पेयजल, स्वच्छता, पर्या-भ्रमण, किफ़ायती आवासीय योजनाओं सहित ग्रामीण सेवा क्षेत्र के वे कार्यक्रम जिनके लिए बैंकिंग क्षेत्र उचित रूप से सेवा नहीं दे पाते;
– ग्रामीण अक्षय प्रणालियां, बायोगैस, बायो डीज़ल, सौर/पवन/सूक्ष्म पनबिज़ली प्रणालियों का उपयोग करती हैं जिनको प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है;
– ग्राम पंचायतों के सहयोग से आधुनिक ग्रामीण हाट/झोंपड़ों का निर्माण।

ग्रामीण और कुटीर उद्योग

– संकुल विकास कार्यक्रम–कृषि प्रसंस्करण, लघु-सूक्ष्म उद्यमों, हस्तशिल्प, ग्रामीण रोज़गार सृज़न और उद्यम विकास, सामान्य सुविधाओं और स्तरीय अर्थव्यवस्थाओं के लाभ हेतु समर्थन पर ज़ोर देने के लिए;
– अरविंद (एआरडब्ल्यूआईएनडी) सूक्ष्म उद्योगों के लिए ग्रामीण महिलाओं को उद्यमिता प्रशिक्षण, कौशल विकास, संशोधित प्रौद्योगिकी आदि;

– महिमा (एमएएचआईएमए)–ग्रामीण महिलाओं द्वारा उत्पादित गैर-कृषि उत्पादों के विपणन का काम करने वाली एजेंसियों को ऋण के साथ जुड़ी प्रोत्साहन सहायता;
– विकास केंद्रित गांवों में पंचायतों के माध्यम से आधुनिक ग्रामीण हाट स्थापित करना।

संस्थागत वैकासिक प्रयास

– ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण के प्रभावी इस्तेमाल में 'संभावनायुक्त योजना' के ज़रिये विकेंद्रीकृत ज़िला ऋण योजना। पीएलपी, देश के सभी ज़िलों में बैंकों और राज्य सरकारों के लिए संदर्भ दस्तावेज़ होता है।
– परियोजना मूल्यांकन– बैंकों और सहकारिताओं की ओर से कृषि परियोजनाओं का मूल्यांकन करना, ज़िला निगरानी अध्ययन, मूल्यांकन प्रविधियों में बैंकों/सहकारिताओं के कार्मिकों का प्रशिक्षण, आरएफआई (ग्रामीण वित्त संस्थाएं) का वित्तीय ज़ोखिम कम करने हेतु टीएमई प्रकोष्ठ, स्वत: पुनर्वित्त;
– लघु अवधि सहकारी संरचना (त्रिस्तरीय) हेतु नवजीवन पैकेज़ का कार्यान्वयन-सहकारिताओं का पुनरुद्धार;
– वर्तमान और संपोषणीय संभाव्यता प्राप्त

तालिका-2

नाबार्ड से पुनर्वित्त/वित्तीय सहयोग (1982-83 से 2007-09)

क्र.	कोष का नाम	स्थापना वर्ष	उद्देश्य	हितग्राही/उपभोक्ता	31-3-09 को बकाया (करोड़ रुपये में)
1.	एनआरसी(एलटीओ)	1982	दीर्घावधि निवेश ऋण	आरएफआई एवं राज्य सरकारें	14016.00
2.	एनआरटी(स्टैब)	1982	उत्पादन ऋण हेतु परिवर्तित उधार	एससीबी/आरआरबी	1555.00
3.	आरएंडडी	1983	अनुसंधान/सेमिनार कार्यशाला-ग्रामीण एवं कृषि विकास से संबंधित	विश्वविद्यालय/अनुसंधान संस्थाएं	50.00
4.	सीआरएफ	1983	आरक्षित पूंजी		74.80
5.	सीडीएफ	1992-93	प्रशिक्षण गतिविधियां	सहकारी ऋण संस्थाएं	125.00
6.	एआरईआईएफ	1993	ज़ोखिम की स्थापना वाली परियोजनाओं को मदद		5.00
7.	आरआईडीएफ	1995-96	ग्रामीण अधोसंरचना के सृजन हेतु राज्य सरकारों को ऋण	राज्य सरकारें, पीआरआई आदि	47023.00
8.	डब्ल्यूडीएफ	2000-01	संकट ग्रस्त ज़िलों में वाटर शेड विकास परियोजना	वर्षा वाले क्षेत्रों के ग्रामीण	1125.20
9.	एमएफडीईएफ	2000-01	विविध प्रणालियों के माध्यम से सूक्ष्म वित्त के विकास का समर्थन	एसएचजी/एनजीओ सीबीओ, एमएफआई, बैंक, नाबार्ड प्रशिक्षण संस्थाएं	
10.	एडीएफ	2002-03	समान आदिवासी विकास का समर्थन	आदिवासी परिवार	3.4
11.	टीडीएफ	2004	एकीकृत आदिवासी विकास	आदिवासी आबादी	574.98
12.	एफआईपीएफ	2005	कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का संवर्धन	किसान/नवाचारी	50.00
13.	आरआईएफ	2005	कृषि/गैर कृषि/सूक्ष्मवित्त के तहत आजीविका के अवसर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार सृजन में नवाचार को समर्थन	किसान/शिल्पकार/एसएचजी सदस्य	89.28
14.	आरपीएफ	2005	ग्रामीण गैर-कृषि क्षेत्र गतिविधियों का समर्थन	किसान/शिल्पकार एसएचजी सदस्य	7.25
15.	आरआईएफ	2007	पिछड़े क्षेत्रों में कमज़ोर वर्गों में एफआई सुरक्षित करने हेतु विकास एवं सहायक	एफआई/एनजीओ, एमएफआई, एसएचजी, एफसी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान आदि	34.08
16.	एफआईटीएफ	2007	गतिविधियों का समर्थन एफआई के संवर्धन के लिए आईसीटी का विस्तार	–वही–	48.37
17.	एफटीटीएफ	2008	किसानों हेतु प्रौद्योगिकी हस्तातंरण	कृषक समुदाय	50.00

करने हेतु बैंकों को कार्ययोजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन हेतु डीएपीओयू;

- पुनर्पूंजीकरण, विलय/एकीकरण, संगठनात्मक वैकासिक प्रयासों के साथ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों हेतु घाटे से उबरने की रणनीति;
- सहकारी प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से बैंककर्मियों के प्रशिक्षण हेतु सहकारी विकास कोष से सहकारी बैंकों को सहायता, एनआईबीएम, एनआईआरडी, आईआईबीएम को सहयोग;
- नैबकांस–(एमएबीसीओएनएस)–उच्च मूल्य/अति ज़ोखिम वाली परियोजनाओं व प्रशिक्षण आदि के मूल्यांकन हेतु परामर्श शाखा।

लक्षित कोष

ग्रामीण विकास के लिए अनुदानों और उदार ऋणों के रूप में पर्याप्त वित्तीय संसाधन मुहैया कराने के उद्देश्य से पिछले कुछ वर्षों में नाबार्ड ने अनेक प्रकार के विशेष उद्देश्य केंद्रित कोष स्थापित किए हैं। यद्यपि इनमें से कुछ कोष अंशधारियों (हित साधकों) के प्रतिकात्मक योगदान से प्रारंभ किए गए थे तथापि यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि अधिकांश कोष नाबार्ड के अपने लाभ से विनियोग के माध्यम से वार्षिक रूप से बढ़कर विकसित हुए हैं। अपने जन्म से ही नाबार्ड एक लाभ कमाने वाली संस्था रही है जबकि अपने वैकासिक और ग्रामीणपरक नीतियों को देखते हुए यह व्यावसायिक आधार पर काम नहीं करता। नवाचारी हस्तक्षेप और कुछ चुनिंदा क्षेत्रों को प्रत्यक्ष ऋण प्रवाह के लिए समय-समय पर कोषों की स्थापना की जाती रही है। नाबार्ड में प्रचलित कुछ कोषों का विवरण तालिका-2 में दिया गया है।

निष्कर्ष

किसी विशाल देश में एकीकृत ग्रामीण विकास को लागू करने की अपनी ही चुनौतियां हैं। खाद्य सुरक्षा की सतत मांग, वित्तीय समावेशन की आवश्यकता, ग़रीबी उन्मूलन की चुनौती, न्यायसंगत क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना, ग्रामीण ऋण प्रवाह में विस्तार, ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण, ग्रामीण रोज़गार उपलब्ध कराना, सहभागी नियोजन दृष्टिकोण और उपयुक्त अधोसंरचना के निर्माण से न्यायसंगत विकास सुनिश्चित करना, सूक्ष्म वित्त संस्थाओं और स्वसहायता समूहों का विकास– ये सभी विकराल चुनौतियां हैं। नाबार्ड समान रूप से इन सभी कार्यों पर मुस्तैदी से जुटा हुआ है। यह उसकी उत्कृष्ट प्रणालियों और कार्यपद्धतियों तथा कर्मचारियों के लिए प्रशंसा की बात है। अपने सीमित वित्तीय संसाधनों के बावजूद नाबार्ड यह सब कर पाने में समर्थ रहा है। उसे किसी प्रकार की रियायती आर्थिक सहायता नहीं मिली है। भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकों और केंद्र/राज्य सरकारों के समर्थन ने यह सुनिश्चित किया है कि ग्रामीण विकास का कार्य तीव्र गति से चलता रहे। प्रौद्योगिकी और नवाचारी प्रणालियों तथा पद्धतियों के उपयोग ने ग़रीबी पर प्रभावी और दक्ष हमला ज़ारी रखना सुनिश्चित किया है। कृषि का व्यावसायीकरण और किसानों को समर्थ बनाना हमारा उद्देश्य है। देश के इस सबसे बड़े निजी क्षेत्र को उनके श्रम का उचित लाभ दिलाना हमारा स्पष्ट लक्ष्य है। ❑

(लेखक नाबार्ड के प्रबंध निदेशक हैं।
ई-मेल : md@nattard.org)

योजना
आगामी अंक

मार्च 2010 • बजट 2010-11 विशेषांक

केंद्रीय बजट हर वर्ष केंद्र सरकार की वित्तीय दृष्टि और वर्षभर की विकास योजनाओं की तस्वीर लेकर उपस्थित होता है। वित्त वर्ष के दौरान सरकार की विकास योजनाओं हेतु अपेक्षित संसाधनों के स्रोतों की जानकारी भी इससे मिलती है। *योजना* का मार्च'10 विशेषांक बजट 2010-11 की विस्तृत विवेचना पर केंद्रित होगा।

अप्रैल 2010 अंक

धरती की जलवायु तेज़ी से बदल रही है और न केवल तापमान असह्य होता जा रहा है बल्कि मौसम में भी अप्रत्याशित परिवर्तन गोचर हो रहा है। यह जलवायु परिवर्तन और धरती का तापमान बढ़ने का ही परिणाम है। *योजना* का अप्रैल 2010 अंक जलवायु परितर्वन से जुड़े विभिन्न विषयों पर केंद्रित होगा।

बैंकिंग क्षेत्र : विकास व चुनौतियां

● प्रांजल धर

किसी भी देश की अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से तभी चल सकती है जब उसका बैंकिंग क्षेत्र सुविकसित और दक्ष हो। आज जब सब-प्राइम संकट के कारण विश्व की अनेक अर्थव्यवस्थाएं मंदी के दलदल से जूझ रही हैं और सभी प्रमुख शेयर बाज़ारों में अनियमित उतार-चढ़ाव दर्ज़ किए जा रहे हैं ऐसे में बैंकिंग क्षेत्र का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। भारत संसार के दस बड़े उभरते बाज़ारों में से एक है और उपभोक्ताओं की बड़ी तादाद हमारे यहां निवास करती है। बैंकिंग क्षेत्र ने हमारे देश में बहुआयामी प्रगति की है, किंतु समय के साथ नयी चुनौतियां भी उभरी हैं। जहां भारतीय मुद्रा बाज़ार का संगठित क्षेत्र वैश्विक मुद्रा प्रवाहों के विनियमन संबंधी समस्याओं से जूझ रहा है वहीं हमारे असंगठित क्षेत्र में साहूकारों और महाजनों जैसे बिचौलियों की चिंताजनक चुनौतियां मौजूद हैं। इन चुनौतियों को जानने-समझने और इनसे निपटने के लिए बैंकिंग क्षेत्र की विकास यात्रा पर दृष्टि डालना आवश्यक और प्रासंगिक है।

ब्रिटिश शासनकाल से पहले हमारे देश में बैंकिंग का कोई ख़ास विकास नहीं हुआ था। मुगल शासनकाल में बैंकिंग का कार्य ज़्यादातर साहूकारों एवं महाजनों द्वारा संपन्न किया गया। बैंकिंग की यात्रा में सत्रहवीं शताब्दी इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी समय ब्रिटिश शासनकाल का हस्तक्षेप हुआ और भारत की साहूकारी वित्त व्यवस्था को गहरा आघात लगा। अठारहवीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई तथा कलकत्ता में कुछ एजेंसी गृहों की स्थापना की जो आधुनिक बैंकों की तरह काम किया करते थे। इन एजेंसी गृहों का प्रमुख कार्य ईस्ट इंडिया कंपनी को सैनिक आवश्यकताओं के लिए रुपये उधार देना, कृषि उपज की बिक्री के लिए ऋण प्रदान करना, कागज़ी मुद्रा का निर्गमन करना तथा लोगों से निक्षेप स्वीकार करना था। यूरोपीय बैंकिंग पद्धति पर आधारित भारत का प्रथम बैंक विदेशी पूंजी के सहयोग से एलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा बैंक ऑफ़ हिंदुस्तान नाम से सन् 1770 ई. में कलकत्ता में स्थापित किया गया। किंतु यह बैंक शीघ्र ही असफल हो गया। इसके बाद देश में निजी अंशधारियों द्वारा तीन प्रेसीडेंसी बैंकों की स्थापना की गई। सन् 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, सन् 1840 में बैंक ऑफ बांबे तथा सन् 1843 में बैंक ऑफ मद्रास अस्तित्व में आए। हालांकि यह तीनों निजी शेयरहोल्डरों के बैंक थे फिर भी इन तीनों बैंकों की शेयर पूंजी में सरकार का भी कुछ हिस्सा था इसलिए सरकार इन तीनों बैंकों पर अपना नियंत्रण रखती थी।

उस समय बैंकों पर सरकार का नियंत्रण वर्तमान की तुलना में भिन्न था। औपनिवेशीकरण और शोषण की कड़वी सच्चाई के कारण ही हमारी बैंकिंग प्रणाली यूरोप या अमरीका की बैंकिंग प्रणाली से सर्वथा भिन्न व स्थानबद्ध प्रतिमानों का प्रदर्शन करती है। आगे चलकर उपर्युक्त तीनों बैंकों को मिलाकर सन् 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई और जुलाई 1955 में इसका नाम बदलकर

स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया रखा गया। सन् 1860 में एक संयुक्त पूंजी अधिनियम (कंपनी अधिनियम) पारित होने के कारण बैंकों की स्थापना में बहुत मदद मिली थी। परिणामस्वरूप हमारे देश में अनेक संयुक्त पूंजी बैंक स्थापित हो गए जिनमें प्रमुख थे– इलाहाबाद बैंक (1865), एलायंस बैंक ऑफ शिमला (1881), पंजाब नेशनल बैंक (1894), पीपुल्स बैंक ऑफ इंडिया (1901)। सीमित देयता के आधार पर 1881 में स्थापित अवध कमर्शियल बैंक भारतीयों द्वारा संचालित प्रथम बैंक था।

क्राउथर का मत है कि आधुनिक समय में मनुष्य द्वारा किए गए तीन आविष्कारों– मुद्रा, पहिया और वोट में से मुद्रा प्रमुख है। पर मुद्रा के संदर्भ में हमारे बैंकिंग क्षेत्र का उल्लेखनीय विकास 1906 के बाद बीसवीं शताब्दी में ही हुआ। उत्तरी भारत में तो बैंकों का ज़ाल ही बिछ गया जिसे कई अर्थशास्त्रियों ने स्वदेशी आंदोलन के उदय और विकास से संबद्ध किया। इसी समय देश के चार प्रमुख बैंकों– बैंक ऑफ इंडिया (1906), बैंक ऑफ बड़ौदा (1908), सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (1911) और बैंक ऑफ मैसूर (1913) की स्थापना की गई और छोटे बैंकों की संख्या पांच सौ के क़रीब पहुंच गई। आज थियोडोर लेविट जैसे विद्वान ने जिसे 'वैश्वीकरण' का नाम दिया है उसके प्रारंभिक संकेत हमें प्रथम विश्व युद्ध के काल में मिलते हैं। आज कहा जाता है कि संसार की सभी अर्थव्यवस्थाएं आपस में जुड़ी हुई हैं और किसी भी एक अर्थव्यवस्था की तेज़ी या मंदी का असर पूरी दुनिया के बैंकों व बाज़ारों पर तुरंत पड़ने लगता है।

गिलपिन ने वर्तमान समय को जिस आर्थिक परिप्रेक्ष्य में देखकर इसे 'विश्व अर्थव्यवस्था के एकीकरण' का काल कहा है उसे हम 1913 से 1917 तक के समय के दौरान भारत में बैंकिंग संकट के रूप में आसानी से देख सकते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ होते ही भारतीय बैंकों से जनविश्वास समाप्त होने लगा और जमाकर्ताओं ने अपने निक्षेप निकालने प्रारंभ कर दिए। फलस्वरूप भारतीय मुद्रा बाज़ार में मुद्रा की बहुत कमी हो गई। बाद में स्थिति सुधरी और सन् 1917 में उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से टाटा औद्योगिक बैंक की स्थापना की गई। पिछली सदी में तीस के दशक की भयानक वैश्विक मंदी ने तत्कालीन बैंकिंग व्यवस्था पर प्रतिकूल असर डाला फिर भी बैंकिंग क्षेत्र के बहुआयामी विकास का क्रम ज़ारी रहा। दूसरे महायुद्ध के चलते उत्पन्न मुद्रा प्रसार के कारण जनसामान्य की मौद्रिक आय में वृद्धि हो गई अतः सभी बैंकों के निक्षेप (डिपॉज़िट) बढ़ गए। युद्ध के दौरान बढ़ती हुई आर्थिक समृद्धि का लाभ उठाने के लिए पुराने बैंकों ने नयी-नयी शाखाओं की स्थापना की। इसके अतिरिक्त कुछ नये बैंक मसलन– भारत यूनाईटेड कमर्शियल बैंक और हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक भी अस्तित्व में आए। बैंकों की निवेश नीति में कुछ आधारमूलक परिवर्तन भी हुए। वास्तव में भारत की आज़ादी के आसपास का समय बैंकिंग विस्तार का समय है। बैंकों ने सरकारी प्रतिभूतियों (सिक्योरिटीज़) में पहले की तुलना में अधिक धन लगाना शुरू कर दिया था। दूसरे विश्वयुद्ध के पूर्व भारत के अनुसूचित बैंक अपने निवेश योग्य धन का लगभग 54 फ़ीसदी सरकारी प्रतिभूतियों में लगाया करते थे लेकिन युद्धकाल में यह बढ़कर 61 फ़ीसदी हो गया। इसके अतिरिक्त बैंकों ने अपनी कार्यशैली में भी कुछ परिवर्तन किए। उदाहरण के लिए भारतीय बैंकों ने पहले की तुलना में ज़्यादा नकद कोष रखने प्रारंभ कर दिए। युद्ध के पूर्व जहां वे अपने निक्षेपों का लगभग 11 फ़ीसदी नकद कोष के रूप में रखा करते थे, वहीं युद्धकाल में यह प्रतिशत बढ़कर 25 हो गया था।

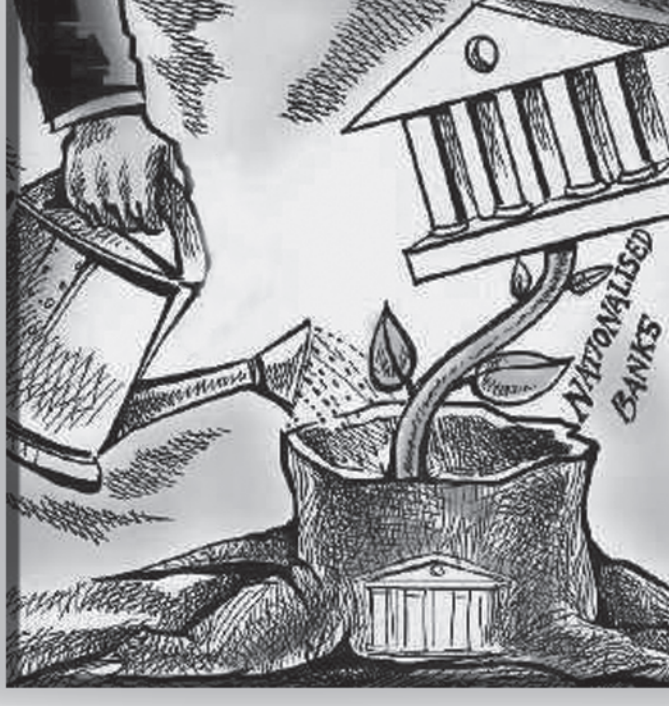

भारत सरकार ने रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए एक जनवरी, 1949 को उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया और भारतीय बैंकिंग का समन्वित नियमन करने के लिए मार्च 1949 में भारतीय बैंकिंग अधिनियम पारित किया। इस कानून के अंतर्गत अनुसूचित बैंकों का निरीक्षण करने के लिए रिज़र्व बैंक को व्यापक अधिकार प्रदान किए गए। आज वित्तीय संस्थाओं के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नियमन की जो चर्चा प्रासंगिक रूप से चल रही है उसकी आवश्यकता कई बार इसलिए भी होती है कि बैंकों को अधिक दक्ष व समयानुकूल बनाए जाने की अपेक्षा है। भारत एक कृषिप्रधान देश रहा है और हमारी ज़्यादातर आबादी गांवों में ही बसती है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए देश के ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग सुविधाओं का विकास करने के लिए इंपीरियल बैंक ऑफ़ इंडिया का जुलाई 1955 में आंशिक राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। सामाजिक क्षेत्र में प्रगति की अनिवार्यता को रेखांकित करते हुए बैंकों को और अधिक समाजोपयोगी व समाजोन्मुख बनाने की कोशिश की गई। इसी क्रम में देश के चौदह ऐसे बड़े बैंकों (व्यावसायिक बैंकों) का जुलाई 1969 में राष्ट्रीयकरण किया गया जिनकी जमाएं पचास करोड़ रुपये से अधिक थीं। एक दशक के बाद अप्रैल 1980 में फिर छह उन निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिनकी जमाएं दो सौ करोड़ रुपये से अधिक थीं। इन बैंकों में शामिल हैं– आंध्रा बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, विजया बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक और ओरिएण्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स। सितंबर 1993 में सरकार ने न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया जिसके कारण राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या बीस से घटकर उन्नीस रह गई।

आज भारतीय बैंकिंग क्षेत्र ने अपने बहुआयामी स्वरूप को अधिक सफलतापूर्वक व्यक्त किया है। प्लास्टिक मनी के इस दौर में बात एटीएम (एसिनक्रोनस ट्रांजेक्शन मोड, जिसे बोलचाल की भाषा में 'ऑल टाइम मनी' भी कह दिया जाता है) से भी आगे बढ़कर बायोमेट्रिक एटीएम

तक जा पहुंची है। इससे हेराफेरी या धोखाधड़ी के ख़िलाफ़ बैंकों के साथ-साथ ग्राहकों को भी गहरी सुरक्षा प्राप्त होती है क्योंकि बायोमेट्रिक एटीएम जैविक मापन अर्थात ग्राहक की विशिष्ट जैविक सूचनाओं से लैस होता है। आज कई भारतीय बैंक विदेशों में भी बेहतरीन कार्य-निष्पादन कर रहे हैं और अपनी कुशलता का लोहा मनवा रहे हैं। जहां तक संगठित मुद्रा बाज़ार की कार्यप्रणाली का प्रश्न है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को संगठित मुद्रा बाज़ार में शीर्ष स्थान प्राप्त है। वह अर्थव्यवस्था की हालत और उसके तापमान को देखते हुए तरलता को नियंत्रित कर सकता है तथा ऋण की लागत और इसकी उपलब्धता को प्रभावित कर सकता है। परंतु हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब मौद्रिक नीति के अस्त्रों की बात सामने आती है तब भारतीय रिज़र्व बैंक प्राय: परिमाणात्मक या मात्रात्मक तरीक़े का ही प्रयोग साख-नियंत्रण के लिए करता है। कई अर्थशास्त्रियों का कहना है कि परिमाणात्मक तरीक़े से साख-नियंत्रण करना एक सीमा तक ही उचित होता है क्योंकि इसकी अपनी सीमाएं हैं। वास्तव में मांग और पूर्ति को मुक्त छोड़ देने वाली समकालीन उदारवादी नीतियां आग्रह करती हैं कि साख नियंत्रण के लिए चयनात्मक या गुणात्मक तरीक़े का इस्तेमाल किया जाना चाहिए न कि परिमाणात्मक तरीक़े का।

बैंक दर को घटाना या बढ़ाना, खुले बाज़ार की क्रियाओं का प्रयोग करना, रेपो दर और रिवर्स रेपो दर को घटाना या बढ़ाना और नकद कोष अनुपात (सीआरआर) या वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) के ज़रिये मौद्रिक नीति में परिवर्तन लाने के उपाय जहां परिमाणात्मक किस्म के हैं, वहीं नैतिक दवाब का साख मापदंड के निर्धारण के ज़रिये कार्य करना गुणात्मक तरीक़े से साख नियंत्रित करने की विधियां हैं। अभी ज़्यादा दिन नहीं बीते जब देश के लगभग सभी गुलाबी अख़बारों में रोज़ शीर्षक देखने को मिलते थे जो रेपो और रिवर्स रेपो दर के घटने या बढ़ने से संबंधित होते थे। उपभोग के उच्चस्तर वाले विकसित पश्चिमी देशों में साख-नियंत्रण के गुणात्मक तरीके ही अधिक प्रयुक्त किए जाते हैं। आज हमारे बैंकिंग क्षेत्र के सामने एक चुनौती यह भी है कि हम बिना परिमाणात्मक तरीक़ों का प्रयोग किए साख को कैसे नियंत्रित करें। मुद्रास्फीति और शेयर बाज़ार के साथ-साथ जनता की क्रय शक्ति को बनाए व बचाए रखने की चुनौतियां भी हमारे बैंकिंग क्षेत्र के सम्मुख प्रमुखता से खड़ी हैं क्योंकि हमारा बैंकिंग क्षेत्र ग़रीबी और भुखमरी से जूझ रहे वर्गों के प्रति भी संवदेनशील है।

बैंकिंग क्षेत्र की चुनौतियों का ज़िक्र करते हुए इस बात का ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है कि संगठित क्षेत्र के तीव्र विस्तार के बावजूद हमारे मुद्रा बाज़ार में एक असंगठित क्षेत्र है। पंजाब में महाजन, उत्तर प्रदेश में साहूकार, मारवाड़ में सेठ और मद्रास में चेट्टी– जिन्हें देशी बैंकर्स भी कहा जाता है– प्रमुख चुनौती उत्पन्न करते हैं। असंगठित क्षेत्र में सर्वाधिक प्रचलित प्रपत्र हुंडी है जो एक तरह से देशी विनिमय विपत्र है। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण साहूकारों पर निर्भरता बहुत ज़्यादा पाई जाती है जो चिंता का विषय बनी हुई है। इसी निर्भरता को कम करने के लिए नाबार्ड ने स्वयं सहायता समूह योजना चलाई जो कुछ मिलते-जुलते लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्वैच्छिक संगठन के रूप में उल्लेखनीय है। खुदरा बैंकिंग, ई-बैंकिंग और कहीं भी बैंकिंग के इस उन्नत दौर में भी कई बुनियादी चुनौतियां ऐसी हैं जिनका सामना बैंकिंग क्षेत्र को करना पड़ता है। अर्थव्यवस्था में काले धन की समस्या भी बैंकिंग क्षेत्र के सुचारू संचालन पर नकारात्मक असर डालती है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हमारे बैंकिंग क्षेत्र के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में केंद्र सरकार पचास प्रतिशत, राज्य सरकार पंद्रह प्रतिशत और प्रवर्तक बैंक पैंतीस प्रतिशत पूंजी लगाता है। अनेक ग्रामीण बैंक आज घाटे में हैं जो ध्यान आकृष्ट करते हैं। गैर-निष्पादनीय संपत्ति (एनपीए) की चुनौती एक दूसरी समस्या है। नरसिंहम समिति ने बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए कुछ सुझाव दिए थे ताकि हम समय के अनुकूल चल सकें। समिति ने जहां एक ओर पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता को ध्यान में रखते हुए अधिक मज़बूत बैंकिंग प्रणाली पर ज़ोर दिया वहीं दूसरी ओर ऐसे कमज़ोर बैंकों को जिनकी गैर-निष्पादनीय संपत्तियां बहुत अधिक हैं पुनर्स्थापित करने के लिए 'संकीर्ण बैंकिंग' की धारणा को अपनाने पर बल दिया जिससे कमज़ोर बैंक अपने फंड अल्पकालीन ज़ोखिमरहित संपत्तियों में ही लगाएं। मज़बूत बैंकिंग प्रणाली के लिए आज बैंकों के विलय पर ज़ोर दिया जा रहा है किंतु बैंकों के कर्मचारी इस विलय का ज़ोरदार विरोध करते हैं। यह ऐसी जटिल चुनौती है जिससे निपटने के लिए संतुलित समाधान निकालते हुए रचनात्मक दृष्टि का परिचय देना होगा, क्योंकि भारत के नौकरीपेशा वर्ग का एक बड़ा हिस्सा बैंकों में कार्यरत है जिसके हितों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। इसके अतिरिक्त कई विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार को पूंजी पर्याप्तता अनुपात बढ़ाना चाहिए। वहीं सरकार पर ऐसे कई नीतिगत दबाव हैं कि वह किंकर्त्तव्यविमूढ़ होने के लिए विवश हो जाती है। वास्तव में हम तीसरी दुनिया के राष्ट्र हैं जहां एक साथ अनेक चुनौतियों से निपटना पड़ता है और विकल्पों की सीमितता हमें ख़ासा परेशान किया करती है।

तीसरी दुनिया का राष्ट्र होने के कारण और सामाजिक क्षेत्र के महत्वपूर्ण होने की वजह से हमारा बैंकिंग क्षेत्र अनेक जटिल ज़िम्मेदारियों का निर्वहन करता है। इसी संदर्भ में सामाजिक बैंकिंग की नयी अवधारणा भी प्रचलन में आई है। ऐसे बैंक जो निवेश और ऋण के सामाजिक प्रयोग की दृष्टि से कार्य करते हैं, जो पर्यावरणीय या सामाजिक उद्देश्य से संबंधित परियोजनाओं के लिए ऋण देते हैं, सामाजिक बैंक कहलाते हैं। इनमें से कुछ बैंक ऐसे हैं जो सूक्ष्म वित्त की व्यवस्था करते हैं ताकि ग़रीबों को छोटे उद्यम स्थापित करने में असुविधा न हो और उनकी जीविका का निर्वाह होता रहे। ये सामाजिक बैंक परंपरागत बैंकों की तुलना में कम लाभ के मार्जिन पर कार्य करते हैं और लाभ कमाने के सिद्धांत से इनका नियमन नहीं होता। सामाजिक बैंकों की धारणा वास्तव में जनकल्याणकारी अर्थव्यवस्था को निर्मित करने में प्रमुख भूमिका निभाती है।

निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि इक्कीसवीं सदी में आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्र में बैंकिंग का महत्व और उसकी भूमिका बढ़ी है। पूंजी की जटिल गतिशीलता व अधिक प्रवाहों-अंतर्प्रवाहों-बाह्यप्रवाहों के चलते बैंकिंग क्षेत्र के सम्मुख अनेक चुनौतियां भी खड़ी हुई हैं। आशा की जा सकती है कि हमेशा की तरह हमारा बैंकिंग क्षेत्र इन चुनौतियों से निपट लेगा और देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। ❑

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं
ई-मेल : pranjaldhar@gmail.com)

सार्वजनिक बैंक
वित्तीय जगत के महत्वपूर्ण खिलाड़ी

● वेद प्रकाश अरोड़ा

कोई भी विकसित, अविकसित अथवा विकासशील अर्थतंत्र हो या फिर अगड़ा या पिछड़ा देश हो उसे अपना विकासरथ चलाने, बढ़ाने और उसे रफ़्तार देने के लिए पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। यह निवेश इस रथ का तेल है। इस निवेश का तभी तेज़ी और निरंतरता से तथा कुशलतापूर्वक उपयोग हो सकता है जब निवेशकों की विभिन्न वित्तीय बाज़ारों में पहुंच और पैठ हो। इन बाज़ारों में बैंकों, ख़ासकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का भारत जैसे देश में एक ख़ास मुक़ाम तथा महत्वपूर्ण भूमिका है। वे बचतकर्ताओं, निवेशकर्ताओं और उपयोगकर्ताओं के त्रिकोण से महत्वपूर्ण कड़ी, बिचौलिए और खिलाड़ी का काम करते हैं। आप चाहें तो इस वित्तीय बाज़ार में विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष जैसे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संगठन भी शामिल कर सकते हैं। पिछले वर्ष 13 अक्तूबर को भारत सरकार ने देश की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पूंजीकरण के लिए कोई 4 अरब 30 करोड़ रुपये डाला यानी लगभग 21,000 करोड़ रुपये का कर्ज़ लेने का समझौता विश्व बैंक से किया व वर्ष 2009 में ही भारतीय रिज़र्व बैंक ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से 200 टन सोना खरीदा, जिसके लिए इस कोष को 17 हज़ार करोड़ रुपये दिए गए। वित्तीय बाज़ार में बैंकों के अलावा अन्य कई खिलाड़ी भी हैं, जैसे बीमा कंपनियां, पेंशन निधियां, म्युचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड; यानी साहसिक पूंजी निधि, शेयर बाज़ार और वस्तुविनिमय बाज़ार। ये सभी संगठन वित्तीय कानून में पूंजी और कर्ज़ लेने-देने, जमा करने तथा इनसे जुड़े तरह-तरह के मध्यवर्ती काम करते हैं।

जब हम अपने देश के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर नज़र डालते हैं तो यह तथ्य साफ़ उभरकर सामने आता है कि यह बैंक न सिर्फ़ निजी क्षेत्र के बैंकों, बल्कि विदेशी बैंकों, सहकारी बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं की तुलना में अधिक प्रभावी और सशक्त हैं। वह देश के बहुमुखी विकास में आर्थिक तंत्र के विशाल ताने-बाने को मज़बूत बनाने में जबरदस्त योगदान कर रहे हैं। इस संदर्भ में बैंकों के राष्ट्रीयकरण का औचित्य सहज समझ में आ जाता है और विभिन्न क्षेत्रों में उनके वजूद के निरंतर बिखरने और एक आंदोलन के रूप में उभरने की पृष्ठभूमि साफ़ उज़ागर होने लगती है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता इसलिए भी अधिक महसूस की गई कि निजी व्यापारिक बैंक, बैंकिंग के उन समाज और विकासपरक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए बेमन से काम कर रहे थे, जो किसी भी जनकल्याणकारी औद्योगिक देश की उन्नति के लिए ज़रूरी समझे जाते हैं। ये बैंक ग्रामीण क्षेत्रों और किसानों के हितों की अनदेखी करने के अलावा छोटे क़ारोबारियों और उद्यमियों की हालत सुधारने की तरफ कोई ख़ास ध्यान नहीं देते थे। यह बड़े औद्योगिक घरानों के लिए जीते थे और उनके हितों को सर्वोपरि मानकर उनके लिए काम करते थे। वाणिज्यिक बैंकों ने 1951 और 1968 के बीच उद्योगों को लगभग दोगुना कर्ज़ दिया। दूसरे शब्दों में ऋण राशि 34 प्रतिशत से बढ़कर 68 प्रतिशत हो गई। लेकिन कृषि के लिए 2 प्रतिशत से भी कम कर्ज़ आवंटित किया गया। निर्यात और छोटे उद्योगों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की तो एक तरह से अनदेखी कर दी गई। लेकिन बैंकों के राष्ट्रीयकरण से यह सुनिश्चित बना दिया गया कि ऋण राशियों का आवंटन महत्व के प्राथमिकता क्रम से किया जाएगा। आरंभ में वाणिज्यिक बैंकों के विस्तार में उनकी संख्या बढ़ाने पर ज़ोर दिया गया। जून 1969 में इनकी कुल 8,261 शाखाएं थीं जो वर्ष 2000 में बढ़कर 65,521 हो गईं। नब्बे के दशक में इन बैंकों की ग्रामीण शाखाएं खोलने की ओर ख़ास ध्यान नहीं दिया गया लेकिन बाद में इस संख्या में सराहनीय बढ़ोतरी होने लगी। वर्ष 1969 में जहां 65,000 की जनसंख्या के लिए एक बैंक शाखा होती थी, वहीं वर्ष 2001 में 15,000 व्यक्तियों के लिए एक शाखा का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया। रकमों को ज़मा करने और कर्ज़ देने– दोनों क्षेत्रों में विस्तार होता चला गया। प्राथमिकता क्रम की अवधारणा में बदलाव देखने में आया। राष्ट्रीयकरण के बाद कृषि, छोटे उद्योगों, खुदरा व्यापार, छोटे क़ारोबारियों और छोटे परिवहन ऑपरेटरों को ऋण दायरे में शामिल कर उनकी ज़रूरतें पूरी करने पर पहले ध्यान दिया गया। वक़्त के साथ-साथ छोटे लाभार्थियों की सूची का विस्तार होता चला गया। बैंकों के कुल ऋण का 40 प्रतिशत निर्धन वर्ग के लोगों के लिए निर्धारित कर दिया गया। 18 प्रतिशत ऋण किसानों को देने का प्रावधान किया गया ताकि साहूकारों और

महाजनों का उन पर शिकंजा ढीला हो सके। वर्ष 1970 के पूर्वार्द्ध में ग़रीबी कम करने और रोज़गार देने के कार्यक्रमों के साथ बैंकों को सक्रिय रूप से जोड़ दिया गया। कृषि क्षेत्र के लिए अधिक बैंक ऋण देने से हरित क्रांति की सफलता में योगदान मिला। वर्ष 1980 के दशक में छोटे विनिर्माताओं के निर्यात में इतनी ज़बरदस्त वृद्धि हो गई कि कुल निर्यात मूल्य में इनका प्रतिशत लगभग दो-तिहाई हो गया।

इस विस्तार प्रक्रिया से बैंक के कामकाज़ में कुछ ख़ामियां देखने में आईं, जिन्हें दूर करने के लिए नरसिंहन कमेटी ने राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलने और उन्हें ज़ारी रखने के लिए लाभकारिता को कसौटी बना दिया। प्राथमिकता के मानकों में बदलाव लाकर कृषि के लिए न्यूनतम आवंटन की सीमा हटा दी गई और साथ ही कई अन्य कृषि कार्यों को इसमें शामिल कर लिया गया। बात यहीं तक सीमित नहीं रही। बैंकों की कार्यपरिधि सब दिशाओं में बढ़ती चली गई। चाहे अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो या अंतरराष्ट्रीय आयात-निर्यात, कृषि क्षेत्र के नये-नये काम हों या उद्योग, शिक्षा हो या शिक्षा से इतर सामाजिक कार्य, विभिन्न फ्लैगशिप योजना हो या बुनियादी ढांचे के कार्यक्रम, महंगाई हो या मंदी सब स्थितियों और क्षेत्रों में सार्वजनिक बैंकों की बहुआयामी भूमिका को नकारना सच से मुंह मोड़ना होगा।

लेकिन जब हम कुछ पीछे मुड़कर देखते हैं तो कह सकते हैं कि पहले देश में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का कहीं कोई नामोनिशान तक नहीं था लेकिन अगर कहीं किसी रज़वाड़े का कोई बैंक रहा हो, तो उसकी भूमिका और स्थान नगण्य था। अंग्रेज़ों की साम्राज्यवादी निशानी इंपीरियल बैंक को वर्ष 1955 के भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम के अंतर्गत उसी वर्ष जुलाई में राष्ट्रीय अधिकार में ले लिया गया और उसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रख दिया गया। यह बैंक आज देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। तब बैंकिंग नियमन-कानून के नियंत्रण प्रावधानों के बावजूद इस बैंक को छोड़ अन्य बैंकों का स्वामित्व और संचालन निजी हाथों में बना रहा। लेकिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण का सिलसिला आरंभ होने के बाद बैंकिंग परिदृश्य बदलता चला गया। तब भारतीय स्टेट बैंक के सात सहायक बैंकों को उनकी 200 करोड़ रुपये से अधिक की पूंजी के साथ राष्ट्रीय अधिकार में ले लिया गया।

लेकिन बैंकों के राष्ट्रीयकरण का बड़ा कदम वर्ष 1969 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने उठाया। राष्ट्रीयकरण का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग के बुनियादी ढांचे का निर्माण कर जगह-जगह उसकी शाखाएं खोलना और भारतीय किसानों को सस्ता कर्ज़ उपलब्ध कराना था। राष्ट्रीयकरण के इस युगांतकारी कदम के तहत 14 बड़े वाणिज्यिक बैंकों को सरकारी अधिकार में लिया गया। इनमें इलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ़ बड़ौदा, बैंक ऑफ़ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया, कॉरपोरेशन बैंक, देना बैंक, इंडिया बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, ओरियंटल बैंक ऑफ़ कॉमर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडीकेट बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया और विजया बैंक शामिल हैं। तब देश के महान क्रांतिकारी जयप्रकाश नारायण ने कहा था यह कदम बेहतरीन राजनीतिक विवेक का कमाल है।

वर्ष 1980 में भारतीय बैंकों के राष्ट्रीयकरण के दूसरे दौर में सात और बैंकों को सरकारी अधिकार में लिया गया। इस कार्रवाई से क्रेडिट देने के मामले में सरकारी हाथ और मज़बूत हो गए। राष्ट्रीयकरण की इस दूसरी खुराक़ के साथ भारत सरकार का देश के अंदर बैंकिंग उद्योग के 91 प्रतिशत क़ारोबार पर नियंत्रण हो गया। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों की जमापूंजी और अग्रिम राशियों में ज़बरदस्त उछाल आता चला गया।

उदारीकरण का दौर

1990 के दशक के आरंभ में नरसिम्हा राव सरकार ने आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत करते हुए कुछ छोटे निजी बैंक खोलने की अनुमति देने के लाइसेंस ज़ारी किए। इन्हें नयी पीढ़ी के तकनीक कुशल बैंक नाम दिया गया। इन बैंकों में ग्लोबल ट्रस्ट बैंक भी शामिल थे। ये छोटे-छोटे बैंक बाद में ओरिएंटल बैंक ऑफ़ कॉमर्स, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक से मिल गए। एक्सिस बैंक पहले यूटीआई बैंक कहलाता था। इन कदमों ने सिर्फ़ बैंकिंग उद्योग ही नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था के तेज़ विकास में नयी गति ला दी। यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा कि बैंकिंग व्यवसाय के त्रिभुज में निजी बैंकों, विदेशी बैंकों और तेज़ी से विस्तार कर रहे सरकारी बैंकों के सुदृढ़ योगदान ने देश की अर्थव्यवस्था को नयी बुलंदियों पर पहुंचा दिया है।

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

भारतीय बैंकिंग उद्योग का अगला दौर विदेशी प्रत्यक्ष पूंजी निवेश के नियमों को नरम बनाने के साथ आरंभ हुआ। इन नियमों में विदेशी पूंजी निवेशकों को वोट डालने का अधिकार देने का प्रावधान है। कुछ शर्तों-बंदिशों के साथ यह अधिकतर 10 प्रतिशत की सीमा से आगे 49 प्रतिशत तक जा सकता है। इन नयी नीति ने देश के बैंकिंग उद्योग को हिलाकर रख दिया। इस समय तक बैंकर 4-6-4 की कार्य प्रणाली यानी 4 प्रतिशत उधार लेने, 6 प्रतिशत उधार देने और 4 प्रतिशत घर ले जाने के तौर-तरीक़े के अभ्यस्त थे। लेकिन नयी लहर के आने पर परंपरागत बैंकों के काम में आधुनिक दृष्टि और नयी तकनीकी कौशल से काम किया जाने लगा। इससे देश के खुदरा व्यापार में चहल-पहल और रौनक बढ़ गई। लोगों ने बैंकों से अधिक की ही मांग नहीं की बल्कि उन्हें अधिक हासिल भी हुआ।

अब यह कहने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए कि देश में बैंकिंग व्यवसाय, आपूर्ति, कार्यक्षेत्रों, कार्य-संस्कृति और पहुंच जैसे विभिन्न पहलुओं में अनुभव की परिपक्वता, गुणवत्ता और पारदर्शिता में किसी भी बैंकिंग व्यवसाय से पीछे नहीं है। फिर भी आज देश में 60 प्रतिशत से कुछ अधिक लोगों का किसी भी बैंक में ख़ाता नहीं है। ख़ातों की संख्या के मामले में गांव शहरों से काफी पीछे हैं। लगभग 6 लाख गांवों में से केवल 31 हज़ार गांवों में बैंक सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह संख्या ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना' के अंतर्गत गांव-गांव में डाकघरों और बैंकों के माध्यम से श्रमिकों को मेहनताना देने से बैंकों के विस्तार को गति मिली है। अन्य तरीक़ों से भी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं बढ़ाने के लिए ज़ोरदार कदम उठाए जा रहे हैं। इसके लिए गांवों में डाकघरों का उपयोग किया जाएगा। देश में कुल 1 लाख 55 हज़ार 35 डाकघरों में से 1 लाख 39 हज़ार 173 डाकघर गांवों में हैं। अब इन डाकघरों को डाक बैंकों में बदलकर आवास ऋण और बच्चों के लिए शिक्षा ऋण देने का काम भी बड़े पैमाने पर करने का प्रस्ताव है। डाकघरों के डाक बैंकों में तब्दील होने तक डाक विभाग राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ सहमति-पत्र तैयार कर रहा है। पहले दौर में स्टेट बैंक के

शेषांश पृष्ठ 52 पर

ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं

● नवीन पंत

भारतीय बैंकिंग व्यवस्था के मुख्य धारक हैं, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और निजी क्षेत्र के बैंक। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया देश का केंद्रीय बैंक अथवा बैंकों का बैंक है। यह देश में बैंकिंग गतिविधियों का नियंत्रण और नियमन करता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक वह बैंक हैं जिनका वर्ष 1969 और 1980 में राष्ट्रीयकरण किया गया था। निजी क्षेत्र में दो तरह के बैंक हैं पुराने और नये। पुराने बैंक वे हैं जो उदारीकरण के बाद अस्तित्व में आए। इनमें से कुछ ने अर्थव्यवस्था में अपने लिए विशेष स्थान बना लिया है और इनकी गणना देश के अग्रणी बैंकों में की जाने लगी है।

उदारीकरण के बाद बैंक व्यवस्था में सुधारों की मांग ज़ोर-शोर से की गई है। बैंक व्यवस्था में दो तरह के सुधारों की मांग की गई है, उपचारात्मक और निवारक। उपचारात्मक सुधारों के अंतर्गत सरकार और बैंकों को बाज़ार उन्मुख नीतियां अपनाने, प्रतियोगिता को बढ़ावा देने, सेवा संबंधी आवश्यकताओं में कमी लाने और ब्याज़ दरों को नियंत्रण से मुक्त करने की सलाह दी गई है। निवारक सुधारों में बैंक की लाभप्रदता बढ़ाने के लिए धोखाधड़ी, चालबाज़ी की रोकथाम आदि विषय शामिल हैं।

सरकार सुधारों की इन मांगों से लगभग सहमत है किंतु अनेक कारणों से इस दिशा में अपेक्षित प्रगति नहीं हो सकी है। मुख्यधारा के अनेक राजनीतिक दल और अर्थशास्त्री राष्ट्रीयकृत बैंकों में सरकार की अंशधारिता को कम करने के विरुद्ध हैं। इन बैंकों के कर्मचारियों की यूनियनें भी सुधारों के विरुद्ध हैं। उनका यह भी कहना है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वे लंबी हड़ताल पर जा सकते हैं।

मांग यह भी है कि सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का विलय करके देश में 6-7 बड़े सुदृढ़ बैंक बनाए जाएं जो अपनी भूमिका का निर्वाह कुशलता से कर सकें और साधनों की कमी के कारण प्रतियोगिता में पीछे न रहें। बैंक कर्मचारी इस मांग का भी विरोध कर रहे हैं। उन्हें आशंका है कि ऐसा करने पर कर्मचारियों की छंटनी की जा सकती है।

भारतीय कृषि आज भी मानसून पर निर्भर है। समय-समय पर सूखा, फ़सल पर लगने वाली बीमारियां, बेमौसम वर्षा और ओले-तूफ़ान न केवल किसान की परेशानियां बढ़ा देते हैं बल्कि कृषि को ज़ोखिमभरा उद्यम बना देते हैं। इन परेशानियों के कारण किसानों को साहूकारों की शरण में जाना पड़ता है। साहूकार किसानों को अत्यधिक ब्याज़ पर ऋण प्रदान करते हैं और ऋण का भुगतान न होने पर किसान की ज़मीन पर कब्ज़ा कर लेते हैं। भारतीय किसानों को अपनी ज़मीन से बहुत प्यार है। ज़मीन उसे भोजन देने के अलावा समाज में प्रतिष्ठा दिलाती है। देश में कृषि के विकास में व्यापक ऋणग्रस्तता सबसे बड़ी समस्या है।

हमें अपने सकल घरेलू उत्पाद का 21 प्रतिशत कृषि से प्राप्त होता है। हमारी 66.6 प्रतिशत जनसंख्या कृषि से अपनी आजीविका प्राप्त करती है। कृषि के विकास में कृषि ऋण की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए स्वतंत्रता के बाद सरकार और रिज़र्व बैंक ने कृषि के विस्तार को सर्वाधिक महत्व दिया है। कृषि ऋण की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए संस्थागत ढांचे की व्यवस्था की गई है। यह भी निश्चय किया गया है कि अनुसूचित और वाणिज्यिक बैंक कुल बैंक ऋण का 18 प्रतिशत कृषि क्षेत्र को दें।

किसानों को संस्थागत ऋण सहकारी समितियों द्वारा देने की शुरुआत सन् 1870 में शुरू हुई। प्रारंभ में ऐसे ऋण सूखे के दौरान दिए गए। वर्ष 1904 में सहकारी समितियां अधिनियम पारित किया गया और किसानों को ऋण देने का कार्य सहकारियों को सौंप दिया गया। वर्ष 1935 में रिज़र्व बैंक की स्थापना तक सहकारी समितियां कृषि ऋण वितरण का दायित्व निभाती रहीं। रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 54 में उसे कृषि ऋण विभाग स्थापित करने का निर्देश दिया गया। इस विभाग के विशेषज्ञों को केंद्र सरकार प्रांतीय (अब राज्य) सरकारों, राज्य सहकारी बैंकों और अन्य बैंकों को कृषि ऋण देने के संबंध में सलाह देने का कार्य सौंपा गया था। अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत इसे राज्य सहकारी बैंकों के ज़रिये कृषि ऋण देने का अधिकार था।

रिज़र्व बैंक ने वर्ष 1936-37 में दो अध्ययन कराए। इससे पता लगा कि समस्त कृषि ऋण

साहूकारों द्वारा दिया जाता है और इसमें सहकारी समितियों और अन्य एजेंसियों की भूमिका नगण्य है। इसके बाद रिज़र्व बैंक ने सहकारी ऋण व्यवस्था को मज़बूत और कारग़र बनाने पर ज़ोर दिया। इन प्रयत्नों के बावजूद वर्ष 1951 में केवल 3.3 प्रतिशत कृषक सहकारियों से और 0.9 प्रतिशत वाणिज्यिक बैंकों से ऋण प्राप्त कर रहे थे। वर्ष 1963 में रिज़र्व बैंक ने सहकारियों को संसाधन उपलब्ध कराने के लिए कृषि पुनर्वित्त निगम की स्थापना की लेकिन सहकारियों की दशा में कोई सुधार नहीं हुआ। अत: वर्ष 1966 में चौथी पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में कृषि ऋण की व्यवस्था के लिए ग्रामीण ऋण समीक्षा समिति गठित की गई। समिति ने सिफ़ारिश की कि सहकारियों के अलावा वाणिज्यिक बैंक भी कृषि ऋण प्रदान करें। वर्ष 1969 में पहली बार कृषि क्षेत्र को ऋण प्राप्त करने के लिए प्राथमिकता क्षेत्र में लाया गया। वर्ष 1969 और 1980 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद वाणिज्यिक बैंकों ने कृषि क्षेत्र को ऋण देने में तेज़ी दिखाई।

बैंक राष्ट्रीयकरण के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित बैंकों की 1,833 शाखाएं थीं जो मार्च 2005 में बढ़कर 32,115 हो गई। कृषि क्षेत्र को ऋण देने वाली सहकारियों की संख्या जो जून 1980 में 95,871 थीं वर्ष 2003 में बढ़कर 1,10,000 हो गई। बैंक राष्ट्रीयकरण के बाद किसानों को संस्थागत ऋण मिलने में काफ़ी वृद्धि हुई है। किसानों को वर्ष 1971 में 31.7 प्रतिशत संस्थागत ऋण मिला था जो वर्ष 1981 में बढ़कर 63.2 प्रतिशत और वर्ष 1991 में 66.3 प्रतिशत हो गया। इसी तरह वर्ष 1970-71 में कृषि क्षेत्र को 744 करोड़ रुपये ऋण मिला था जो वर्ष 1980-81 में बढ़कर 3,292 करोड़ रुपये हो गया।

तथापि कृषि क्षेत्र की आवश्यकता को देखते हुए यह वृद्धि अपर्याप्त थी। वाणिज्यिक बैंक छोटे और बहुत छोटे किसानों की ज़रूरतें पूरी करने की स्थिति में नहीं थे। सहकारियों के पास साधन नहीं थे। अत: यह सुझाव आया कि कृषि ऋण की व्यवस्था के लिए पृथक ढांचा बनाया जाए। इस सुझाव को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए वर्ष 1982 में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अस्तित्व में आया। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अथवा 'नाबार्ड' ने अपनी स्थापना के बाद कृषि ऋण उपलब्ध कराने, वित्तीय सहायता प्रदान करने तथा कृषि क्षेत्र को ऋण उपलब्ध कराने के लिए संस्थागत विकास करने और ग्रामीण ऋण वितरण को बढ़ावा देने में उल्लेखनीय कार्य किया है। नाबार्ड ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास निधि (आरआईडीएफ) का भी संचालन करता है। इसकी समग्र निधि का कुछ भाग अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिया जाता है।

आर्थिक सुधारों की शुरुआत के समय कृषि ऋण की व्यवस्था संतोषज़नक नहीं थी। नब्बे के दशक में इस स्थिति को सुधारने के लिए अनेक समितियां और कार्यदल बनाए गए और उन्होंने स्थिति में सुधार लाने के लिए अनेक सिफ़ारिशें कीं। रिज़र्व बैंक ने इनकी अधिकांश सिफ़ारिशों को स्वीकार कर लिया। केंद्र सरकार ने वर्ष 2004 में अगले तीन वर्षों के दौरान सभी वित्तीय संस्थाओं द्वारा कृषि ऋण का प्रवाह बढ़ाने के लिए अनेक उपायों की घोषणा की। कृषि ऋण में 30 प्रतिशत की और वृद्धि की गई। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से कहा गया कि वह 50 लाख नये किसानों को ऋण दें।

वर्ष 2004-05 में कृषि ऋण लक्ष्य से काफ़ी ऊपर 1,25,309 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। वर्ष 2006-07 में ऋण स्तर बढ़ाकर 1,75,000 करोड़ रुपये और 50 लाख और किसानों को कृषि ऋण देने को कहा गया। वित्तमंत्री ने यह भी घोषणा की कि सरकार न केवल निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करेगी बल्कि कृषि ऋण को दुगुने से अधिक कर देगी। काश्तकार किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए वित्तमंत्री ने बैंकों से काश्तकार किसानों के स्वयं सहायता समूहों के लिए अलग खिड़की खोलने और उन्हें कुल ऋण का एक निर्धारित हिस्सा देने का आदेश दिया।

किसानों को अतिरिक्त राहत देने के लिए वित्तमंत्री ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और पीएसीएस से वर्ष 2005-06 की खरीफ़ की फ़सल के लिए ऋण लेने वालों को ब्याज़ में 2 प्रतिशत की छूट देने की घोषणा की। इस घोषणा का सीधा-सा अर्थ यह था कि किसानों को 9 प्रतिशत के स्थान पर केवल 7 प्रतिशत ब्याज़ देना पड़ा। लेकिन यह छूट कुछ विशिष्ट बैंकों से ऋण लेने वाले किसानों तक सीमित थीं। अत: इसका लाभ सभी किसानों को नहीं मिल सका।

किसान सहकारियों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से अल्पावधि ऋण लेते हैं। इन ऋणों का वित्तपोषण नाबार्ड से किया जाता है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक भी किसानों को अधिक ऋण प्रदान कर रहे हैं। सरकार ने यह व्यवस्था की है कि किसानों को 7 प्रतिशत ब्याज़ पर ये अल्पकालिक ऋण मिलते रहें और इनमें किसी तरह की कमी न की जाए। इस तरह के ऋणों की सीमा 3 लाख रुपये निर्धारित की गई है। इसके लिए सरकार नाबार्ड को आवश्यक सहायता दे रही है।

बैंक राष्ट्रीयकरण के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में वाणिज्यिक बैंकों की संख्या बढ़ी है। फिर भी वह आवश्यकता से कम है। अत: ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की अधिक शाखाएं खोली जानी चाहिए। इन शाखाओं के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में 'चलते-फिरते बैंक' शुरू किए जाने चाहिए।

वर्तमान में किसानों को खेती के अलावा अन्य कार्यों, जैसे– विवाह, उत्सव, तीर्थयात्रा आदि के लिए ऋण नहीं दिया जाता है। वित्तीय संस्थाओं से ऋण न मिलने पर किसान इन कार्यों के लिए साहूकारों से ऋण लेता है जो कानून की धज्ज़ियां उड़ाते हुए किसानों की ज़मीन को ग़िरवी रखते हैं। अत: इस बात की व्यवस्था होनी चाहिए कि किसानों को खेती के अलावा अन्य कार्यों के लिए भी ऋण मिल सके।

राष्ट्रीय कृषि नीति, 2000 और दसवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र के लिए 4 प्रतिशत वार्षिक दर निश्चित की गई। यह दर तब तक प्राप्त नहीं की जा सकती थी जब तक कृषि क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर निवेश नहीं किया जाता। इसी के साथ किसानों को विशेषकर छोटे और बहुत छोटे किसानों को छोटे ऋण प्रदान करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

यह कार्य सहकारी समितियां बहुत अच्छी तरह से कर सकती हैं क्योंकि उनकी पहुंच काफ़ी दूर तक होती है। सहकारी समितियों को अब तक साधनों की कमी का सामना करना पड़ता था। अब यह निश्चित किया गया है कि सहकारी समितियों को सुदृढ़ बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें एकमुश्त सहायता देगी और सहकारियों के कामकाज पर रिज़र्व बैंक का नियंत्रण हो। इस विषय पर राज्य सरकारों और रिज़र्व बैंक के बीच सहमति-पत्रों पर हस्ताक्षर होने से सहकारी समितियों की स्थिति मज़बूत हुई है और अब वे छोटे एवं बहुत छोटे किसानों की बेहतर सेवा कर सकेंगी। ❑

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
चुनौतियां एवं समाधान

● सुभाष चंद्र वर्मा

भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ज़रूरतों को पूरा करने तथा ग्रामीण एवं कमज़ोर वर्गों के लोगों को कम लागत पर ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 26 सितंबर, 1975 को क्षेत्रीय बैंकों की स्थापना की गई। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक विशेषीकृत ग्रामीण वित्तीय संस्थाएं हैं जोकि ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। इन बैंकों द्वारा कृषि, कृषि आधारित लघु एवं कुटीर उद्योग, व्यवसाय तथा दस्तकारी हेतु ऋण प्रदान किए जाते हैं। भारत सरकार के कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में ऋण प्रवाह को दुगुना करने के प्रयासों के संदर्भ में यह महसूस किया गया कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ग्रामीण अनुकूलन के परिप्रेक्ष्य में उनका उपयोग ऋण सुपुर्दगी के एक प्रभावी साधन के रूप में किया जा सकता है।

वर्तमान स्थिति

बैंकिंग सुधारों के लागू होने से पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की ज़मा‌ओं एवं इनके द्वारा खोली गई शाखाओं ने अपने कार्यक्षेत्र में काफ़ी वृद्धि की है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा ग्रामीण विकास हेतु सरकार द्वारा चलाए गए बीस-सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत अधिकांश ऋण वितरित किए गए। इन बैंकों पर राज्य सरकार, प्रायोजित बैंक और केंद्र सरकार का नियंत्रण होने के कारण इन सभी को पूर्ण सहयोग नहीं मिल पाया। बैंकिंग सुधारों के लागू होने के बाद भारतीय बैंकिंग में आए दिन नये-नये परिवर्तन होने लगे और इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा चरम बिंदु पर होने के कारण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का सरकारी, निजी एवं विदेशी बैंकों के साथ चलना अनिवार्य हो गया है। इस कारण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने जिस तीव्रता से सरकार के दबाव में आकर ऋणों का वितरण किया उतनी तीव्रता से बैंकों में वसूली का कार्य नहीं हो सका। इससे अतिदेय एवं वसूली की समस्या खड़ी हो गई। सरकार द्वारा समय-समय पर ऋण माफ़ी योजना लागू करने, राजनीतिक हस्तक्षेप, प्रभावी नियंत्रण में कमी, ऋण प्रक्रिया में खामियां, समय पर वसूलियों का न होना आदि अनेक ऐसे कारण उत्पन्न हो गए जिनकी वज़ह से इन बैंकों की अधिकांश शाखाएं हानि की ओर अग्रसर होती चली गईं। वर्ष 1997 में जहां अनर्जक आस्तियां 36.8 प्रतिशत थीं, वह वर्ष 2008 में घटकर 5.9 प्रतिशत रह गई हैं। वर्ष 2008 के अंत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की अनर्जक आस्तियां 2.2 प्रतिशत पर आ गई हैं जबकि ग्रामीण बैंक अभी भी यह दर 5.9 प्रतिशत बनाए हुए हैं। अत: इन बैंकों को अभी भी अपनी कार्यप्रणाली में सुधार की आवश्यकता है।

समस्याएं

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में समाज के कमज़ोर वर्गों को ऋण उपलब्ध कराने तथा आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन बैंकों ने ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में लघु एवं सीमांत किसानों, कृषि श्रमिकों तथा लघु एवं कुटीर उद्यमियों को ऋण प्रदान करने में कोई कमी नहीं छोड़ी तथा उनके विकास में भरपूर सहयोग किया। बावजूद इसके यह बैंक उतनी अच्छी कार्य निष्पादकता प्रदर्शित नहीं

तालिका

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विकास के संकेतक *(रुपये करोड़ में)*

क्रम सं.	विवरण	2001	2004	2005	2006	2007	2008
1.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या	196	196	196	133	96	91
2.	जिलों की संख्या	484	518	523	525	357	अनुपलब्ध
3.	शाखाओं की संख्या	14,313	14,446	14,501	14,449	10,563	अनुपलब्ध
4.	जमा	38,272				99,095	
5.	अनर्जक आस्तियां (प्रतिशत में)	9.17	8.50	4.84	3.99	5.03	5.90
6.	लाभ वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	170	163	166	111	81	82
7.	हानि वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	26	33	30	22	15	9

स्रोत : *योजना आयोग की वित्तीय समिति की रिपोर्ट, जनवरी 2008*

कर पाए जितनी कि इनसे आशा की जाती थी। इसके प्रमुख कारण निम्न हैं :

- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में आपसी समन्वय की समस्या प्रमुख है क्योंकि बहुत से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रवर्तक बैंक स्वयं ही अपनी ग्रामीण शाखाएं इन बैंकों के क्षेत्र में खोल देते हैं। इसलिए इन बैंकों के सम्मुख अनावश्यक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो जाती है।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में आज भी प्रशिक्षित कर्मचारियों एवं अधिकारियों का अभाव है जिसके कारण बैंकों की नीतियों का अपेक्षित लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है।
- इन बैंकों का पूंजी आधार आज भी कमज़ोर है क्योंकि अधिकांश बैंक घाटे में चल रहे हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि ये बैंक अधिकांशत कमज़ोर वर्गों को ऋण देते हैं। ऋण के ब्याज़ दरों का कम होना तथा छोटे-छोटे ऋणों के रखरखाव पर होने वाली उच्च परिचालन लागत इन बैंकों को घाटे की ओर अग्रेसित करती है।
- इन बैंकों की अपनी कुछ सीमाएं हैं जिससे वह ग्राहकों को वाणिज्यिक बैंकों की भांति संपूर्ण सेवाएं उपलब्ध नहीं करा पाते। परिणामस्वरूप उनकी आय अर्जित करने की क्षमता कम होती है।
- बैंकों की अनर्जक आस्तियों का प्रतिशत अन्य बैंकों की तुलना में आज भी काफ़ी ऊंचा है क्योंकि ये बैंक ऋण प्रदान करते समय प्रतिभूति एवं जमानत पर अधिक बल नहीं देते।
- बैंकों द्वारा अपने प्रायोजक बैंक के पास जो राशि ज़मा की जाती है, उस पर इन्हें कम दर पर ब्याज़ दिया जाता है जबकि प्रायोजक बैंक उस धन को खुले बाज़ार में लगाकर अधिक ब्याज प्राप्त करते हैं।
- बैंकों में ग्राहकों की समस्या के निवारण हेतु निर्धारित समय पर ग्राहक गोष्ठी का आयोजन नहीं किया जाता और कागज़ी खानापूर्ति कर दी जाती है। अधिकांश क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखाओं के परिसर में ग्राहकों के बैठने, पीने के पानी तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं का अभाव होता है।
- इन बैंकों में भर्ती के समय स्थानीय निवासियों की नियुक्ति पर ध्यान नहीं दिया जाता परिणामस्वरूप शहरी कर्मचारी नियुक्त हो जाते हैं जो ग्रामीण समस्याओं एवं वातावरण से अनभिज्ञ होते हैं। अधिकांश कर्मचारी प्रतिदिन शहरों से ही आना-जाना करते हैं, जिससे बैंक की कार्यप्रणाली प्रभावित होती है। उन्हें पूर्ण रूप से प्रशिक्षण भी नहीं दिया जाता जिसके कारण कर्मचारियों के पास बैंकिंग से संबंधित नवीनतम जानकारियों का अभाव रहता है और वे ग्राहकों को भी आधी-अधूरी सूचनाएं देकर उनका नुक़सान करते हैं।

चुनौतियां

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने आर्थिक सुधारों के बाद अपनी कार्यशैली में काफ़ी बदलाव एवं सुधार किया है। वर्तमान में इन बैंकों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है जबकि इन बैंकों को अपने कार्य एवं सेवाओं में पूर्णत: छूट प्राप्त नहीं है। शाखाओं में कर्मियों का अभाव है। सभी शाखाएं बैंकिंग नेटवर्क के साथ अभी भी नहीं जुड़ पाई हैं। फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपना कार्य सफलतापूर्वक कर रहे हैं। फिर भी इनके सामने अभी भी बहुत-सी चुनौतियां हैं जो निम्नवत हैं :

- सरकार द्वारा लागू विभिन्न योजनाओं को सीधे इन बैंकों के माध्यम से लागू करना।
- बैंकों की कार्यप्रणाली पर सरकार द्वारा लगाए गए विभिन्न प्रतिबंधों में छूट देने की आवश्यकता।
- इनमें कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उत्पादकता के घटते स्तर को देखते हुए उन्हें प्रशिक्षित करने की आवश्यकता।
- बैंकों की ग्रामीण शाखाओं के अंतर्गत आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि करना।
- गैर-ब्याज आय वाले कार्यों को प्रोत्साहन की आवश्यकता।
- बैंकों के कार्य एवं नीतियों में बढ़ता राजनैतिक हस्तक्षेप।

सुझाव

- आज के दौर में भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बहुत अधिक प्रासंगिक दिखाई पड़ते हैं क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था का ढांचा एवं स्वरूप ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित है। इन बैंकों को आने वाले समय में सफलता प्राप्त करने के लिए निश्चित रूप से अपनी कार्यप्रणाली में परिवर्तन लाना होगा। अन्य बैंकों की भांति इन बैंकों को भी स्वतंत्र निर्णय की छूट दी जानी चाहिए।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा ग्राहकों को काउंटर पर दी जाने वाली सेवाओं में भी अपेक्षित सुधार करना होगा। शाखा परिसर में ग्राहकों के बैठने, हवा एवं पानी की व्यवस्था तथा ग्राहकों की शिकायतों का निवारण अविलंब किया जाए।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में नवीनतम अवधारणा, जैसे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सेवाएं आदि को लागू करने से पहले आधारभूत ढांचे को धीरे-धीरे विकसित करना होगा।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्धारित योग्यता के आधार पर ही भर्ती एवं नियुक्ति दी जाए, समय-समय पर प्रत्येक कर्मचारी को प्रभावशाली प्रशिक्षण प्रदान कर, कार्य के प्रति अभिप्रेरित किया जाए तथा कार्य की उत्कृष्टता के आधार पर इनकी पदोन्नति, स्थानांतरण एवं कार्य की तैनाती सुनिश्चित की जाए साथ ही बैंक के लक्ष्यों के प्रति जागरूक बनाया जाए।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को चाहिए कि अपनी ज़ोखिमों में कमी करने हेतु ऋणों की अनेक योजनाओं एवं उत्पादों के ज़रिये जैसे आवास ऋण, कृषि ऋण, स्वयं सहायता समूह के ऋण, डेबिड, क्रेडिट कार्ड, सरकार द्वारा लागू विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ऋण प्रदान करें जिससे वसूली की संभावनाएं भी प्रबल रहेंगी।
- इन बैंकों को आपसी प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए बाज़ार के विभिन्न हिस्सों की वर्तमान दशा एवं संभावनाओं का पता लगाना होगा तथा कम रुझान वाले एवं अनछुए क्षेत्रों की ओर अपने प्रयासों को तेज़ करना होगा।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को बदलते बैंकिंग परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए अपनी क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तन करना अनिवार्य होगा तथा अपनी कार्यप्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन करने होंगे। स्वयं को एक लाभप्रद संस्था के रूप में स्थापित करना होगा तभी यह बैंक प्रतिस्पर्धा को झेलकर अपनी सफलता सुनिश्चित कर पाएंगे तथा देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान कर सकेंगे। ❑

(लेखक योजना आयोग में आर्थिक अधिकारी हैं।
ई-मेल : sc.verma@nic.in)

बैंकिंग क्षेत्र में स्वचालन

● वी. दीनदयालन

सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और संचार नेटवर्किंग प्रणाली (सीएनएस) के कारण समूचे विश्व में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की कार्यप्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। भारतीय बैंकिंग उद्योग ने भी परिचालन कार्यकुशलता हासिल करने और वित्तीय समावेशन को यथार्थ में बदलने के लिए प्रौद्योगिकी का सहारा लिया है। दूर-दराज़ के क्षेत्रों में अब तक बैंकिंग सेवाओं से वंचित रहे लोगों तक उचित लागत व्यय पर यह सेवाएं पहुंचाना उपयुक्त प्रौद्योगिकी के बिना संभव नहीं था। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग सेवाओं के प्रदाय हेतु सूचना प्रौद्योगिकी के विकास को सुगम बनाने के लिए आईटी युक्त वित्तीय समावेश के वास्ते एक सलाहकार समिति का गठन किया है। प्रमुख बैंकों ने ग्राहक को कुशल और दक्ष सेवा प्रदान करने और स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम) सेवा, इलेक्ट्रॉनिक कोष अंतरण (ईएफटी) और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) प्रणाली जैसी उच्च तकनीक वाली विभिन्न प्रकार की सेवाएं पेश करने के लिए तत्परतापूर्वक कदम उठाए हैं। आने वाले समय में प्रौद्योगिकी में और भी विस्तार होगा और ग्राहक सेवाओं का मूल्य संवर्धन होगा। नयी-नयी योजनाएं तैयार होंगी, ज़ोखिम से बचने की व्यवस्था सुदृढ़ होगी आदि। ई-बैंकिंग पहले से ही बहुत से भारतीयों के लिए अपरिहार्य सच्चाई बन चुकी है। उपभोक्ता को इस कदर आकर्षिक करने वाली इस सेवा की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं :

- किसी भी समय/स्थान पर वह अपने चालू/बचत खाते में शेष राशि की जानकारी प्राप्त कर सकता है;
- बिलों का भुगतान ऑनलाइन कर सकता है;
- खाते की जानकारी डाउनलोड कर सकता है;
- खाते से खाते में पैसे का अंतरण कर सकता है;
- खाते की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकता है;
- सेवाओं के लिए बैंक को ई-मेल भेज सकता है;
- सुविधानुसार लचीला कार्यक्रम बना सकता है;
- निःशुल्क फ़ोन बैंकिंग, एटीएम और बिलों का भुगतान जैसी अतिरिक्त सेवा का उपयोग कर सकता है।

ई-आधारित बैंकिंग को साइबर बैंकिंग, होम बैंकिंग, वर्चुअल बैंकिंग भी कहा जाता है और इसमें किसी भी स्थान से की जाने वाली विभिन्न प्रकार की बैंकिंग गतिविधियां शामिल हैं। यह शाखा बैंकिंग का सस्ता विकल्प प्रस्तुत करता है और दूरस्थ उपभोक्ताओं को अपने साथ जोड़ने का मौका देता है।

बैंकों में कंप्यूटरीकरण

कंप्यूटरीकरण की प्रक्रिया सभी तकनीकी

तालिका-1

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कंप्यूटरीकरण *(मार्च अंत तक)*

कुल बैंक शाखाओं का प्रतिशत

श्रेणी	2005	2006	2007	2008	2009	सीएजीआर %
पूर्ण कंप्यूटरीकृत शाखाएं	71.0	77.5	85.6	93.7	95.0	6.00
कोर बैंकिंग सोल्यूशन के तहत शाखाएं	11.0	28.9	44.4	67.0	79.4	48.49
पहले से पूर्व कंप्यूटरीकृत शाखाएं	60.0	48.5	41.2	26.6	15.6	-23.62
आंशिक कंप्यूटरीकृत शाखाएं	21.8	18.2	13.4	6.3	5.0	-25.51

कोर बैंकिंग सोल्यूशन वाली शाखाओं के अलावा अन्य शाखाएं

स्रोत : *रिपोर्ट्स ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, 2007-08*

तालिका-2

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की शाखाएं और एटीएम

(मार्च 2008 के अंत तक)

बैंक समूह	बैंक/शाखाओं की संख्या					एटीएम की संख्या				
	ग्रामीण	अर्ध शहरी	मेट्रो	शहरी	योग	ऑन साइट	ऑफ साइट	योग	कुल एटीएम की तुलना में ऑफ साइट का %	शाखाओं की तुलना में एटीएम का प्रतिशत
राष्ट्रीयकृत बैंक	13,198	8,140	8,440	7.997	37,775	8,320	5,035	13,355	37.7	35.4
स्टेट बैंक समूह	5,328	4,545	2,820	2,421	15,105	4,582	3,851	8,433	45.7	55.8
पुराने निजी क्षेत्र बैंक	808	1,498	1,270	874	4,450	1,436	664	2,100	31.6	47.2
नये निजी क्षेत्र बैंक	223	870	1,147	1,285	3.525	3,879	5,988	9,867	60.7	279.9
विदेशी बैंक	0	2	48	224	274	269	765	1,034	74.0	377.4
योग	19,557	15,055	13,725	12,801	61.129	18,486	16,303	34,789	46.9	56.9

स्रोत : रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, 2007-08

प्रयासों की प्रारंभिक बिंदु थी। यह प्रक्रिया अधिकांश बैंकों में पूरी होने को है। नये निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक और कुछ पुराने निजी क्षेत्र के बैंक, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) प्रणाली पहले ही अपना चुके हैं। जबकि सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अपने व्यापार के 70 प्रतिशत से अधिक का कंप्यूटरीकरण कर चुके हैं। मार्च 2009 के अंत तक 95 प्रतिशत सार्वजनिक बैंक की शाखाएं सम्मिलित वार्षिक विकास दर 6 प्रतिशत के साथ पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत हो चुकी थीं। रिज़र्व बैंक बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंकों को प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के इस्तेमाल के लिए लगातार प्रोत्साहित करता रहा है। सार्वजनिक बैंकों द्वारा सितंबर 1999 से लेकर मार्च 2009 तक ऑटोमेशन (स्वचालन/मशीनीकरण) पर कुल मिलाकर 18,168 करोड़ रुपये ख़र्च किए गए, जोकि पिछले वर्ष से 21 प्रतिशत अधिक है।

खुलती हुई अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा के लिए बैंकों को ताज़ातरीन प्रौद्योगिकी की जानकारी रखनी होगी। विदेशी बैंकों के प्रवेश और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नित नये नवाचारों के कारण भारत में बैंकों के लिए यह ज़रूरी हो गया है कि अपने व्यवसाय को ग्राहकों के अनुकूल प्रतिस्पर्धी और कार्यकुशल बनाने तथा तेज़ी से हो रहे गतिशील एवं वैश्विक वातावरण में नयी-नयी सेवाओं और उत्पादों को प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक पद्धति का अधिकाधिक उपयोग करें। बैंकों द्वारा जो इलेक्ट्रॉनिक आधारित सेवाएं प्रदान की जा रही हैं उनमें से कुछ हैं– स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम सेवा, इलेक्ट्रॉनिक कोष अंतरण (ईएफटी प्रणाली और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) प्रणाली। इन सुविधाओं से भुगतान प्रणाली में तेज़ी, दक्षता और सुरक्षा आई है।

एटीएम सेवा

एटीएम सेवाएं 1970 के दशक के मध्य में शुरू हुईं। यह इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग उत्पादों में से

तालिका-3

इलेक्ट्रॉनिक कोष अंतरण प्रणालियां

(करोड़ रुपये में)

प्रकार	मात्रा						मूल्य					
	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	सीएजीआर	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	सीएजीआर
ईसीएस-जमा राशि	20,300	40,051	44,216	69,019	78,365	31.02	10,228	20,180	32,324	83,273	7,82,222	138.07
ईसीएस-निकाली राशि	7,897	15,300	35,958	75,202	1,27,120	74.32	2,254	2,921	12,986	25,441	48,937	85.07
योग	28,197	55,351	80,174	1,44,221	2,05,485	48.76	12,482	23,101	45,310	1,08,714	8,31,159	131.57

स्रोत : आरबीआई रिपोर्ट

एक था। ग्राहकों के साथ आसानी से व्यवहार करने के लिए बैंक इसका इस्तेमाल करते हैं। इस प्रणाली को 'एनी टाइम मनी' (किसी भी समय पैसा) भी कहा जाता है। क्योंकि इससे किसी भी समय बैंक से पैसा निकाला जा सकता है। इससे मौजूदा व्यवस्था में वृद्धि होती है। साथ ही नया व्यवसाय पैदा होता है। इससे ग्राहकों को खाते से खाते में पैसे का अंतरण करने, चेक या नक़दी ज़मा करने और खाते की जानकारी लेने में सुविधा होती है। पैसा निकालने के लिए एटीएम सबसे सुविधाजनक तरीक़ा है। एटीएम से बैंकों को कई लाभ हैं यथा– बेहतर ग्राहक सेवाएं, ज़्यादा पैठ, विस्तारित सेवा समय का विकल्प, बैंकों में कम भीड़भाड़ आदि। तालिका-2 से पता चलता है कि मार्च 2009 के अंत तक बैंकों द्वारा लगाए गए कुल एटीएम मशीनों की संख्या 43,651 थी, जबकि मार्च 2008 तक 34,789 एटीएम थीं। मार्च 2007 तक 27,088 और मार्च 2006 तक 20,267 एटीएम मशीनें लगाई गई थीं।

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि विदेशी बैंकों और निजी क्षेत्र के नये बैंकों द्वारा स्थापित एटीएम की संख्या उनकी शाखाओं की तुलना में तीन गुना अधिक थी जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में एटीएम और शाखाओं के बीच का अनुपात काफी कम था। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में यह अनुपात 35.4 प्रतिशत (वर्ष 2007 में 32.9 प्रतिशत) था। जबकि निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों के यह अनुपात 47.2 प्रतिशत (2007 में 34.9 प्रतिशत) रहा। कुल मिलाकर शाखाओं की तुलना में एटीएम की संख्या का प्रतिशत 2007 में 47.5 प्रतिशत, मार्च 2008 के अंत में 50.9 प्रतिशत और वर्ष 2009 के अंत में 67 प्रतिशत था।

इलेक्ट्रॉनिक कोष अंतरण

ईएफटी के ज़रिये एक खाते से पैसा दूसरे खाते में स्वत: प्रेषित किया जा सकता है। इस प्रणाली में प्रेषक और प्राप्तकर्ता भले ही दो अलग-अलग शहरों में रहते हों और उनका खाता भी अलग-अलग बैंकों में हो, धनांतरण पलक झपकते किया जा सकता है। इस प्रणाली ने क्रेडिट कार्ड, निजी स्तर के कार्ड और प्रभार कार्ड आदि का तत्काल भुगतान संभव कर दिया है। बीमा का प्रीमियम, उधारी की किस्तों का भुगतान भी इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से बैंक से संबंधित खातों में समय-समय पर किया जा सकता है। जमा राशि का त्वरित और सुरक्षित अंतरण इस प्रणाली की प्रमुख विशेषता है। खुदरा इलेक्ट्रॉनिक कोष अंतरण प्रणाली में इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सेवाएं और इलेक्ट्रॉनिक कोष अंतरण भी शामिल है। भुगतान की इलेक्ट्रॉनिक पद्धति को प्रोत्साहित करने के लिए रिज़र्व बैंक ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियों पर प्रक्रिया प्रभार एक वर्ष अर्थात मार्च 2009 तक और माफ़ कर दिया है।

प्रौद्योगिकी के अधिक उपयोग के फलस्वरूप हाल के वर्षों में ईसीएस से ज़मा करने और निकालने दोनों प्रकार के क़ारोबार में वृद्धि हुई है। वर्ष 2007-08 के दौरान इलेक्ट्रॉनिक क़ारोबार की संख्या 2,05,485 हो गई जबकि इससे पिछले वाले साल के दौरान यह संख्या 1,44,221 थी और इस प्रकार सीएजीआर में 48.76 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज़ की गई। मूल्यानुसार वर्ष 2007-08 के दौरान 8,31,159 करोड़ रुपये का लेनदेन हुआ, जबकि सीएजीआर में 131.57 प्रतिशत की वृद्धि के साथ इससे पिछले वाले साल में कुल 1,08,714 करोड़ रुपये का क़ारोबार हुआ था। वर्ष 2007-08 के दौरान वर्ष 2006-07 की तुलना में इलेक्ट्रॉनिक कोष अंतरण में 7 गुना वृद्धि हुई।

तत्काल सकल निपटान प्रणाली (रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट प्रणाली)

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली में सुधार के जो नये कदम उठाए हैं उनमें रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (तत्काल सकल निपटान) प्रणाली एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। व्यापार/उद्योग जगत इस प्रणाली को आकर्षक और उपयोगी मानता है, क्योंकि इससे उनकी काफी बचत हो सकती है। आगे से अब कंपनियां विश्व के विभिन्न भागों से तत्काल कोष अंतरण के लाभ के लिए आरटीजीएस युक्त बैंक को ही पसंद करने वाली हैं। उच्च मूल्य के लेनदेन को तेज़ी से निपटाने के लिए मार्च 2004 से लागू तत्काल सकल निपटान प्रणाली (आरटीजीएस) उस आंतरिक समूह की सिफ़ारिशों पर आधारित है जिसने भुगतान प्रणालियों के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन के बाद विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक पद्धति को अपनाने के लिए न्यूनतम एक लाख रुपये के लेनदेन के लिए 1 जनवरी, 2007 से इस प्रणाली को शुरू किया था।

आरटीजीएस की अनेक अनूठी विशेषताएं है। यह एक एकल अखिल भारतीय प्रणाली है जिसका निपटान मुंबई में होता है। भुगतान का निपटारा प्रत्येक लेनदेन के आधार पर होता है। निपटान तुरंत किया जाता है। निपटान की गई राशि का उपयोग तत्काल किया जाता है। इसमें दिन के भीतर ही नकदी के समर्थन के रूप में अतिरिक्त ज़मानत का प्रावधान रहता है ताकि सदस्य बैंक कोष अंतरण में अस्थायी असंतुलन को दूर कर सकें और इस प्रकार आसानी से लेनदेन का निपटान सुनिश्चित कर सकें। आरटीजीएस के तहत अंतर्बैंक क़ारोबार, ग्राहक आधारित अंतर्बैंक लेनदेन और निबल समाशोधन क़ारोबार का निपटारा हो सकता है। उच्च मूल्य

तालिका-4

वर्षवार आरटीजीएस कारोबार ***(मूल्य करोड़ रुपये में)***

वर्ष	अंतर्बैंक		ग्राहक		योग	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
2004-05	391,931	38,16,522	68,492	2,49,662	460,423	40,66,184
2005-06	1,053,940	89,70,624	713,058	25,70,212	1,766,998	1,15,40,836
2006-07	1,393,728	1,13,13,347	2,481,779	71,67,808	2,875,507	1,84,81,155
2007-08	1,693,986	1,12,18,157	4,146,041	1,61,00,173	5,840,027	2,73,18,330
सीएजीआर	**44.19**	**30.94**	**178.93**	**183.38**	**88.72**	**61.00**

स्रोत : *आरबीआई वार्षिक रिपोर्ट*

और खुदरा भुगतान दोनों ही का लेनदेन आरटीजीएस के ज़रिये किया जा सकता है। इस प्रकार यह बैंकों और उनके ग्राहकों दोनों के लिए कम ज़ोखिम वाली कोष अंतरण प्रणाली की सुविधा प्रदान करता है।

आरटजीएस ने पिछले चार वर्षों में क़ारोबार के विस्तार और लेनदेन की राशि दोनों ही लिहाज़ से महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया है। जून 2008 के अंत तक 47,608 शाखाओं में आरटीजीएस की सुविधा उपलब्ध थी। इससे इस प्रणाली के माध्यम से लेनदेन की मात्रा में तेज़ी से वृद्धि हुई। वर्ष 2007-08 में क़ारोबार में 1.48 गुना वृद्धि हुई और ग्राहकों का लेनदेन लगभग तिगुना हो गया। इस प्रकार सीएजीआर में क्रमश: 30.94 प्रतिशत और 183.38 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज़ की गई। मई 2008 के अंत तक 47,608 शाखाओं में आरटीजीएस प्रणाली की सुविधा थी और इसके ज़रिये कुल 2,73,18,330 करोड़ रुपये का क़ारोबार हुआ।

निष्कर्ष

प्रौद्योगिकी के विकास ने भारत में बैंकिंग के परिदृश्य को व्यापक रूप से बदल डाला है। जिसके कारण बैंकों के कामकाज़ और कार्य प्रणालियों में उल्लेखनीय सुधार आया है। इसका नतीज़ा यह हुआ है कि बैंकों की उत्पादकता में वृद्धि हुई है। वैकल्पिक सेवा प्रणालियों के ज़रिये उत्पादों का त्वरित विकास हुआ है और क़ारोबार की लागत में कमी आई है। विशेष रूप से प्रौद्योगिकी का उपयोग बैंकिंग सेवा के विस्तार के लिए खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में किया जा रहा है। बैंकिंग क्षेत्र को ज़्यादा लाभ दिलाकर शेयरधारकों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने में सूचना प्रौद्योगिकी की अहम भूमिका है।

आईटी ने बैंकों द्वारा अपने कारपोरेट ग्राहकों को दी जाने वाली सेवाओं में क्रांतिकारी बदलाव लाने में मदद की है। पारंपरिक बैंकिंग की तुलना में ई-बैंकिंग ग्राहकों को नाभिकीय प्रभार (एक ही स्थान पर प्रभार चुकाने की सुविधा) वाला एक ऐसा अनुभव कराता है जो न केवल तुरंत लेनदेन की सुविधा प्रदान करता है, बल्कि एकीकृत प्लेटफार्म से सभी प्रकार के बैंक क़ारोबार की भी सुविधा प्रदान करता है। बैंकों को अब जनसामान्य के बीच बाज़ार तलाशने के बज़ाय विशिष्ट ग्राहकों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और सही माध्यम से सही समय पर सही उत्पाद सुविधापूर्वक, कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से पहुंचाना चाहिए। नये बैंकों का क़ारोबार मुख्यत: शहरी क्षेत्रों और बड़े शहरों तक सीमित है। वे आईटी का बेहतर लाभ उठाने की स्थिति में हैं। अत: मुक़ाबले में ज़ोरदार तरीक़े से पैर ज़माने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क के विस्तार के वास्ते उचित और उपयुक्त कदम उठाने होंगे ताकि क़ारोबार की मात्रा और मुनाफ़ा दोनों के लिहाज़ से बेहतर विकास हो सके। स्मार्ट कार्ड, बायोमेट्रिक आईडी, ई-चेक और मोबाइल हैंडसेट जैसे साधनों के व्यापक उपयोग से प्रौद्योगिकी के ज़रिये वित्तीय समावेश लाने की आवश्यकता है। बैंकिंग सेवाओं का विस्तार दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में और इन सब सेवाओं से वंचित लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग का समय अब आ गया है। ❑

(लेखक अन्नामलाई विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग में प्रवक्ता हैं।
ई-मेल : deena_mint@yahoo.com)

वित्तीय सुधारों में बैंकिंग

● गोपाल जायसवाल

वित्तीय प्रणाली एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कृषि विकास एवं सरकारी कार्यों हेतु धन प्राप्ति एवं ऋण अदायगी की क्रियाएं संपादित की जाती हैं। वित्तीय प्रणाली द्वारा सम्यक रूप से बचत को प्रोत्साहित एवं संग्रहित कर प्रभावी एवं उत्पादकीय क्षेत्रों में निवेश किया जाता है। भारतीय वित्तीय प्रणाली के दो प्रमुख अंग हैं : भारतीय मुद्रा बाज़ार एवं भारतीय पूंजी बाज़ार। भारतीय मुद्रा बाज़ार में अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन पूंजी का लेन-देन होता है। भारतीय मुद्रा बाज़ार के असंगठित क्षेत्र में साहूकार एवं देसी बैंकर सम्मिलित हैं।

स्वतंत्रता से लेकर आज तक भारतीय बैंकिंग के क्षेत्र में अनेक उतार-चढ़ाव आए हैं। स्वतंत्रता से पूर्व देश के बैंकिंग क्षेत्र का स्वरूप पूरी तरह से पूंजीवादी था तथा व्यापारिक बैंक मुख्य रूप से औद्योगिक एवं व्यावसायिक क्षेत्रों की आवश्यकताओं एवं हितों की पूर्ति करते थे। स्वतंत्रता के पश्चात व्यापारिक बैंकिंग क्षेत्र की स्थिति में जब कोई परिवर्तन नहीं आया तथा सामाजिक बैंकिंग की दिशा में व्यापारिक बैंकों ने उदासीन रवैया ज़ारी रखा तो अंतत सरकार ने 19 जुलाई, 1969 में देश के 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। बैंकिंग क्षेत्र में यह एक क्रांतिकारी कदम था। इससे बैंकों की कार्यप्रणाली तथा ऋण नीतियों में भारी परिवर्तन हुआ। वैश्वीकरण के दौर में बैंकिंग सुधारों की गति में अभूतपूर्व सफलता देखने को मिल रही है। बाज़ार प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में बैंकिंग उद्योग को विश्वव्यापी नियमों पर कार्य करना पड़ रहा है।

विकासशील देशों में वैश्वीकरण के बाद बैंकों की रणनीति में क्रमिक सुधार हुआ है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बैंकिंग क्षेत्र के नये उत्पादों में प्रदायगी चैनल, एटीएम, फोन बैंकिंग, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग आदि संरचना में परिवर्तन परिलक्षित हो रहे हैं।

देश की संरचना और आर्थिक विकास में बैंकिंग क्षेत्र की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत में राष्ट्रीयकृत बैंक तथा गैर-राष्ट्रीयकृत बैंकिंग संस्थाएं कृषि एवं गैर-कृषि क्षेत्रों को ऋण उपलब्ध करा देश की आर्थिक समृद्धि में अपना योगदान कर रही हैं। बैंकों की संख्या में इस विस्तार से न केवल देश के दूरस्थ क्षेत्रों तक बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं बल्कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में विविध क्रियाओं के लिए वित्तपोषण करके साख सुविधाओं का भी विस्तार किया है। यही नहीं व्यापारिक बैंकों ने देश के चहुंमुखी औद्योगिक विकास के लिए साख उपलब्ध करा देश के विकास में सहायता प्रदान की है।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बैंकिंग क्षेत्र

केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी, कपड़ा उद्योग और अब तक रोज़गारोन्मुखी मानी जाने वाली इकाइयां अपने कर्मियों को पिंक स्लिप थमा कर मंदी से उबरने का प्रयास कर रही हैं, वहीं विरोधाभास के रूप में वैश्विक आर्थिक मंदी की तपन के बावजूद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक वर्ष 2009-10 में 30,000 से अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति कर रहे हैं। बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान के निदेशक एम. बालचंद्रन के अनुसार, बैंकिंग क्षेत्र में बैंकों द्वारा शाखाओं के विस्तार, व्यापार वृद्धि और तीव्र विपणन की वजह से बड़े स्तर पर रोज़गार की संभावनाएं उभर रही हैं। वर्ष 2009 में बड़ी संख्या में बैंककर्मियों के सेवानिवृत्त होने के कारण खाली हुए पदों के कारण जो अंतर आया उसे भरने में भी यह नियुक्तियां मदद करेंगी। एक अनुमान के अनुसार लोक उपक्रम में इस वर्ष के 5 प्रतिशत कर्मचारी सेवानिवृत्त होंगे, यह आंकड़ा अगले वर्ष 12 प्रतिशत होगा और वर्ष के अंत तक 20 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा। बैंकिंग रिसर्च कंपनी, बैंकनेट इंडिया के अध्यक्ष के अनुसार, बैंक त्वरित पदोन्नति की प्रक्रिया अपनाएंगे, लेकिन फिर भी खाली जगह भरने के लिए उन्हें नियुक्तियां करनी होगी। इसी के साथ फीस आधारित आय में वृद्धि की मांग को देखते हुए बैंक बीमा पॉलिसी, म्यूचुअल फंड योजना और अन्य योजनाओं की वितरण गतिविधियों पर बल देंगे। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन और नये युग की बैंकिंग को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक नये क्षेत्रों, जैसे टेली-कॉलिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग और टेक-सपोर्ट के क्षेत्र के रोज़गार में भी वृद्धि करेगा।

श्री बालचंद्रन के अनुसार यह स्थिति विशेषज्ञतायुक्त श्रमशक्ति की नियुक्ति की मांग करेगी। निजी और विदेशी बैंक अपने कर्मचारियों को ग्रे एज बास्केट में डाल रहे हैं, इसके विपरीत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अगले दो वर्षों में बड़े स्तर पर भर्ती की योजना के साथ धारा के विरुद्ध तैरने के लिए कमर कस चुके हैं। एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2008 के

15,000 पदों की तुलना में वित्तीय वर्ष 2008-09 में 40,000 लोगों की नियुक्ति पहले ही हो चुकी है। बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक कहते हैं– वर्ष 2008-09 में जहां निजी क्षेत्र छंटनी करने में व्यस्त था, वहीं बैंकों ने 40,000 लोगों को रोज़गार दिया। यह आंकड़ा अगले दो वर्षों में 50,000 से 75,000 की संख्या को छू जाएगा। बहुत से बैंक जिनमें यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और दी इंडियन बैंक शामिल हैं, पहले ही भर्ती के लिए विज्ञापन प्रकाशित कर चुके हैं। उदाहरण के लिए कोलकाता का यूबीआई 900 प्रोबेशनरी अधिकारी और 500 लिपिक की नियुक्ति करेगा। इसके अलावा वह अन्य विभागों के लिए 100 विशेष अधिकारी की भर्ती भी करेगा। इंडियन बैंक ने इस वर्ष 700 लिपिक पदों के लिए आवेदन मंगवाएं हैं, जबकि हैदराबाद का आंध्रा बैंक 550 लिपिक, 295 प्रोबेशनरी अधिकारी और 150 अन्य अधिकारी को रोज़गार देगा। यूनियन बैंक 5,000 लोगों को रोज़गार देने के साथ ही ग्राहक समर्थन सेवा को मज़बूत बनाने के लिए 60 पद कॉल सेंटर के लिए बनाएगा। इतना ही नहीं, इस वर्ष के अंत में 20,000 लिपिकीय कर्मचारी और 5,000 अधिकारी नियुक्त करेगा। देश का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उसके सात एसोसिएट इसी साल 30,000 लोगों की नियुक्ति करेंगे। आईडीबीआई बैंक की 2,000 लोगों की और बैंक ऑफ बड़ौदा की 3,000 लोगों की नियुक्ति की योजना है। सिंडिकेट बैंक, केनरा बैंक, आईडीबीआई बैंक, पंजाब बैंक, नाबार्ड, सेंट्रल बैंक, कार्पोरेशन बैंक, इलाहाबाद बैंक और धनलक्ष्मी बैंक भी अपने कर्मचारियों की संख्या में इज़ाफ़ा करेंगे। मोर्टबेज, क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत कर्ज़/उधार को बढ़ावा देने के लिए बैंक डायरेक्ट सेल्स एजेंट उपलब्ध करवाने वाली एजेंसी से गठजोड़ करेंगे। इससे निजी और विदेशी बैंक से निकाले गए कर्मचारियों को भी राहत मिलेगी।

बैंकों में रोज़गार

रोज़गार के क्षेत्र में बैंकिंग लोकप्रिय क्षेत्र है। अच्छा वेतन, सुरक्षित भविष्य और प्रतिष्ठित कैरियर का यह प्रवेश द्वार है। भारत में बैंक में नौकरी की पर्याप्त संभावनाएं मौजूद हैं। इसके लिए आवेदन करने से पहले बैंक के प्रकार और कार्यप्रकृति को समझ लेना ज़रूरी है। भारत में सक्रिय बैंकों का विभाजन मुख्य रूप से लोक उपक्रम बैंक या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी बैंक और विदेशी बैंक के रूप में कर सकते हैं। इनका नाम और प्रकृति ही नहीं बल्कि उम्मीदवारों के चयन करने का तरीक़ा भी बिल्कुल अलग होता है। निजी व विदेशी बैंक आमतौर पर कैंपस प्लेसमेंट के ज़रिये अपने यहां रिक्त पदों पर नियुक्ति करते हैं। कैंपस भर्ती के दौरान उम्मीदवारों के साक्षात्कार और सामूहिक वाद-विवाद पर ज़ोर दिया जाता है। निजी बैंक या विदेशी बैंक लिपिकीय पदों पर भी एमबीए, सीए की नियुक्ति करते हैं, जबकि प्रवेश स्तर से ऊपर के पदों के लिए विशेष क्षेत्रों में विशेषज्ञता की मांग करते हैं। उच्च पदों के लिए दोनों ही तरह के बैंक में पदोन्नति के लिए समय का बंधन नहीं होता। विदेशी बैंक में वेतन निजी बैंक से भी अधिक होता है, लेकिन इसमें नौकरी की सुरक्षा विभिन्न बाहरी तथ्यों पर निर्भर करती है। जहां तक लोक उपक्रम या सार्वजनिक क्षेत्र कहे जाने वाले बैंकों की बात है तो वे भी मैनेजमेंट, ग्रेजुएट, सीए और सीएफए को नियुक्त करने लगे हैं। लेकिन फिर भी बैंक किसी भी विषय से ग्रेजुएट करने वाले प्रतिभाशाली छात्रों को ज्यादा महत्व देते हैं। ये छात्र लोक उपक्रम बैंकों द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के ज़रिये प्रवेश ले सकते हैं। कुशलताओं के मामले में तीनों तरह के बैंक बातचीत की कुशलता, ग्राहकों को संभालने की क्षमता, चौकन्ना रहने की प्रकृति, उद्योग की मूलभूत जानकारी व कंप्यूटर की जानकारी रखने वाले व्यक्तियों को प्राथमिकता देते हैं।

बैंकिंग सुधार का प्रथम दौर

सार्वजनिक व्यापारिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण की असफलताओं को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने 14 अगस्त, 1991 को देश की कार्यप्रणाली एवं वित्तीय प्रणाली की संरचना में सुधार करने के लिए आवश्यक सुझाव देने हेतु एम. नरसिंहम की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसने अपनी रिपोर्ट 20 नवंबर, 1991 को प्रस्तुत की। समिति ने व्यापारिक बैंकों की गिरती लाभदायकता के लिए सार्वजनिक दायित्वों से बंधे होने, गिरती ब्याज आय, एवं निरंतर बढ़ती बैंकों की परिचालन लागत को उत्तरदायी माना। समिति ने बैंकिंग प्रणाली में राजनीतिक एवं प्रशासनिक हस्तक्षेप को भी बैंकों की घटती लाभदायकता के लिए दोषी माना है। समिति की मुख्य सिफ़ारिशों में देश के बैंकिंग ढांचे में आधारभूत परिवर्तन करने, बैंकों को अपने क्रियाकलापों में पूर्ण स्वायत्तता देने, अगले 5 वर्षों में तरलता अनुपात को धीरे-धीरे घटाकर 25 प्रतिशत तक लाने, रियायती ब्याज़ दरों को समाप्त करने हेतु प्राथमिक लक्ष्यों का पुनः निर्धारण करने तथा इसे कुल साख के 10 प्रतिशत तक सीमित करने के लिए कहा गया है। समिति ने पूंजी बाज़ार में त्वरित एवं प्रभावपूर्ण उदारीकरण की सिफ़ारिश की है। विकास से संबद्ध वित्तीय संस्थाओं के संबंध में कहा गया है कि इन संस्थाओं को प्रतियोगी दरों पर बाज़ार से ही संसाधन जुटाने चाहिए।

समिति ने निजी क्षेत्र के अंतर्गत नये बैंकों के विस्तार पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया। बैंकों के ढांचे को पुनर्निर्मित करके यह सुझाव दिया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, जोकि लाभकारी गतिविधियां संपन्न करते हैं, को अपनी पूंजी बढ़ाने के लिए पूंजी बाज़ार में बिना किसी रोक-टोक के प्रवेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए। समिति ने बैंकिंग व्यवस्था पर रिज़र्व बैंक तथा वित्त मंत्रालय के दोहरे नियंत्रण की व्यवस्था को समाप्त करने की सिफ़ारिश की है। उनका मानना है कि बैंकिंग व्यवस्था पर नियंत्रण हेतु सार्वजनिक संस्था होनी चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रबंधक मंडल में सरकारी प्रतिनिधि होना आवश्यक है। यद्यपि केंद्र सरकार ने नरसिंहम समिति की सिफ़ारिशों को ध्यान में रखते हुए अनेक वित्तीय परिवर्तनों का समावेश बजट के अंतर्गत किया है। वित्तीय क्षेत्र के अंतर्गत भी विगत वर्षों के बजटों से परिवर्तन के संकेत मिलते हैं।

चूंकि बैंकों के कामकाज़ में पारदर्शिता आई है तथा उनकी वास्तविक वित्तीय स्थिति का अध्ययन भी होता है, लेकिन भारतीय बैंकिंग क्षेत्र अभी भी अनेक दुर्बलताओं से ग्रसित हैं जिससे न तो उनका स्वस्थ विकास हो पा रहा है और न ही वे बढ़े स्तर पर लेन-देन का त्वरित निपटारा करने में सक्षम हैं। राष्ट्रीयकृत बैंकों के समक्ष कड़ी चुनौती है कि वे उच्चकोटि की सेवा में ऋण वसूली संबंधित क्रियाओं को संपन्न करें।

बैंकिंग सुधार का द्वितीय दौर

वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में बैंकिंग सुधारों

के लिए गठित नरसिंहम समिति ने अपनी रिपोर्ट 23 अप्रैल, 1998 को केंद्रीय वित्तमंत्री को सुपुर्द की। इसमें आर्थिक समीक्षा के अनुसार बैंकिंग प्रणाली में सुधार लाने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा गया कि महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बावजूद हमारी बैंकिंग प्रणाली को अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा में आने के लिए सुधारों की आवश्यकता है। इसके लिए वित्तीय निष्पादन बढ़ाने और उच्च क्षमता प्राप्त करने के उपायों को अपनाने की आवश्यकता है। समिति ने पूंजी खाते में रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता से पूर्व देश में मज़बूत व प्रभावी वित्तीय व्यवस्था विकसित करने का सुझाव दिया। इसके अलावा बैंकों की परिसंपत्तियों की गुणवत्ता में सुधार, गैर-निष्पादन परिसंपत्तियों में कमी, पूंजी पर्याप्तता अनुपात में वृद्धि, बैंकों को राजनीति से मुक्त करने आदि के परिप्रेक्ष्य में बैंकिंग क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने की दिशा में प्रयास प्रारंभ हो गए हैं। इसी प्रकार बैंकिंग प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु पूंजी पर्याप्तता अपेक्षाओं में ऋण ज़ोखिमों के अतिरिक्त बाज़ारी ज़ोखिम को भी ध्यान में रखा गया है। वित्तीय क्षेत्र में जो व्यापक सुधार पिछले वर्षों में किए गए वे समग्र आर्थिक सुधारों का एक भाग रहे हैं। वित्तीय सुधार का समग्र औचित्य वित्तीय प्रणाली की दक्षता एवं कार्यकुशलता को सुधारना एवं एक ऐसी प्रतियोगी प्रणाली विकसित करना था जिससे विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके। इस संदर्भ में कुछ सीमा तक बैंकिंग क्षेत्र में आम उपभोक्ताओं को अपने धन को अनुकूलतम संसाधनों में निवेश करने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। बैंकिंग क्षेत्र में म्युचुअल फंड योजनाएं सार्वजनिक क्षेत्र के अतिरिक्त निजी क्षेत्रों द्वारा भी संचालित की जा रही हैं। वर्तमान में हमारे देश में लगभग 42 म्युचुअल फंड कार्यरत हैं। ये फंड पोर्टफोलियो प्रबंधक के रूप में कार्य करते हैं। वर्ष 1999-2000 के बजट में म्युचुअल फंड से प्राप्त आय एवं लाभांश को करमुक्त कर दिया गया जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय बैंकिंग क्षेत्र ने क्रेडिट कार्ड व्यवसाय में प्रवेश किया। इस समय भारत में लगभग 15 लाख लोगों के पास मास्टर कार्ड हैं एवं वर्ष 1997-98 में इसने 96.7 करोड़ डॉलर का व्यवसाय किया था जबकि वर्ष 2006-07 में 135.6 करोड़ डॉलर का व्यवसाय हुआ है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित व्यापारिक बैंकों की कुल शाखाएं वर्ष 2005-06 में 62,881 हैं, जिनमें से 56 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। ग्रामीण ऋण के संबंध में रिज़र्व बैंक ने एक विशेष ऋण रियायती दर पर देने की रणनीति बनाई है। भारतीय रिज़र्व बैंक के आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि व्यापारिक बैंकों के पास जमाओं का 79.9 प्रतिशत भाग सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पास तथा शेष स्टेट बैंक और उनके सहयोगी बैंक के पास है।

बैंकिंग सुधारों के समक्ष चुनौतियां

बैंकिंग सुधारों के लागू होने के पश्चात वाणिज्यिक बैंकों के प्रदर्शन में निरंतर सुधार हो रहा है। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों में परिवर्तन वित्तीय सेवाओं के सार्वभौमिक एकीकरण व अन्य सापेक्षिक कारणों से वाणिज्यिक बैंकों के समक्ष अभी भी कुछ चुनौतियां शेष हैं। आर्थिक सुधारों के बाद यह प्रयास होना चाहिए था कि बैंकिंग क्षेत्र इन चुनौतियों का सामना स्वयं अपने संसाधनों से करने में समर्थ व सक्षम बन सकें, किंतु ऐसा संभव नहीं हो सका। वर्तमान में प्रौद्योगिकी के प्रभावी प्रयोग की चुनौती, मानव संसाधन विकास की चुनौती, पारदर्शिता और प्रकटीकरण, बढ़ते बैंक घोटालों के नियंत्रण की चुनौती, बढ़ती प्रतिस्पर्धा की चुनौती तथा गैर-निष्पादन संपत्तियों में वृद्धि की चुनौती आदि भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष एक गंभीर चुनौती एवं विश्वव्यापी बैंकिंग क्षेत्र के मार्ग में बाधक हैं, अतएव भारत को चाहिए कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एवं सहयोग की भावना पर कार्य करें।

बैंकिंग सुधार में सरकार का निर्णय

बैंकिंग सुधार में भारत सरकार और रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग एवं वित्तीय क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण की दिशा में कार्य प्रारंभ कर दिया है। इस दिशा में निम्नांकित निर्णय लिए गए : घोषित मौद्रिक नीति में सरकारी प्रतिभूतियों के संपूर्ण पोर्टफोलियो बाज़ार को चिह्नित किया गया है। गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियों को 5 प्रतिशत के स्तर पर लाने के लिए ऋण वसूली न्यायाधिकरणों को मज़बूत किया गया है साथ ही परिसंपत्तियों के वर्गीकरण, आय निर्धारण, ज़ोखिम आदि के संबंध में विवेकपूर्ण उपायों की घोषणा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा की जाएगी। इसके अलावा बैंकिंग कानूनों को अधिक प्रभावी बनाने हेतु उनमें संशोधन करने के सुझाव दिए गए हैं। घोषित मौद्रिक एवं साख नीति के अंतर्गत बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के पूर्ण पारदर्शिता तथा खुलेपन के साथ कार्य करने के लिए पूंजी पर्याप्तता को सुदृढ़ करना आवश्यक समझा गया। नयी मौद्रिक नीति में बैंकिंग सुधार हेतु ज़ोखिम आस्तियों से न्यूनतम आस्तियों का अनुपात वर्तमान में 8 प्रतिशत के स्थान पर 9 प्रतिशत किया जाएगा। इसी प्रकार बैंकों को परामर्श दिया जा रहा है कि वे साख ज़ोखिम, बाज़ार, भारांकरण व्यवस्था को अब लागू करें किंतु प्रतिमानों में छूट दी गई है। इस प्रकार अधिकांश बैंकों ने अपना ध्यान देश के महानगरों पर केंद्रित किया है। यह बैंक अपनी सीमित शाखाओं में नवीनतम प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हैं।

अत: निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि यद्यपि हमारी अर्थव्यवस्था वैश्वीकरण की दिशा में अग्रसर हो चुकी है परंतु इस दिशा में किए गए बैंकिंग सुधारों की रणनीति से कहीं-न-कहीं प्रयासों की सफलता में संदेह होता है। हमारे दृष्टिकोण से भारत में वित्तीय सुधारों के अंतर्गत संरचनात्मक परिवर्तन होना चाहिए साथ ही वित्तीय उदारीकरण में साख उपयोग एवं ब्याज़ दरों पर लगे नियंत्रणों को हटाना भी आवश्यक होगा।

चूंकि आर्थिक उदारीकरण की इस प्रक्रिया के दौरान देश के सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य में मध्यम वर्ग परिमाणात्मक रूप से बढ़ा है एवं उनकी आकांक्षाओं में भी वृद्धि हुई है। वित्तीय सुधारों के दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ-साथ देश की बैंकिंग प्रणाली भी संक्रमणकाल से गुज़र रही है एवं अपने विकास के मोड़ पर खड़ी है। भारतीय बैंकिंग क्षेत्र ने लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप इस दौर में प्रतिकूल आर्थिक मंदी के बावजूद अपनी वित्तीय स्थिति एवं प्रबंध स्तर में सुधार के प्रति गहरी प्रतिबद्धता का परिचय दिया है। अत: निष्कर्ष स्वरूप कहा जा सकता है कि बैंकिंग क्षेत्र को पूर्ण पारदर्शिता एवं दक्षता के साथ स्वयं को पुनर्संगठित करना होगा। उच्च लाभप्रदता के साथ तेज़ी से विकसित हो रहे व्यवसाय को संभालने में आमूल-चूल परिवर्तन की महती आवश्यकता है। ❑

(लेखक शा. स्व. स्नातकोत्तर महाविद्यालय छिंदवाड़ा, म.प्र. में वाणिज्य विभाग के विभागाध्यक्ष हैं)

भारतीय बैंकिंग परिदृश्य में ज़ोखिम प्रबंधन

● सुधीश कुमार पटेल

वर्ष 1967 में बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण के फलस्वरूप वर्ष 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण से आर्थिक आज़ादी का नया सूरज उदय हुआ, जिससे बैंकिंग का उद्देश्य वर्ग बैंकिंग से हटकर जन बैंकिंग हो गया। पहले बैंकों की पूंजी का पूरा लाभ पूंजीपति उठाते थे, उपेक्षित वर्ग को महत्व नहीं दिया जाता था। अब समाज के प्रत्येक वर्ग को अपना कामधंधा शुरू करने से लिए बैंकों से ऋण मिलना सुगम हो गया। इसके परिणामस्वरूप पानवाले, रिक्शे, तांगे वाले, हस्तशिल्प कारीगर तथा विभिन्न प्रकार के निम्न वर्गों को राष्ट्रीयकृत बैंकों से अपना रोज़गार शुरू करने के लिए रियायती ब्याज दरों पर ऋण मिलना प्रारंभ हो गया। बैंकों की इस नयी जनप्रिय भागीदारी ने देश के आम आदमी को आर्थिक प्रगति के अवसर प्रदान किए हैं। वास्तव में बैंकिंग व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था का परस्पर बहुत गहरा संबंध है, बल्कि यों कहें कि दोनों एक-दूसरे पर निर्भर हैं। सामुदायिक आर्थिक विकास के लिए मज़बूत व विकासशील बैंकिंग व्यवस्था अनिवार्य है। भारतीय अर्थव्यवस्था के चहुंमुखी विकास यात्रा में बैंकों का राष्ट्रीयकरण विधेयक सबसे बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ। भारतीय बैंकिंग परिदृश्य को दी गई तालिका से समझा जा सकता है।

भारत अब वित्तीय सेवाओं के युग में प्रवेश कर रहा है, इससे न केवल प्रतियोगिता में वृद्धि हुई है बल्कि भारतीय बैंकिंग का भविष्य पल-पल परिवर्तन के बीच असीमित अवसरों का एक दुर्लभ सम्मिश्रण दर्शा रहा है। वर्तमान में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया तेज़ हो रही है, बाधाएं एवं अवरोध समाप्त हो रहे हैं, बाज़ार सिकुड़ता जा रहा है, पूरा विश्व एक छोटे ग्राम में परिवर्तित हो चुका है। इसके कारण विश्व में आपसी समन्वय बेहतर हो रहा है और व्यापार एवं वाणिज्य तथा व्यक्तिगत रोज़गार के लिए देशों की सीमाएं समाप्त हो रही हैं। सरकार की योजना बैंकिंग क्षेत्र को तेज़ी से आगे बढ़ाने एवं सरकारी क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण व विदेशी बैंकों के समकक्ष लाने की है। इसलिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों की वजह से नयी भर्ती को अच्छा बढ़ावा मिल रहा है। वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण के साथ बैंकिंग क्षेत्र में भी व्यापक सुधार किए जा रहे हैं। बैंकों का उद्देश्य सामाजिक विकास के साथ-साथ लाभ अर्जित करना हो गया है। बैंकों में नये अंतरराष्ट्रीय लेखा मानदंड लागू किए जा रहे हैं। वित्तीय क्षेत्र के सुधारों ने बैंकिंग को सुदृढ़ बनने का अवसर प्रदान किया है। बैंक सुधार के मुख्य उद्देश्य निम्न हैं :

- बैंकों में सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग करना।
- बैंकों की प्रतियोगी क्षमता और वित्तीय क्षमता में वृद्धि करना।
- बैंकों के लिए सुदृढ़ पर्यवेक्षण प्रणाली तैयार करना।
- वर्तमान बैंकिंग नीति में संशोधन करना।
- प्रबंधकीय क्षमता का उन्नयन करना।

आर्थिक सुधारों का अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव पड़ा है वह अधिकांशतः शहरी क्षेत्रों में ही केंद्रित है। ग्रामीण क्षेत्र अभी बैंकिंग क्रांति से पीछे हैं। अभी भी ग्रामीण ऋणों को सरकारी तंत्र का आदेश मान बैंक उसे बोझ समझता है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि ग्रामीण क्षेत्र में बैंक के व्यवसाय का एक छोटा-सा हिस्सा है। महानगरों एवं नगरों में ही बैंकों का तीन-चौथाई व्यवसाय केंद्रित है, परंतु एक-चौथाई अंशदान वाली भारत की 73 प्रतिशत आबादी गांव में रहती है। इनका मुख्य रोज़गार कृषि है। अर्थव्यवस्था व सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का विशेष अंशदान है। हम जहां शहरी अर्थव्यवस्था व बाज़ार को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जोड़े रखने का प्रयास कर रहे हैं वहीं यह भी आवश्यक है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था,कृषि, लघु व कुटीर उद्योगों व रोज़गार पर भी पर्याप्त ध्यान दिया जाए। इससे समूची अर्थव्यवस्था में संतुलन बनेगा, शहरों की ओर पलायन और शहरी विकास के असंतुलन को रोकने में मदद मिलेगी। ग्रामीण परिदृश्य में बैंकिंग के संगठनात्मक ढांचे व विकास की समीक्षा करने और उपयुक्त रणनीतियों के निर्माण की आवश्यकता है।

बैंक और ज़ोखिम

आज बैंक उद्योग प्रतिस्पर्धा के दौर से गुज़र रहा है, प्रतिस्पर्धा भी साधारण नहीं, कड़ी और बहुआयामी है। यह सर्वविदित है कि कोई भी व्यवसाय ज़ोखिम सहन करने से ही उन्नति करता है। बैंक व्यवसाय भी इस तथ्य से अछूता नहीं है। इस उद्योग का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है, जिसमें ज़ोखिम विद्यमान न हो। अच्छे उधारकर्ताओं की कमी के कारण उनकी आस्तियों की गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है। जिस क्षेत्र में बैंक उद्योग ज़ोखिम प्रबंधन में असफल रहा है वहां उसे काफी हानि उठानी पड़ी है तथा व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अतः बैंक ज़ोखिम उठाने से कतराने लगे हैं। वास्तव में ज़ोखिम को बैंकों की पूंजी और लाभप्रदता पर निश्चित-अनिश्चित घटनाओं के प्रतिकूल प्रभाव के रूप में जाना जा सकता है। बैंकों के ज़ोखिम को इस तरह जाना जा सकता है :

बाज़ार ज़ोखिम : बाज़ार के विभिन्न घटकों में परिवर्तन के कारण जो ज़ोखिम उत्पन्न होती है उन्हें इस श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है। इनमें ब्याज दरों में परिवर्तन, इक्विटी वस्तुओं के मूल्य परिवर्तन आदि सम्मिलित हैं। बेसल समिति ने बाज़ार मूल्यों में परिवर्तन के

तालिका

क्र.	अवधि	स्वरूप	उद्देश्य	प्रबंधन क्षेत्र
1.	राष्ट्रीयकरण के पूर्व (1969 तक)	– शाखाओं का नेटववर्क सीमित था। – मुख्य प्रतिस्पर्धा देशी बैंकरों एवं साहूकारों से थी। – बैंकिंग प्रबंधन निजी क्षेत्र में था। – बैंकिंग विस्तार शहरी व खास लोगों तक सीमित था।	– लाभप्रदता मुख्य उद्देश्य था। – अधिक से अधिक धन जमा करना। – विशिष्ट व्यक्तियों को उनकी वित्तीय स्थिति के अनुसार ऋण प्रदान करना।	– जमा प्राप्त करना। – सुरक्षित ऋण देना। – बड़े व्यापारियों, उद्योगपतियों एवं विशिष्ट व्यक्तियों को बैंक से जोड़ना।
2.	राष्ट्रीयकरण के बाद (1969 से 1990 तक)	– लक्ष्यगत व्यवसाय। – प्रतिस्पर्धा रहित व्यवसाय। – बैंकिंग सेवाओं का आम आदमी तक प्रसार। – बैंकों का प्रबंधन/स्वामित्व सरकार का होना।	– सरकारी नीतियों का क्रियान्वयन। – पिछड़े क्षेत्रों में अधिक से अधिक बैंकिंग सेवाओं का प्रसार। – सरकारी योजनाओं के अंतर्गत ऋण वितरण करके सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह। – लाभप्रदता मुख्य उद्देश्य न होकर समाज के सभी वर्गों के आर्थिक सुधार का उत्तरदायित्व निर्वाह अर्थात उद्देश्य एवं कार्यशैली व्यावसायिक न होकर सामाजिक, आर्थिक विकास का होना।	– जमा प्राप्त करना तथा अग्रिम देने हेतु प्रबंधन। – शाखा विस्तार प्रबंधन। – सरकारी नीतियों को कार्य रूप हेतु प्रबंधन।
3.	आर्थिक सुधार का युग (1991 से 2000 तक)	– बैंकिंग का स्वरूप जन बैंकिंग होते हुए भी व्यवसाय उन्मुख हुआ। – निजी एवं विदेशी बैंकों का प्रवेश। – आर्थिक उदारीकरण एवं सुधार प्रक्रिया का प्रारंभ। – व्यावसायिकता के नये-नये आयाम खुले। – जन बैंकिंग के साथ व्यावसायिकता का प्रवेश। – बैंकों के ढांचे, कार्यप्रणाली व कार्यशैली में बदलाव। – नरसिंहम समिति का गठन एवं सुधार सिफ़ारिशें चरणबद्ध तरीक़े से लागू।	– आर्थिक सुदृढ़ता के साथ विकास। – श्रेष्ठ ग्राहक सेवा प्रदान करते हुए लाभ कमाना। – ग्राहकों के अनुरूप नये-नये उत्पाद एवं सेवाओं का विकास। – पूर्ण प्रतियोगिता युग की शुरुआत होने से बैंकिंग को खुदरा बैंकिंग का स्वरूप देना। – समितियों द्वारा की गई सिफ़ारिशों के अनुरूप कार्यप्रणाली में बदलाव। – स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के पश्चात श्रेष्ठ मानवीय संबंधों का विकास।	– विपणन प्रबंधन। – स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के पश्चात पुनर्गठन। – श्रेष्ठ मानवीय संबंधों के विकास हेतु प्रबंधन। – सेवाओं को त्वरित रूप प्रदान करने हेतु प्रबंधन। – श्रेष्ठ ग्राहक सेवा प्रबंधन।
4.	वर्तमान युग (2001 से अब तक)	– बैंकिंग का स्वरूप पूर्णत: व्यावसायिक हो गया है। – बैंकिंग के नये-नये आयाम विकसित हो गए हैं। – बैंकिंग पूर्णत: विपणन पर आधारित है। – ग्राहक सेवा महत्वपूर्ण हो गई है। – सूचना प्रौद्योगिकी का तीव्रता से प्रसार हो रहा है। – मानव संसाधनों का बेहतर उपयोग एवं संगठनात्मक ढांचे में पूर्णत: बदलाव का स्वरूप है। – परिवर्तनों की समयावधि अनिश्चित हो गई है।	– तीव्र प्रतियोगिता युग से प्रतिस्पर्धा करना। – अपने ग्राहकों की पहचान करना तथा श्रेष्ठ सेवाएं देना। – कतार बैंकिंग शैली को समाप्त कर क्लिक बैंकिंग सेवा देना। – बैंकिंग सेवाओं में सूचना प्रौद्योगिकी का समावेश करना। – कम लागत वाली त्वरित सेवाएं ग्राहकों को प्रदान करना। – ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुरूप सेवाएं/उत्पाद बनाना। – ग्राहकों को नयी-नयी सेवाएं एवं उत्पाद देना।	– मानवीय संसाधनों के विकास हेतु प्रबंधन। – लागत एवं व्यावसायिकता को ध्यान में रखते हुए संगठनात्मक ढांचे में परिवर्तन हेतु प्रबंधन। – अंतरराष्ट्रीय अनुभवों के आधार पर परिवर्तन हेतु प्रबंधन। – आर्थिक सुदृढ़ता के साथ विकास हेतु प्रबंधन। – नये-नये उत्पादों के विकास हेतु प्रबंधन। – विपणन कौशल हेतु प्रबंधन। – ग्राहक सेवा में गुणवत्ता प्रबंधन। – कहीं भी और कभी भी बैंकिंग हेतु प्रबंधन।

कारण आर्थिक चिट्ठे एवं इससे बाहर की मदों से हुई हानि को बाज़ार ज़ोखिम कहा है। यह ज़ोखिम पूरे बैंकिंग उद्योग को प्रभावित करती है। बाज़ार ज़ोखिम प्रबंध किसी बैंक की तरलता, ब्याज दर, विदेशी विनिमय तथा इक्विटी के मूल्यों के प्रबंध में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है ताकि बैंक की व्यावसायिक ऋण नीति का उचित प्रबंधन हो सके।

संचालन ज़ोखिम : बैंकों में प्रभावी आंतरिक प्रक्रिया में कमी, मानवीय त्रुटियां, तकनीकी भूलों, वैधानिक अवरोध, धोखाधड़ी एवं बाह्य घटनाओं के कारण प्रत्यक्ष रूप से होने वाली ज़ोखिमों को संचालन ज़ोखिम कहा जाता है। बैंक अब परंपरागत बैंकिंग से हटकर बीमा, पूंजी बाज़ार, प्रतिभूतियों आदि जैसे नये क्षेत्रों में जाकर अपने क्रियाकलापों में विविधता ला रहे हैं। उनकी वजह से संचालन में नये-नये ज़ोखिम उत्पन्न हो रहे हैं। बैंकों की अनुषंगी कंपनियों के व्यवसाय से उत्पन्न ज़ोखिम को भी इसमें शामिल किया जाता है। इस प्रकार इस श्रेणी के अंतर्गत मानवीय प्रक्रिया संबंधी, प्रबंधन संबंधी, प्रणाली संबंधी, व्यवसाय संबंधी तथा बाहरी ज़ोखिम को भी सम्मिलित किया जा सकता है।

ऋण ज़ोखिम : ऋण ज़ोखिम किसी ऋण अथवा प्रतिपक्ष द्वारा उधार व्यापार अथवा किसी वित्तीय लेन-देन संबंधी किसी अनुबंध के दायित्वों को पूरा न करने की इच्छा अथवा अयोग्यता के कारण उत्पन्न होती है। यह ज़ोखिम मुख्य रूप से लेन-देन ज़ोखिम, डिफॉल्ट ज़ोखिम तथा पोर्टफोलियो ज़ोखिम का समिश्रण होती है। यह ज़ोखिम विभिन्न बाह्य एवं आंतरिक कारणों से उत्पन्न होती है। बाह्य कारणों में विदेशी विनिमय दरों के उतार-चढ़ाव, विभिन्न व्यापार प्रतिबंध, आर्थिक स्वीकृतियां, सरकारी नीतियां, वस्तुओं के मूल्यों में व्यापक परिवर्तन इत्यादि सम्मिलित हैं। जबकि आंतरिक कारणों में ऋण नीतियों में परिवर्तन, प्रशासन की कमी, ऋण अधिकारियों द्वारा ऋण-साख सीमा की परिभाषा का अपर्याप्त निर्धारण, ऋणी की आर्थिक स्थिति के मूल्यांकन में कमी, ऋण पुनरीक्षण पद्धति का अभाव और ऋण स्वीकृति के बाद वास्तविक उत्पादकता का अभाव सम्मिलित है।

ज़ोखिम सतत जारी रहने वाली एक प्रक्रिया है। ज़ोखिम प्रबंधन भविष्य के ख़तरों से बचने के लिए पहले ही कदम उठाने की व्यवस्था है। ज़ोखिम की संभावित मात्रा की सही-सही गणना व उसका मूल्यांकन तथा प्रावधान आवश्यक है। सूचना क्रांति के दौर में एटीएम, कार्ड बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, फोन बैंकिंग आदि इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का तेज़ी से विकास हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग में आज भी कंप्यूटरीकरण करते हुए बैंक इसकी उचित व्यवस्था के प्रति उतने जागरूक नहीं है, जितना कि होना चाहिए। बैंक कंप्यूटरों से व्यापार के बढ़ते दौर ने हमारे सामने प्रश्नचिह्न खड़े कर दिए हैं। यह किसी समय विशेष पर घटित होने वाली घटना नहीं, बल्कि जीवनपर्यंत होने वाली घटना कही जा सकती है। ऐसे जटिल परिवेश में नये-नये ज़ोखिम उत्पन्न होने के कारण ज़ोखिम प्रबंधन की नयी नीतियों की आवश्यकता हो रही है।

भारतीय बैंकिंग परिदृश्य और ज़ोखिम प्रबंधन का अंतिम निष्कर्ष होगा ग्राहक का संतोष। फिर वह चाहे ऋणकर्ता हो या जमाकर्ता। मुद्दे की बात यह है कि कायाकल्पित और अनुप्राणित प्रगति भारतीय बैंकिंग देश की आर्थिक अभिवृद्धि की गति तेज़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यद्यपि परिवर्तनों के इस कारवां को काफी लंबा सफ़र और कई सारे पड़ाव पार करने हैं, फिर भी साफ़ दिखाई दे रहा है कि इस प्रक्रिया को किसी भी विचारधारा की सरकार रोक नहीं पाएगी। बैंकिंग जगत में अंतरराष्ट्रीय प्रवृत्ति के तौर पर क्रांतिकारी परिवर्तन पिछले कुछ वर्षों का बेशक़ीमती उपहार है। यह उद्योग भविष्य की चुनौतियों का दृढ़तापूर्वक मुक़ाबला करने के लिए तत्पर है। उच्च तकनीक का उपयोग, ग्राहक प्रबंधन, बैंक बीमा, ज्ञान प्रबंधन, लाभप्रदता में वृद्धि, कम लागत वाली जमा राशियों, लघु बचत व ग्राहकों की संख्या में वृद्धि, विलयन व अधिग्रहण जैसे तीरों को अपने तरकश में समाए यह उद्योग पूर्व की भांति भविष्य के सभी ख़तरों से उभरकर और अधिक मज़बूत होकर बढ़ेगा। आने वाले समय में भारतीय बैंकिंग की छवि सारी दुनिया में फैलेगी। ❑

(लेखक चंचल बाई पटेल महिला महाविद्यालय जबलपुर के वाणिज्य विभाग से संबद्ध हैं।

ई-मेल : sudheesh_1973@rediffmail.com)

सदस्यता कूपन

नयी सदस्यता / नवीकरण / पता बदलने के लिए (जो लागू होता हो उस पर '✓' का चिह्न लगाएं।)

मैं ..... (पत्रिका का नाम एवं भाषा) का ❑ वार्षिक (100 रुपये) ❑ द्विवार्षिक (180 रुपये)

❑ त्रिवार्षिक (250 रुपये) सदस्य बनने का इच्छुक हूं। डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर/मनीआर्डर संख्या ..... तारीख .....

नाम .....

वर्ग ❑ विद्यार्थी ❑ शिक्षक ❑ संस्था ❑ अन्य

पता :.....

.....

पिन .....

नवीकरण/पता बदलने के लिए कृपया अपनी सदस्य संख्या यहां लिखें :.....

डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर/मनीआर्डर ***निदेशक, प्रकाशन विभाग*** के नाम से बनवाएं और कूपन के साथ इस पते पर भेजें :

व्यापार व्यवस्थापक (प्रसार) प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड-IV, सातवां तल, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066

बैंकिंग लोकपाल योजना

● संतोष श्रीवास्तव

बैंकिंग क्षेत्र अति संवेदनशील है, क्योंकि इसका संबंध सीधे ग्राहकों से होता है। बैंकों में जहां ग्राहकों की संतुष्टि ज़रूरी है, वहीं विवादों का शीघ्र समाधान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ग्राहक बैंक से जितने संतुष्ट रहेंगे, उतना ही उनका नेटवर्क मज़बूत रहेगा और कारोबार उतनी ही तेज़ी से उच्च शिखर तक पहुंचेगा।

इस दिशा में कई प्रयास किए जा रहे हैं तथा सभी बैंकों के उच्च प्रबंधन एवं कार्यालय समय-समय पर अपनी शाखाओं में ग्राहक सम्मेलन, ग्राहक समस्या निराकरण बैठकें आयोजित कर ग्राहकों की समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास करते हैं। परंतु कभी-कभी किन्हीं कारणों से विवाद अधिक गहरा जाता है और ग्राहक अपनी बात पर अडिग रहते हुए पूरा दोषारोपण बैंक/शाखा पर ही डालते हैं, जबकि आंतरिक कार्यप्रणाली की दृष्टि से कई बार बैंक/शाखा ग़लत नहीं भी होते। लेकिन बात यहां फिर ग्राहक संतुष्टि की आती है और यदि एक ग्राहक असंतुष्ट होता है तो वह उस शाखा से दस ग्राहक ले जाता है। इसी अवधारणा को दृष्टिगत रखते हुए पिछले काफ़ी समय से यह महसूस किया जा रहा था कि एक ऐसा मध्यस्थ ग्राहकों एवं बैंकों/शाखाओं के मध्य स्थापित किया जाए जो ग्राहकों से बैंक/शाखा की शिकायत मिलने पर एक तृतीय पक्ष की भूमिका निभाते हुए शिकायत के हर पहलू पर गंभीरता से विचार करते हुए एवं दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना उचित निर्णय दे सके।

बैंकिंग लोकपाल योजना की आवश्यकता

वास्तव में देखा जाए तो ग्राहकों की शिकायतों का त्वरित निराकरण तथा ग्राहक एवं बैंकों के बीच सर्वमान्य समाधान की अवधारणा के चलते ही भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग अधिनियम 1949 की धारा 35ए के अंतर्गत 14 जून, 1995 को 'बैंकिंग लोकपाल योजना' लागू की। इसके प्रावधान सभी अनुसूचित व्यापारिक बैंकों, ग्रामीण बैंकों अथवा सहकारी बैंकों में लागू हैं।

बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 के संदर्भ में भी बैंकिंग लोकपाल योजना का अपना विशेष महत्व है। इस अधिनियम में बैंकर की परिभाषा तो दी ही गई है साथ ही ग्राहक के संबंध में कहा गया है कि "जिस व्यक्ति का किसी बैंक में कोई जमा खाता, ऋण खाता, लॉकर या माल रक्षित अभिरक्षा खाता हो, बैंक का ग्राहक कहा जाएगा।" इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि "यदि कोई व्यक्ति जो नियमित रूप से बैंक की किसी शाखा में आता है परंतु वह बैंक की शाखा के साथ कोई आर्थिक लेनदेन नहीं करता है उसका उस बैंक शाखा में कोई खाता नहीं है तो उसे 'ग्राहक' की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया है।"

ग्राहकों के प्रकार

बैंकिंग लोकपाल योजना के बारे में विस्तृत चर्चा करने से पहले बैंक और ग्राहकों के संबंध एवं विभिन्न प्रावधानों को भी जानना ज़रूरी है जो इस प्रकार हैं :

- **देनदार और लेनदार :** इसमें जब ग्राहक जमाकर्ता हो तो वह लेनदार होता है एवं बैंक देनदार होता है। इसी प्रकार से बैंक ड्राफ़्ट में, ड्राफ़्ट लेने वाला ग्राहक लेनदार एवं बैंक देनदार है।
- **लेनदार और देनदार :** ग्राहक जब बैंक से ऋण लेता है तो वह देनदार एवं बैंक लेनदार होता है।
- **न्यासी और हिताधिकारी :** जब कोई व्यक्ति बैंक के पास अपना कोई सामान छोड़ जाए या बैंक में कोई धनराशि ज़मा करवाकर बगैर किसी आदेश के छोड़ जाए तो वह व्यक्ति हिताधिकारी और बैंक न्यासी बन जाता है। उसी प्रकार बैंक ड्राफ़्ट में ग्राहक हिताधिकारी और बैंक न्यासी होता है।
- **अभिकर्ता और प्रधान :** जब कोई ग्राहक बैंक में चेक जमा करता है और बैंक पैसे लेने के बाद उस व्यक्ति के खाते में जमा कर देता है तो ग्राहक प्रधान और बैंक अभिकर्ता होता है।
- **निक्षेपगृहिता और निक्षेपक :** यदि कोई व्यक्ति बैंक के पास अपना सामान जमा करता है और बैंक उस सामान की निगरानी की जिम्मेदारी लेता है तो बैंक निक्षेपगृहिता और ग्राहक निक्षेपक होता है। भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 के अंतर्गत बैंक को उस सामान के उचित रखरखाव की जिम्मेदारी भी उठानी पड़ती है।
- **पट्टाकर्ता और पट्टेदार :** जब कोई व्यक्ति बैंक से कोई लॉकर लेता है तो बैंक पट्टाकर्ता एवं ग्राहक पट्टेदार होता है।

बैंक और ग्राहक के बीच संबंध समाप्त होने की स्थितियां

- जब ग्राहक स्वयं सूचना देकर खाते को बंद कर दे।
- जब बैंक सूचना देकर सूचना समय समाप्त होने के बाद खाता बंद कर दे।
- जब ग्राहक की मृत्यु हो जाए, ग्राहक दिवालिया या पागल हो जाए।
- जब ग्राहक के खाते में गार्निशी आदेश या कुर्की आदेश आ जाए।

बैंकर के दायित्व

ग्राहक संबंध के मामले में बैंकर के दायित्व काफी संवेदनशील होते हैं। इनमें मुख्य रूप से निम्न दायित्व हैं :

- ग्राहकों द्वारा दिए मान्य, विधिसम्मत निर्देशों का परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के प्रावधानों के अंतर्गत निपटान।

– ग्राहक के खाते की गोपनीयता रखना।

परंतु गोपनीयता के संबंध में निम्न परिस्थितियों में बैंक बाध्यकर नहीं होगा :

– आयकर अधिनियम की धारा 131 और 133
– बैंकर्स बही साक्ष्य अधिनियम, 1891
– सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908
– बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949
– बैंकों के बीच आपसी परंपराएं
– भारतीय रिज़र्व बैंक जब धारा 45 के अंतर्गत किसी बैंक से किसी ग्राहक विशेष की जानकारी चाहे।
– कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 235, 237 और 251 के अंतर्गत जब केंद्र सरकार किसी कंपनी के खाते के बारे में किसी निरीक्षक को भेजे।
– जब बैंक को अपने आप यह लगे कि संबंधित ग्राहक के बारे में जानकारी देना आवश्यक है और यह उसके या ग्राहक के हित में है।

बैंकिंग लोकपाल योजना में उक्त के परिप्रेक्ष्य में निम्न प्रावधान हैं :

- बैंकिंग लोकपाल, भारतीय रिज़र्व बैंक के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। इसमें भारतीय रिज़र्व बैंक के मुख्य सामान्य प्रबंधक नियुक्त किए जा सकते हैं।
- ग्राहक को किसी सेवा में त्रुटि पाए जाने की स्थिति में शिकायत करने का अधिकार है। यह शिकायत जमा खातों, ऋण, अन्य लेन-देन, क्रेडिट कार्ड अथवा फ़ेयर प्रैक्टिसेज़ कोड के बारे में हो सकती है, परंतु ऐसे मामलों में शिकायत नहीं हो सकती जहां मामला न्यायालय में निर्णय के लिए रुका हो या लोकपाल कार्यालय से पहले ही किसी अन्य स्तर पर सुना जा चुका हो।
- ग्राहक सीधे पहले संबंधित बैंक को शिकायत करेगा। यदि बैंक की ओर से एक माह तक कोई उत्तर प्राप्त न हो या संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जाए तब ग्राहक सीधे बैंकिंग लोकपाल को अगले एक साल के अंदर शिकायत कर सकता है।
- इस शिकायत पर पहले लोकपाल के द्वारा या किसी न्यायालय के द्वारा निर्णय नहीं दिया गया हो।
- बैंकिंग लोकपाल को शिकायत मिलने पर वह शिकायत की एक प्रति संबद्ध बैंक को भेजकर उसकी टिप्पणी मंगाएगा और फिर शिकायत का निपटारा करने की चेष्टा करेगा, जिसे वह संबंधित ग्राहक एवं बैंक को भेज देगा।
- अपने निर्णय के द्वारा लोकपाल बैंक को सेवा में त्रुटि को दूर करने के निर्देश दे सकता है और 10 लाख रुपये तक का मुआवज़ा भी दे सकता है।
- निर्णय के बाद 45 दिन के अंदर ग्राहक या बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के पास अपील कर सकते हैं। बैंक के द्वारा अपील किए जाने की स्थिति में पहले इसके लिए बैंक अध्यक्ष या कार्यकारी निदेशक की स्वीकृति प्राप्त करेगा।
- यदि ग्राहक द्वारा लोकपाल के निर्णय को स्वीकार कर लिया जाए और अपनी स्वीकृति लोकपाल या बैंक के पास निर्णय मिलने के 15 दिन के अंदर भेज दी जाए तब बैंक द्वारा एक महीने के भीतर इस निर्णय को लागू करना अनिवार्य हो जाएगा। निर्णय लागू करते समय बैंक ग्राहक से क्षतिपूर्ति भी मांग सकता है।
- लोकपाल योजना में शिकायतें अधिकृत प्राधिकारी (किसी वकील के अतिरिक्त) के माध्यम से भी दायर की जा सकती है। भारतीय परिसीमन अधिनियम, 1963 में निर्धारित परिसीमन अवधि की समाप्ति से पूर्व ही इस प्रकार के दावे संबंधी शिकायतें दायर की जानी चाहिए।

वर्तमान स्थिति

वर्तमान में संपूर्ण भारत में 15 केंद्रों पर बैंकिंग लोकपाल कार्यालय स्थापित हैं तथा शिकायतों की संख्या, शिकायत का समय पर निपटान तथा लोकपाल द्वारा दिए गए अवॉर्ड की उपयुक्तता के आधार पर लोकपाल के कार्यनिष्पादन का विश्लेषण किया जाता है। बैंकिंग लोकपाल को प्रतिवर्ष लगभग पांच हज़ार शिकायतें प्राप्त होती हैं जिसमें से अधिकांश शिकायतें जमा खातों में व्यवहार, ऋण अग्रिमों, धन-अंतरण, बैंक गारंटी आदि से संबंधित होती हैं। यह खुशी की बात है कि बैंकिंग लोकपाल द्वारा लगभग 90 प्रतिशत से अधिक शिकायतें मध्यस्थता एवं परस्पर सहमति के आधार पर निपटाई गई हैं। त्वरित निर्णय लेने के कारण बैंकिंग लोकपाल का बैंक एवं ग्राहक दोनों ने स्वागत किया है।

इसकी उपादेयता एवं महत्व को देखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने इसमें संशोधन किए हैं। संशोधित बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006 जनवरी से लागू की गई है। संशोधित योजना में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं तथा इसे और अधिक सरल बनाते हुए शिकायतकर्ता एवं बैंक दोनों को बदलती हुई परिस्थितियों में एक नया दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित किया है।

बैंकिंग लोकपाल क्षतिपूर्ति का निर्धारण करते समय निम्न बातों का ध्यान रखता है :

– शिकायतकर्ता का लगने वाला समय
– वित्तीय हानि
– परेशानी
– मानसिक संताप आदि।

इसी के साथ मध्यस्थता द्वारा समझौते के प्रयास में बैंकिंग लोकपाल नामित बैंक के क्षेत्रीय/नोडल कार्यालय को भी शामिल करता है।

इस तरह से हम देखते हैं कि 'बैंकिंग लोकपाल योजना' बैंक एवं ग्राहक दोनों के हित में है। इस योजना से ग्राहक एवं बैंकों के बीच मनमुटाव दूर होते हैं एवं विवादों का समाधान कम समय में तथा सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में हो जाता है। इस योजना के तहत ग्राहकों को कम समय में यथोचित न्याय मिल जाता है।

ग्राहक संतुष्टि की दृष्टि से यह एक उपयोगी एवं सारगर्भित योजना है। इसी के कारण ग्राहकों की शिकायतों का त्वरित एवं संतुष्टिपूर्ण निपटान संभव हो सका है। आज जबकि बैंकों में 'ग्राहक सेवा' पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जा रहा है ऐसे में बैंकिंग लोकपाल योजना मील का पत्थर साबित हो रही है।

इसकी उपादेयता को प्रभावी बनाने के लिए सभी बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि वह इस योजना को सभी शाखा/कार्यालयों में प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित करे तथा अंचल/क्षेत्रीय कार्यालयों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करे जो 'बैंकिंग लोकपाल योजना' में बैंकिंग लोकपाल के समक्ष शिकायतों में बैंक का प्रतिनिधित्व करे तथा सही एवं वास्तविक स्थिति से बैंकिंग लोकपाल को सूचित करे।

आज वैश्वीकरण एवं उदारीकरण के दौर में जबकि बैंकों के बीच प्रतिस्पर्द्धा चरम पर है तथा ग्राहकों के लिए अनेक विकल्प खुले हैं ऐसे में बैंकिंग लोकपाल योजना ग्राहक एवं बैंकों के हित में है। इसके सकारात्मक एवं उत्साहवर्धक परिणामों से ग्राहक एवं बैंक दोनों लाभान्वित हो रहे हैं। ❑

(लेखक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, भोपाल में कार्यरत हैं)

वित्तीय क्षेत्र में कॉरपोरेट अभिशासन

भारतीय बैंकों के विशेष परिप्रेक्ष्य में

● संजय एम. नाफड़े

नयी शताब्दी के प्रथम दशक में भारतीय बैंकों में परिवर्तन की गति चमत्कृत करने वाली है। वर्ष 1991-92 में जब भारतीय अर्थव्यवस्था विशेषकर भारतीय बैंकिंग प्रणाली में परिवर्तन व सुधार की प्रक्रिया प्रारंभ की गई तो यह कल्पना नहीं की गई होगी कि आने वाले 10-15 वर्षों में भारतीय बैंकिंग का स्वरूप इतना परिवर्तित हो जाएगा कि यह अंदाजा लगाना मुश्किल होगा कि इस तंत्र ने कई दशक तक नियंत्रित अर्थव्यवस्था के युग में कार्य किया है। निश्चित तौर पर वर्तमान बैंकिंग तंत्र पूरी तरह से प्रौद्योगिकी द्वारा नियंत्रित व ग्राहकों के लिए है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें ग्राहक सेवा ही सर्वोपरि है। भारतीय बैंकिंग एक ऐसे क्षेत्र के रूप में विकसित हो गया है जहां ग्राहक की आवश्यकता के अनुरूप सेवाएं व उत्पाद विकसित किए जा रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो बैंकों की प्रत्येक गतिविधि में पारदर्शिता का समावेश अधिकाधिक होता जा रहा है। कॉरपोरेट अभिशासन की प्रक्रिया को वैश्वीकरण की प्रक्रिया से प्रतियोगिता को जो नयी दिशा मिली है उससे बाज़ार आधारित शक्तियों को प्रोत्साहन मिला है व बैंकिंग तंत्र विशेषकर भारतीय बैंकिंग तंत्र इससे अछूता नहीं है।

कॉरपोरेट अभिशासन का अर्थ

कॉरपोरेट अभिशासन ने इन वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों, विशेषकर वित्तीय क्षेत्र में अपने महत्व को प्रतिपादित किया है। वास्तव में कॉरपोरेट अभिशासन किसी संगठन का वह महत्वपूर्ण बिंदु है जो संगठन की कार्यकुशलता को अधिकतम बिंदु तक ले जाने में सक्षम होता है। लाभ कमाने वाले संगठनों के साथ-साथ सभी निजी, सार्वजनिक, व्यापारिक, गैर-व्यापारिक यहां तक कि विभिन्न राज्य सरकारों की कार्यप्रणाली के परिप्रेक्ष्य में भी इसका महत्व है। वर्तमान में कॉरपोरेट अभिशासन की ओर उन्मुख होने में निम्न कारकों का योगदान है :

- विभिन्न क्षेत्रों में व्यवसाय के लिए अपनाए जाने वाले निम्न श्रेणी के उपाय व गैर व्यावसायिक प्रवृत्ति जिससे कार्यकुशलता में गिरावट आती है व विभिन्न संगठनों के मूल्यों में कमी आती है।
- दोहरे मापदंडों के कारण भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है व संगठन की प्रतिष्ठा धूमिल होती है।
- उचित नियंत्रणों एवं प्रबंधन के अभाव में वाणिज्यिक संगठनों का असफल होना।

कॉरपोरेट अभिशासन को निम्न रूप से परिभाषित किया जा सकता है :

'कॉरपोरेट अभिशासन का अर्थ है सब कुछ सर्वश्रेष्ठ करना, जिसमें कंपनियों व उनके शेयरधारकों के बीच संबंध बढ़ाना, कंपनी के बाह्य निदेशकों की क्षमता विकसित करना, व्यक्तियों में दूरदृष्टि विकसित करने की प्रेरणा देना। यह सुनिश्चित करना कि सभी शेयरधारकों को सभी प्रकार की सूचना मिले। यह भी सुनिश्चित करना कि कार्यकारी प्रबंधन शेयरधारकों के हित में कार्य करें। कॉरपोरेट अभिशासन का अर्थ और कुछ नहीं सिर्फ़ यह है कि प्रबंधन व प्रबंध निदेशक इस प्रकार की जिम्मेदारी से कार्य करें कि शेयरधारकों के शेयर में मूल्य वृद्धि हो, साथ ही नैतिक आदर्शों का पालन करते हुए कंपनी की छवि को अच्छा बनाया जा सके।

कैडवरी और कुमार मंगलम समितियां

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कॉरपोरेट अभिशासन को प्रोत्साहित करने के लिए कैडवरी समिति ने अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे, वहीं भारत में सेबी ने वर्ष 1999 में इस विषय पर सुझाव देने के लिए कुमार मंगलम बिरला की अध्यक्षता में 18 सदस्यीय समिति का गठन किया था, ताकि मुख्य रूप से निवेशकों के हितों की रक्षा की जा सके। इस समिति ने 25 सुझाव दिए थे जिनमें से 19 सुझाव ऐसे थे जिन्हें लागू किया जाना आवश्यक किया गया। समिति की मुख्य सिफ़ारिशों को निम्न रूप से रेखांकित किया जा सकता है :

- कंपनी में कार्यकारी व गैर-कार्यकारी निदेशकों का अनुपात 50:50 होना चाहिए।
- कंपनी द्वारा एक निपुण व स्वतंत्र ऑडिट समिति की स्थापना करना आवश्यक होना चाहिए। इसमें कम-से-कम तीन सदस्य हों

जो गैर-कार्यकारी निदेशक भी हों। यह समिति वर्ष में कम-से-कम तीन बार अपनी बैठक करे।

- कॉरपोरेट अभिशासन के विषय में कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख होना चाहिए व उस पर कितना ज़ोर दिया गया इसकी समीक्षा की जानी चाहिए।

वित्तीय क्षेत्र में कॉरपोरेट अभिशासन

वैश्विक अर्थव्यवस्था में उदारीकरण निजीकरण, वैश्वीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। भारत भी इसका एक सदस्य है। इसने तो एक नये वैश्विक आर्थिक युग का मार्ग प्रशस्त किया है जिसका उद्देश्य एक स्वच्छ, खुली व बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था की स्थापना करना है। विश्व व्यापार संगठन का प्रमुख उद्देश्य विकासशील देशों द्वारा ज़ारी सभी टैरिफ़ व टैरिफ़ प्रतिबंधों की समाप्ति है, ताकि सभी देश एक-दूसरे के बाज़ारों में प्रवेश कर सकें। यद्यपि पूर्ण प्रतियोगिता से पहले भारत सहित अन्य विकासशील देशों को टैरिफ व गैर-टैरिफ बंधनों से मुक्ति हेतु पर्याप्त समय व सुविधाएं दी गई हैं। यह तय है कि भारत भी इन प्रतियोगात्मक परिस्थितियों से काफ़ी फ़ायदा उठा सकता है लेकिन उसके लिए यह आवश्यक है कि भारतीय कंपनियां जिनमें वित्तीय संस्थान भी शामिल हैं अपने वित्तीय व गैर-वित्तीय मामलों में अधिक सक्षमता से कार्य करें। वैश्विक उदारीकरण के इस युग में आने से प्रत्यक्ष विदेशी निवेशकों की पहली शर्त यही होती है कि कंपनी की कार्यप्रणाली अंतरराष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार पारदर्शी हो।

कॉरपोरेट अभिशासन को भारतीय बैंकिंग के परिप्रेक्ष्य में देखने से पहले हम भारतीय बैंकिंग तंत्र के सम्मुख किस प्रकार की चुनौतियां हैं उन पर दृष्टि डालते हैं। भारतीय बैंकिंग तंत्र के सबसे महत्वपूर्ण अंग सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के समक्ष अलग प्रकार की चुनौतियां हैं। इन बैंकों में सरकारी हिस्सेदारी को न्यूनतम 35 प्रतिशत तक किए जाने व इसके लिए बाज़ार से पूंजी जुटाने की चर्चाओं के बीच इन बैंकों में प्रदर्शन को उत्साहवर्धक कहा जा सकता है। बड़ी मात्रा में गैर-निष्पादनकारी आस्तियों व अधिक स्टाफ की समस्याओं के चलते इन्होंने लाभप्रदता, पूंजी पर्याप्तता व आस्ति देयता प्रबंधन के मामले में संतोषजनक प्रदर्शन किया है। लेकिन ग्राहक सेवा, तकनीकी उन्नयीकरण तथा उत्पाद विकास के मामले में काफी कुछ किया जाना बाकी है।

वित्तीय क्षेत्र में कॉरपोरेट अभिशासन की भूमिका विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग है। कई देशों में नियामक संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कई देशों में वित्तीय मध्यस्थ संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगे इन तत्वों की भूमिका भी इस बात पर निर्भर करती है कि उस देश में संस्थागत विकास किस स्तर पर पहुंचा है। जहां तक भारत का प्रश्न है वित्तीय मध्यस्थ संगठन की भूमिका कॉरपोरेट अभिशासन में महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही भारत में नियामक के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक की भूमिका होती है जबकि वित्तीय सुधारों की प्रक्रिया अनवरत रूप से ज़ारी है।

भारतीय वित्तीय तंत्र की संरचना इस मामले में विशिष्ट है कि इसमें अभी भी सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका निर्णायक है, चाहे वह बैंकिंग तंत्र हो या फिर विकासमान बैंकिंग संस्थाएं। अत: यह कहना उचित होगा कि सरकार ही एकमात्र वह संस्था है जो वित्तीय क्षेत्र में कॉरपोरेट अभिशासन के लिए उत्तरदायी है। यहां पर यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि सुधारों के पहले अधिकतर निर्णय बाह्य रूप से अर्थात किससे कितना ब्याज़ लेना है या देना है, भारतीय रिर्ज़व बैंक तय करता था, लेकिन अब रिज़र्व बैंक ने यह कार्य इन संस्थाओं पर छोड़ दिया है। अत: कॉरपोरेट अभिशासन की गुणवत्ता इन कार्यों को न्यायोचित ठहराने के लिए ज़रूरी है जो वित्तीय क्षेत्र के अच्छे प्रदर्शन के लिए आवश्यक है।

सरकारी स्वामित्व और कॉरपोरेट अभिशासन

भारतीय वित्तीय क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र की हिस्सेदारी महत्वपूर्ण होने से कॉरपोरेट अभिशासन को लागू करना कई महत्वपूर्ण कारणों से विचार का विषय है :

- वित्तीय क्षेत्र में आने वाले वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र का महत्व बना रहेगा। अत: कॉरपोरेट अभिशासन प्रथाओं को तय करने की जिम्मेदारी इसी व्यवस्था की है।
- यदि नियामक वित्तीय क्षेत्र में और अधिक प्रतियोगिता के पक्ष में हैं तो उसे इस क्षेत्र पर सरकारी स्वामित्व के परिप्रेक्ष्य में लेना होगा अर्थात यदि नियामक वित्तीय क्षेत्र में प्रतियोगिता को बढ़ावा देना चाहता है तो यह संभव है कि इन परिस्थितियों में नियामक को वांछित परिणाम न मिले, इसका परिणाम यह हो सकता है कि वित्तीय क्षेत्र में प्रतियोगिता के लिए जिस स्तर पर कॉरपोरेट अभिशासन की स्थापना नियामक चाहता है वह उस स्तर की न हो।
- कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि सार्वजनिक क्षेत्र में वैभिन्य स्वामित्व भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। सभी सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों में सरकार का स्वामित्व शत-प्रतिशत नहीं रहा है। कई संस्थानों में विनिवेश के कारण सरकार की हिस्सेदारी घटकर 55 से 70 प्रतिशत के बीच रह गई है। अत: इन परिस्थितियों में जबकि निजी शेयरधारकों की संख्या बढ़ी है, ऐसे में शेयरधारकों के मूल्य का संरक्षण व उनके हितों की रक्षा जैसे मुद्दों को प्रमुख स्थान मिलने लगा है। कई वर्ष पूर्व इस प्रकार के मुद्दे नहीं थे। मुख्य मुद्दा यह है कि इस प्रकार के परिवर्तनों ने कॉरपोरेट अभिशासन की प्रक्रिया को प्रभावित किया है।
- एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि बैंकिंग तंत्र को विकसित करने के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता है। रिज़र्व बैंक द्वारा धीरे-धीरे कठोर की जा रही पूंजी पर्याप्तता नियमों व प्रुडेंशियल नियमों के चलते अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी। आने वाले समय में यह चुनौती स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आएगी। क्योंकि बेसल-2 के मापदंडों के लागू होने के बाद अतिरिक्त पूंजी के लिए बैंकों को पूंजी बाज़ार को अपने कार्यक्रम पारदर्शी व प्रतियोगी होने का विश्वास दिलाना होगा। उन्हें यह भी विश्वास दिलाना होगा कि निवेश करना स्वयं शेयरधारकों के लिए भी समृद्धिकारी सिद्ध होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए उनके पास पर्याप्त पूंजी है और वह उसके माध्यम से वृद्धि कर सकते हैं। वित्तीय संस्थाओं को अपनी कॉरपोरेट अभिशासन के प्रति प्रतिबद्धता को साबित करना होगा। जहां तक वित्तीय संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्राप्त करने का प्रश्न है, उनके सामने दो स्रोत हैं या तो सरकार धन प्रदान करे या फिर वे पूंजी बाज़ार में जाएं। सरकार की वित्तीय स्थिति को देखते हुए उससे मदद

की आशा नहीं की जा सकती। ऐसे में सरकार को सबसे बड़ शेयरधारक होने के नाते कॉरपोरेट अभिशासन के प्रति अपनी निष्ठा ज़ाहिर करना प्रासंगिक होगा।

कॉरपोरेट अभिशासन पर चर्चा के दौरान रिज़र्व बैंक की नियामक व स्वामी की दोहरी भूमिका का इस विषय पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है? भारतीय स्टेट बैंक के मामले में रिज़र्व बैंक दोनों भूमिका निभा रहा था। ऐसे में नियामक के तौर पर उसकी भूमिका अधिक विस्तृत हो जाती है। नरसिंहम समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह प्रश्न उठाया था कि क्या नियामक को मालिक की भूमिका भी निभानी चाहिए? भारतीय रिज़र्व बैंक ने 'यूनिवर्सल बैंकिंग' पर एक पत्र में अपने विचार व्यक्त किए थे कि वह अपनी हिस्सेदारी सरकार को देने के पक्ष में है व सरकार अपने तौर पर इन वित्तीय संस्थाओं का विनिवेश कर सकती है। कई वर्ष पूर्व रिज़र्व बैंक ने सिक्युरिटीज ट्रेडिंग कॉरपोरेशन व डीएचआई ने अपनी बहुमत शेयरधारिता को समाप्त किया था। आने वाले समय में इस संबंध में आर्थिक-राजनीतिक दृष्टिकोण से निर्णय लिए जाने की संभावना है। नरसिंहम समिति ने अपनी रिपोर्ट में विचार व्यक्त किया था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मुख्य उद्देश्य शेयरधारकों के मूल्य में निरंतर वृद्धि होना चाहिए व उन्हें इस दिशा में सतत कार्य करते रहना होगा। वर्तमान में इनकी संरचना शेयरधारकों के प्रति मित्रवत न होकर वाचमैन की है।

कुछ अन्य मुद्दे

नरसिंहम समिति ने कॉरपोरेट के मुद्दे पर अपने स्पष्ट विचार रखे हैं। नियामक के तौर पर रिज़र्व बैंक की कॉरपोरेट अभिशासन के विषय में बिल्कुल स्पष्ट राय है। डॉ. एम. एच. खान ने अपने विचार पत्र में इस विषय को पर्याप्त गंभीरता व तेज़ी से लागू करने की बात कही थी। प्राय: ऐसा समझा जाता है कि कॉरपोरेट अभिशासन केवल बड़े कॉरपोरेटरों के लिए ही है। क्या यह संभव नहीं है कि छोटे कॉरपोरेटर, उद्योग और वित्तीय संगठन इस संबंध में अपने लिए कुछ न्यूनतम स्तर तय करें जिसपर आगे बढ़ते हुए कार्य कर सकें? वित्तीय संस्थाओं में कॉरपोरेट अभिशासन के लिए कैडबरी व कुमार मंगलम बिड़ला समितियों ने अपने सुझावों में कहा था कि कार्यपालन निदेशक व गैर-कार्यपालन निदेशकों के बीच संतुलन होना चाहिए। सरकार द्वारा नियुक्त होने के कारण वे सरकार के प्रति उत्तरदायी होते हैं न कि शेयरधारकों के प्रति। इन वित्तीय संस्थाओं में सरकारी स्वामित्व होने के बाद भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को शेयरधारकों के प्रति उत्तरदायी बनाया जा सकता है। इसी प्रकार बोर्ड की कुछ महत्वपूर्ण समितियां, जैसे प्रबंधन व लेखा परीक्षा समिति के गठन में किस प्रकार प्रतिनिधित्व दिया गया है? क्या वह श्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय कॉरपोरेट अभिशासन की प्रथाओं के अनुरूप है? इन बातों का ध्यान रखा जाना आवश्यक है।

कॉरपोरेट अभिशासन का संपूर्ण विचार इस धारणा पर आधारित है कि कंपनियां बोर्ड द्वारा संचालित होनी चाहिए न कि सरकारी नियमों और कानूनों के माध्यम से। भारत में वित्तीय संस्थाओं में सरकारी स्वामित्व होने की वजह से इनका संचालन बोर्ड द्वारा कम हो पाता है। यदि रिज़र्व बैंक व सरकार यह विचार रखती है कि इन संस्थाओं में कॉरपोरेट अभिशासन ठीक प्रकार से कार्य करे तो उन्हें स्वतंत्र रूप से कार्य करने की स्वतंत्रता देनी होगी। इसी प्रकार वित्तीय संस्थाओं की वार्षिक साधारण सभाओं के मामले में भी सरकार को अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं का अनुसरण करना होगा। वित्तीय संस्थाओं के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्तियों में पारदर्शिता व जिम्मेदारी का तत्व होना कॉरपोरेट अभिशासन के लिए आवश्यक है। सामान्यत: यह देखा जाता है कि इन संस्थानों में नियुक्तियों में बहुत समय लगता है व कई बार यह विवाद का विषय भी बन जाती हैं। ऐसे में आवश्यकता इस बात की है कि पेशेवर व प्रतिभावान व्यक्तियों को इस कार्य के लिए चुना जाए। पिछले दिनों सत्यम कंप्यूटर प्रकरण ने भारतीय वित्तीय प्रणाली में कई कमियों की ओर संकेत किया। इस प्रकरण ने देश के वित्तीय नियंत्रण तंत्र और लेखा परीक्षा पद्धति के साथ-साथ कॉरपोरेट अभिशासन को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। क्योंकि सत्यम कंप्यूटर को अन्य बातों के अलावा कॉरपोरेट अभिशासन के लिए भी जाना जाता था व इसके लिए उसे पुरस्कार भी मिल चुका है। अत: यह आवश्यक है कि देश में कॉरपोरेट अभिशासन तंत्र को और अधिक मज़बूत व क्रियाशील बनाया जाए। ❑

(लेखक भारतीय स्टेट बैंक कृषि, विकास शाखा पिपरिया, म.प्र. में शाखा प्रबंधक हैं)

अपने लेख हमें ई-मेल करें

आप हमें अपने लेख और पत्र ई-मेल भी कर सकते हैं। ई-मेल करने इसके लिए कृतिदेव फोंट इस्तेमाल करें और वर्ड ओपन फाईल exeed.yojana@gmail.com अथवा yojanahindi@gmail.com पर भेजें। एक से अधिक लेखकों के नाम केवल विशेष शोध लेखों पर ही दें। जिन रचनाओं के साथ मौलिकता का प्रमाणपत्र संलग्न नहीं होगा वे स्वीकार नहीं की जा सकेंगी। रचना के प्रकाशन के संबंध में किसी प्रकार का पत्र-व्यवहार अथवा फोन न करें। विशेष अवसरों के लिए लेख तीन माह पूर्व प्राप्त हो जाने चाहिए। रचनाओं के साथ यथासंभव प्रासंगिक चित्र भी भेजें। डाक से भेजे जाने वाले लेखों की एक प्रति सीडी में भी भेजें। वापसी के लिए कृपया टिकट लगा और पता लिखा लिफ़ा संलग्न करें।

– वरिष्ठ संपादक

बैंकों से बदलती गांवों की तस्वीर

● चंद्रभान यादव

भारत सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। बैंकों को इस बात के लिए पाबंद किया गया है कि वे हर हाल में अपनी पैठ गांवों तक बनाएं तथा ग्रामीणों को रोज़गार के साथ कृषि ऋण भी उपलब्ध कराएं। केंद्र सरकार का यह मानना है कि जब तक ग्रामीणों को बैंकों की मदद नहीं मिलेगी तब तक देश व समाज का भला नहीं हो सकता है। अब बैंकों की ओर से लोगों को स्वरोज़गार से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। कोई एक बैंक नहीं बल्कि देश में मौजूद हर बैंक की ओर से गांव-गांव में ऋण मेलों का आयोजन किया जा रहा है। लोगों को सूदखोरों से बचाने और उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए ही ये शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में छोटी दुकान से लेकर बड़े क़ारोबार तक के क़र्ज लिए जा रहे हैं। खेती के लिए कृषि संसाधनों के साथ ही ट्रैक्टर व अन्य कृषि संबंधी यंत्रों के लिए भी ऋण का प्रावधान है। सरकार की ओर से गठित कार्यबल ने योजना की स्थिति से तत्कालीन प्रधानमंत्री और कृषिमंत्री को वाक़िफ कराया था जिस पर सरकार ने योजना की मानिटरिंग में लगे कई अफसरों के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी की थी। इतना ही नहीं किसानों को सस्ते दर पर पंपसेट सहित कृषि संबंधी अन्य उपकरणों के लिए भी ऋण की व्यवस्था की गई। लघु एवं सीमांत किसानों को शिविर लगाकर योजनाओं की जानकारी दी गई। यह प्रक्रिया आज भी जारी है। मौजूदा बजट में एक तरफ किसानों को सस्ते ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराने की घोषणा की गई है तो दूसरी तरफ 4.5 करोड़ किसानों को ऋणमाफी योजना में शामिल कर उन्हें राहत प्रदान की गई है। सरकार ने 1998-99 में किसान क्रेडिट कार्ड देने की घोषणा की। इसकी जिम्मेदारी संभाली आरबीआई और नाबार्ड ने। मार्च 2001 में जहां 1,32,44,397 कार्ड जारी हुए वहीं वर्ष 2008-2009 में 2 करोड़ 80 लाख किसानों को कार्ड मुहैया कराया गया। इस योजना में किसानों को उसकी जोत के आधार पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्हें जितने रुपये की ज़रूरत है, उतने रुपये बैंक से आसानी से मिल जा रहे हैं। इस तरह बैंकों के गांवों तक पहुंचने के बाद ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति में तेज़ी से सुधार हुआ है। वे रोज़गार की तलाश में इधर-उधर भटकने के बजाय स्वरोज़गार अपनाकर देश के विकास में सहयोग कर रहे हैं। बैंक ग्रामीण स्तर पर जितना अधिक समृद्ध होंगे, गांवों का विकास उतनी ही तेज़ी से होगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर

1. सर ऑसबार्न स्मिथ (1935-1937)
2. सर जेम्स टेलर (1937-1943)
3. सर सी.डी. देशमुख (1943-1949)
4. सर बी. रामाराव (1949-1957)
5. के.जी. अंबेगांवकर (1957)
6. एच.वी.आर. अयंगर (1957-1962)
7. पी.सी. भट्टाचार्य (1962-1967)
8. एल.के. झा (1967-1970)
9. बी.एन. अदरकर (1970)
10. एस. जगन्नाथ (1970-1975)
11. एन.सी. सेनगुप्ता (1975)
12. के.आर. पुरी (1975-1977)
13. एम. नरसिंहम (1977)
14. डॉ. आई.जी. पटेल (1977-1982)
15. डॉ. मनमोहन सिंह (1982-1985)
16. ए. घोष (1985)
17. आर.एन. मल्होत्रा (1985-1990)
18. एस. वेंकटरामन (1990-1992)
19. डॉ. सी. रंगराजन (1992-10 नवंबर, 1997)
20. डॉ. विमल जालान (11 नवंबर, 1977-5 सितंबर, 2003)
21. डॉ. वाई.वी. रेड्डी (6 सितंबर, 2003 से 5 सितंबर, 2008)
22. डॉ. डी. सुब्बाराव (6 सितंबर, 2008 से अब तक)

रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया

रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल, 1935 को रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1934 के अनुसार हुई। आरंभ में इसका केंद्रीय कार्यालय कलकत्ता में था जो सन् 1937 में मुंबई आ गया। यह देश में बैंकिंग और मौद्रिक गतिविधियों के विनियमन और नियंत्रण के लिए भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है। डॉ. दुव्वरी सुब्बाराव भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान गवर्नर हैं, जिन्होंने 2 सितंबर, 2008 को पदभार ग्रहण किया।

रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रमुख कार्य

- मौद्रिक नीति तैयार करना, उसका कार्यान्वयन और निगरानी करना।
- वित्तीय प्रणाली का विनियमन और पर्यवेक्षण करना।
- विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना।
- मुद्रा जारी करना, उसका विनिमय करना और परिचालन योग्य नहीं रहने पर उन्हें नष्ट करना।
- सरकार का बैंकर और बैंकों के रूप में काम करना। ❑

(लेखक पत्रकार हैं।
ई-मेल : ychandrabhan@yahoo.com)

ग्रामीण ऋण व्यवस्था और सार्वजनिक बैंक

● कुसुमलता सिंह

कहा जाता है कि भारत गांवों का देश है। इस कथन के पीछे मूल कारण यह है कि भारत की आबादी का दो-तिहाई हिस्सा गांवों में रहता है। गांवों में रहने वाले लोग मध्यम अथवा ग़रीब परिवारों से हैं। उनका मूल पेशा खेती है। खेती के साथ वे विभिन्न कार्यों के ज़रिये अपनी जीविका चला रहे हैं। इस दो-तिहाई आबादी को लेकर हमारी सरकारें हमेशा चिंतित रहती हैं। इनके विकास के लिए समय-समय पर विभिन्न योजनाएं चलाई गईं, लेकिन जानकारी के अभाव के कारण अभी भी गांवों के लोगों की माली हालत में कोई खास सुधार नहीं हो पाया है। जो लोग खेती कर रहे हैं वे जानकारी के अभाव में परंपरागत खेती से ही जुड़े हुए हैं। व्यावसायिक खेती न करने के कारण उनके पास आमदनी का भी कोई खास ज़रिया नहीं है। कई बार लोग पैसे के अभाव में न तो रोज़गार कर पाते हैं और न ही अपने खेत में समय से बुवाई कर पाते हैं। यही वज़ह है कि सरकार की ओर से कोशिश की जाती है कि गांवों के लोगों को बैंकों के ज़रिये सस्ते दर पर कर्ज़ मुहैया कराया जाए, जिससे वे खेती सहित अपने अन्य कार्यों के लिए साहूकारों का चक्कर न काटें और कर्ज़ में डूब कर आत्महत्या न करें। वर्तमान में सरकार का ज्यादा ज़ोर ग्रामीण ऋण पर रहा है। बैंकों को इस बात के लिए पाबंद भी किया गया है कि वे गांव के लोगों को विभिन्न योजनाओं के ज़रिये ऋण ज़रूर दें।

आज़ादी के उपरांत बैंकिंग क्षेत्र में भी काफी परिवर्तन आया है। आज़ादी के समय लोगों को नकदी आहरित करने के लिए काफी समय तक इंतजार करना पड़ता था। अब बैंक की ओर से ऐसी विभिन्न योजनाएं चलाईं जा रही हैं, जिसके ज़रिये कर्ज़ लेने के लिए बैंकों का चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बार किसान क्रेडिट कार्ड अथवा बैंकों की ओर से दिए जाने वाले अन्य कार्ड बन जाए हमेशा के लिए झंझट से मुक्ति मिल जाती है। फिर बैंक जाओ और पैसा निकाल लो। इतना ही नहीं, अब तो एटीएम की व्यवस्था होने से फार्म भरने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। बस, एक बटन दबाकर हम पैसे निकाल सकते हैं। कृषकों को भी बैंकिंग क्रांति से लाभ हुआ है। आज राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं देश के दूर-दराज इलाक़ों में लगभग हर न्याय पंचायत में उपलब्ध है।

बैंक ऑफ हिंदुस्तान नाम से सन् 1770 में भारत में पहला बैंक स्थापित हुआ था। उसके बाद जनरल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से ज्ञात भारत के दूसरे बैंक की स्थापना 1786 के पूर्वार्द्ध में हुई थी। बाद में, विशेष रूप से सन् 1900 के पूर्वार्द्ध में बहुत से बैंक अस्तित्व में आए। आज़ादी के उपरांत बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार ने कई उपाय किए। वर्ष 1969 में 14 व्यावसायिक बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया। इसका उद्देश्य था अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के साथ ही कृषि को बढ़ावा देना क्योंकि जब तक खेत में खाद, बीज, पानी का पर्याप्त इंतजाम नहीं होगा तब तक देश एवं समाज का विकास नहीं हो सकता। इसलिए बैंकों के ज़रिये किसानों को सस्ते दर पर कर्ज़ उपलब्ध कराने की कोशिश की गई। बैंकों के राष्ट्रीयकरण का दूसरा चरण 1980 में शुरू किया गया जब छह अन्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसके उपरांत, देश में लगभग 80 प्रतिशत बैंकिंग क्षेत्र सरकार के स्वामित्व के अधीन आए। बैंकों पर लोगों का विश्वास बढ़ा तथा जमा राशि में काफी वृद्धि हुई। इससे सरकार को कृषि सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए ऋण तथा साख प्रदान करने की अनुमति मिल गई। 1990 के उत्तरार्द्ध में सरकार ने रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया एवं नाबार्ड से परामर्श करके किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की। यह योजना कृषि उत्पादन, खेती तथा आकस्मिकता के लिए कृषि संबंधी व्यय की भरपाई करती है। सर्वांगीण विकास को गति देने के लिए पर्याप्त मात्रा में धन की आवश्यकता होती है। सरकार ने बैंकों को निर्देश दिया कि वे 2004-05 में शुरू होने वाली वित्तीय वर्ष से तीन वर्ष तक कृषि क्षेत्र में ऋण आवंटन को दोगुना करें। सरकार की इस पहल से बहुत से फायदे हुए। अब स्थिति यह है कि हर बैंक किसानों को ऋण देने में ज्यादा रुचि ले रहा है क्योंकि अब किसान बैंक का पैसा हज़म करने की कोशिश नहीं करते। वे बैंक से उधार लेते हैं और ब्याज सहित समय पर अदा करते हैं। कुछ दिन पहले आई एक रिपोर्ट से भी इस बात का खुलासा हुआ है कि बैंकों को ऋण वसूली में सबसे कम

कवायद किसानों से करनी पड़ती है। आमतौर पर किसान अपने कर्ज़ को समय पर अदा कर देते हैं। अपवाद स्वरूप कुछ किसानों को छोड़ दिया जाए तो बैंकों को किसानों के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करनी पड़ती है। अगर किसी किसान ने कर्ज़ नहीं भी चुकाया तो भी उसकी स्थायी संपत्ति से बैंक का पैसा वसूल हो जाता है। जबकि दूसरे तरह के ऋण में बैंक का पैसा डूबने की ज्यादा संभावना रहती है। यही वज़ह है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि के लिए विशेष बजट की व्यवस्था की गई है।

भारतीय स्टेट बैंक

भारत के ग्रामीण इलाक़े में अपनी पैठ बनाने वाली भारतीय स्टेट बैंक अपनी लगभग 6,600 ग्रामीण और अर्द्धशहरी शाखाओं के ज़रिये किसानों और भूमिहीन कृषक मज़ूदरों की ज़रूरतों की पूर्ति कर रहा है। कृषि के विकास के लिए इसकी 972 विशिष्ट शाखाएं हैं। ये शाखाएं कृषि संबंधी कार्यकलापों की वृहद सूची को कवर करती हैं। फ़सल उत्पादन, बागवानी, मशीनीकरण, भू-विकास, सिंचाई परियोजनाएं, पशुपालन सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए यह ऋण देती है। भारतीय स्टेट बैंक लगभग 50 लाख किसानों को कृषि अग्रिम देने में 18,000 करोड़ रुपये के पोर्टफोलियो के साथ कृषि वित्त के प्रमुख बैंकों में से एक है। इसके सात सहायक बैंक हैं– स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर। ये बैंक विभिन्न क्षेत्रों में किसानों को कर्ज़ उपलब्ध करा रहे हैं। इन बैंकों से कृषकों को फ़सल ऋण, उत्पाद वितरण ऋण योजना, भंडार प्राप्ति के लिए ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, कृषि आवधिक ऋण, भूमि विकास योजना, लघु सिंचाई योजना, फार्म तंत्रिकीकरण योजना, मिश्रित हार्वेस्टर का वित्तपोषण, किसान गोल्ड कार्ड स्कीम, भूमि ख़रीद योजना, कृषि प्लस स्कीम, अरथियस प्लस स्कीम, डेरी प्लस स्कीम, ब्रॉइलर प्लस स्कीम, बागवानी का वित्तपोषण, लीड बैंक स्कीम और कृषि व्यापार शीर्ष स्कीम के तहत ऋण दिया जाता है।

भारत की अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक

इलाहाबाद बैंक : यह भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे पुराना बैंक है। इस बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है। यह किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड और किसान व्यक्ति योजना स्कीम के तहत कर्ज़ उपलब्ध कराता है। किसान क्रेडिट कार्ड किसानों के लिए एक विशिष्ट स्कीम है। इसके द्वारा वे फ़सल उत्पादन तथा घरेलू आवश्यकताओं के लिए कार्ड जारी करने वाली शाखा से स्वीकृत सीमा के भीतर नकद का आहरण कर सकते हैं। किसान शक्ति योजना फार्म निवेश ऋण प्रदान करता है।

आंध्रा बैंक : इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। इसने देश में वर्ष 1981 से क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की। यह बैंक किसानों को जो सुविधाएं प्रदान करता है वे हैं : एबी किसान विकास कार्ड, एबी पट्टा एग्री कार्ड, एबी किसान चक्र, ग्रामीण गोदाम एग्री क्लिनिक्स, एग्री सर्विस सेंटर, स्वयं सहायता समूह और सोलर कुकर। इसकी अन्य दूसरी योजनाएं हैं किसान संपत्ति ट्रैक्टर वित्तपोषण, किसान ग्रीन कार्ड, सूर्या शक्ति और डेरी एजेंटों को ऋण।

बैंक ऑफ बड़ौदा : इसका मुख्यालय मुंबई में हाईटेक बड़ौदा कॉर्पोरेट केंद्र में है। देश के विभिन्न प्रदेशों में इसकी 2,700 शाखाएं हैं और यह विश्वभर के 21 देशों में कार्य संलाचन करता है। यह किसानों को बड़ौदा किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करता है। इसके पास कृषि उपकरण ख़रीदने, भारी कृषि मशीनरी, जैसे– ट्रैक्टर, सिलाई और अन्य ऐसे उपकरण ख़रीदने के लिए भी योजनाएं हैं। बड़ौदा बैंक कृषि उद्योग का विकास, जैसे बागवानी, तशरपालन, मत्स्यपालन, डेरी, पोल्टरी का भी वित्तपोषण करता है।

बैंक ऑफ इंडिया : इस बैंक की स्थापना मुंबई में हुई। इसकी भारत में 2,644 शाखाएं हैं, जिनमें 93 विशिष्टीकृत शाखाएं शामिल हैं। बैंक ऑफ इंडिया के पास किसान क्रेडिट कार्ड योजना है जो किसानों को कृषि और अन्य कृषि आधारित क्रियाकलापों के लिए लचीला और अनुकूल भुगतान शर्तों पर अल्पावधि निधियां जुटाने के लिए सहायता करती है। यह कृषि संबंधी उद्योगों के विकास, मशीनरी ख़रीदने और अन्य कृषि प्रयोजनों के लिए कृषि ऋण भी प्रदान करता है।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र : इसकी भारत में 1,292 शाखाएं हैं और महाराष्ट्र में किसी भी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक से अधिक शाखाओं का वृहद संजाल है। इसके प्रादेशिक कार्यालय भारत के 22 नगरों में हैं। यह कृषकों को महाबैंक किसान क्रेडिट कार्ड और वित्तीय योजनाएं नये कुएं खोदने, हारवेस्टर खरीदने, मवेशी, वाहन और भूमि खरीदने के लिए प्रदान करता है। विभिन्न कृषि ऋणों के लिए पुनर्अदायगी की शर्तें तीन से पंद्रह वर्ष तक की होती हैं।

केनरा बैंक : वर्तमान में इसकी लगभग 2,542 शाखाएं हैं। केनरा बैंक का मुख्यालय बंगलुरु में है। यह बैंक किसान क्रेडिट कार्ड मुहैया कराता है। 50,000 की सीमा तक इसका कोई मार्जिन नहीं है, जिनकी सीमा 50,000 से अधिक है उनके लिए 15 से 20 प्रतिशत तक मार्जिन है। इसके अलावा केनरा बैंक व्यापक पैमाने पर विभिन्न कृषि प्रयोजनों के लिए वित्तीय योजनाएं प्रदान करता है।

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया : यह पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक है जिसका पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन भारतीयों द्वारा किया जाता था। आज भारत के 27 राज्यों में इसकी 3,228 शाखाएं हैं और 267 विस्तार काउंटर हैं। इसका मुख्य कार्यालय मुंबई में है। सेंट्रल किसान क्रेडिट कार्ड इसकी एक सेवा है जो किसानों को कृषि उपकरण और अन्य सामग्री ख़रीदने के लिए उनकी धारिता के आधार पर प्रदान किया जाता है। केवल वे किसान जिनका ट्रैक रिकार्ड विगत 2 वर्षों तक बैंक में उधारकर्ता या जमाकर्ता के रूप में अच्छा है और किसी ऋण संस्था के दोषी नहीं है वही इस सेवा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

कॉर्पोरेशन बैंक : इसकी देश के 21 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों में 906 शाखाएं, 47 विस्तार काउंटर और 929 ऑनलाइन अंतर-संबद्ध एटीएम हैं। इसका मुख्य कार्यालय मंगलोर में स्थित है। यह बैंक किसानों को बहुत-सी ऋण योजनाएं प्रदान करता है। ये हैं : कोर ग्रामीण मित्र योजना, कोर अर्थिमस ऋण योजना, कोर किसान गठबंधन ऋण योजना, कोर किसान फार्म मैकनाइजेशन स्कीम और कोर किसान वहन ऋण योजना।

देना बैंक : देना बैंक ग्रामीण भारत में देना कृषि साख पत्र से जाना जाने वाला क्रेडिट कार्ड शुरू करने वाला देश का पहला बैंक है। वर्तमान में इस बैंक की 360 से अधिक शाखाएं

हैं। इसका मुख्यालय मुंबई में है। देना बैंक ने दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजित किया– गुजरात में देना गुजरात ग्रामीण बैंक और छत्तीसगढ़ में दुर्ग राजनंदगांव ग्रामीण बैंक (डीआरजीबी)। बैंक ने ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोज़गार युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए ग्रामीण विकास नींव की स्थापना की है। बैंक की अन्य वित्तीय योजनाएं हैं : देना स्वच्छ ग्राम योजना, देना किसान गोल्ड क्रेडिट कार्ड योजना और देना भूमिहीन किसान क्रेडिट कार्ड योजना।

इंडियन बैंक : इंडियन बैंक की देश में 1,443 से अधिक शाखाएं हैं और इसकी दो विदेशी शाखाएं सिंगापुर और कोलंबो में हैं। किसानों को ऋण देने के अलावा, इंडियन बैंक कृषि संबंधी परामर्श और तकनीकी सेवाएं भी प्रदान करता है साथ ही उच्च-प्रौद्योगिकी वाली कृषि संबंधी परियोजनाओं को वित्तपोषित करता है। इसका मुख्य कार्यालय चेन्नई में है। कृषकों के लिए इसके पास विस्तृत शृंखला की योजनाएं हैं, जैसे– स्वरोज़गार क्रेडिट कार्ड, ग्रामीण महिला सौभाग्य योजना, किसान बाईक ऋण योजना, युवा किसान विद्या निधि योजना और इंडियन बैंक किसान कार्ड योजना।

इंडियन ओवरसीज़ बैंक : इस बैंक की 1,400 से अधिक घरेलू शाखाएं हैं और 6 विदेशी शाखाएं हैं। इसका मुख्य कार्यालय चेन्नई में अवस्थित है। यह बैंक कृषि, बागवानी, कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण, पशुपालन और संबंधित सेवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न कृषि व्यापार परामर्शी सेवाएं प्रदान करता है। कृषि व्यवसाय परामर्शी सेवाएं प्रदान करता है जिसमें व्यवहार्यता और बाजार अध्ययन कराना, ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्ट तैयार करना और कृषि यूनिटों के लिए पुनर्वास पैकेज़ों का गठन करना।

ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स : इसकी देश में 1,148 शाखाएं और 162 विस्तार काउंटर हैं। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। यह बैंक उत्तराखंड के देहरादून जिले में और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में ग्रामीण परियोजना के संचालन में शामिल है। इसने पंजाब के तीन गांवों में व्यापक ग्रामीण विकास कार्यक्रम भी शुरू किया है। इसकी दो कृषि योजनाएं हैं– ग्रामीण परियोजना और व्यापक ग्राम विकास कार्यक्रम। ग्रामीण परियोजना में महिलाओं को 75 रुपये से लेकर लघु ऋणों को संवितरण करना शामिल है। स्थानीय रूप से उपलब्ध कच्ची सामग्री का उपयोग, अचार और जैम तैयार करने के लिए गांवों में प्रशिक्षण दिया जाता है। व्यापक ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत यह ग्रामीणों को ग्रामीण वित्तपोषण का एकीकृत पैकेज़ प्रदान करने पर बल देता है।

पंजाब एंड सिंध बैंक : इसका भी मुख्यालय नयी दिल्ली में स्थित है। देश के विभिन्न प्रदेशों में इसकी लगभग 813 शाखाएं और 76 विस्तार काउंटर हैं। यह बैंक क्रेडिट कार्ड, टैक्टर वित्त योजना, ड्रिप सिंचाई योजना, खेती उद्योग योजना, वर्मी कंपोस्टिंग योजना, बागवानी क्लिनिक और निजी पशु चिकित्सा क्लिनिक, डेरी यूनिट योजना आदि संचालित करता है।

पंजाब नेशनल बैंक : यह भी मूलत: नयी दिल्ली का बैंक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद इस बैंक का भारत में विशालतम शाखा संजाल है जिसमें लगभग 4,525 कार्यालय शामिल हैं। बैंक अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों के प्रति सचेत है और अपनी कृषि योजनाओं के माध्यम से कृषि और उससे जुड़े हुए कार्यकलापों का वित्तपोषण करता है। यह बैंक फ़सल प्रचलनों, पौध संरक्षण फार्म मशीनरी, बाज़ार मूल्यों और कृषि संबंधी अन्य समाचारों एवं क्रियाकलापों के संबंध में ब्यौरा देता है। पंजाब नेशनल बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली उत्पादन ऋण निवेश क्रेडिट, मिश्रित ऋण, पशुपालन और फार्म यांत्रिकीकरण संबंधी वित्तीय योजनाओं की सूची प्रदान करता है। इसके अलावा सरकार की ओर से चलने वाली विभिन्न योजनाओं के तहत भी बैंक ऋण प्रदान कर रहा है।

सिंडीकेट बैंक : इस बैंक की स्थापना स्थानीय जुलाहों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए तटवर्ती कर्नाटक के उडुपी में हुई थी। आज बैंक का मुख्य कार्यालय मणिपाल, कर्नाटक में है और देश के विभिन्न राज्यों में इसकी लगभग 2,006 शाखाएं हैं। सिंडीकेट बैंक कृषि संबंधी वित्तपोषण शुरू करने वाला देश का पहला बैंक है। यह अनेक कृषि ऋण उत्पाद प्रदान करता है जैसेकि सिंड जय किसान ऋण योजना, कृषि के लिए ज्वेल ऋण योजना, सिंडीकेट फार्म हाउस स्कीम, हाईटेक कृषि के लिए वित्तपोषण, सिंचाई अवसंरचना विकास योजना, सिंडीकेट 2/3/4 पहिया योजना और सिंडीकेट किसान क्रेडिट (एसकेसीसी) भी प्रदान करता है।

यूको बैंक : इस बैंक की देशभर में

किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले बैंक

किसान क्रेडिट की शुरुआत होने से किसानों की तक़दीर बदल गई है। अब उन्हें खाद-बीज के लिए साहूकारों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। इस वज़ह से किसानों की आर्थिक व्यवस्था में सुधार हुआ है। पहले किसान महंगे दर पर साहूकारों से ऋण लेते थे। खेत में वही बीज और खाद डाल पाते थे, जो दुकानदार देता था, क्योंकि उन्हें उधार लेना पड़ता था, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। अब किसान बैंक से ऋण लेकर अपनी पसंद की फ़सल बो पाते हैं और अपने तरीक़े से खाद व कीटनाशक का प्रयोग कर पाते हैं। बैंकों की ओर से यह सुविधा दिए जाने के बाद निश्चित रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हुआ है।

किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले प्रमुख बैंक

इलाहाबाद बैंक–किसान क्रेडिट कार्ड, आंध्रा बैंक–किसान क्रेडिट ग्रीन कार्ड, बैंक ऑफ बड़ौदा–बी. किसान क्रेडिट कार्ड, बैंक ऑफ इंडिया–किसान समाधान कार्ड, केनरा बैंक–किसान क्रेडिट कार्ड, कॉरपोरेशन बैंक–किसान क्रेडिट कार्ड, देना बैंक–किसान गोल्ड क्रेडिट कार्ड, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स–ओरिएंटल ग्रीन कार्ड (ओजीसी), पंजाब नेशनल बैंक–कृषि कार्ड, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद–किसान क्रेडिट कार्ड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया–किसान क्रेडिट कार्ड, सिंडिकेट बैंक–सिंडिकेट किसान क्रेडिट कार्ड, विज़या बैंक–विज़या किसान क्रेडिट कार्ड। ❑

क़रीब 2,000 सेवा यूनिटें हैं, जिनमें से कुछ, 'कोई छुट्टी नहीं' वाली शाखाएं हैं। इसकी दो अंतरराष्ट्रीय शाखाएं हांगकांग और सिंगापुर में हैं। बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है। यह बैंक कृषि के लिए संबद्ध क्रियाकलापों तथा व्यक्तिगत प्रयोजनों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कृषक समुदाय की दीर्घावधि ऋण आवश्यकता को पूरा करने के लिए यूको हीरक जयंती कृषि योजना प्रदान करता है। इसमें केवल 60 वर्ष से कम आयु के किसान आवेदन करने के पात्र हैं। ऋण की न्यूनतम राशि 25,000 रुपये और अधिकतम 5 लाख रुपये है।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया : इस बैंक की 950 से अधिक शाखाएं और विस्तार काउंटर है और 659 एटीएम हैं। बैंक का मुख्य कार्यालय कोलकाता में स्थित है। किसानों को दी जाने वाली सुविधाओं में किसान एटीएम कार्ड और विशेष किसान एटीएम मशीनें शामिल हैं। इन एटीएम को संचालित करना आसान है और किसानों के लिए उच्चस्तरीय साक्षरता की आवश्यकता नहीं होती है। वे स्थानीय भाषाओं में ध्वनि समर्थित हैं उनका स्पर्श स्क्रीन मॉनीटर होता है जो बायोमेट्रिक सत्यापन पद्धति पर कार्य करते हैं। इस बैंक के ज़रिये किसानों के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में रोज़गार स्थापित करने के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। इस बैंक की शाखाएं जिस भी क्षेत्र में हैं वहां सरकार की ओर से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के ज़रिये भी ग्रामीणों को ऋण मुहैया कराई जा रही है।

यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया : इस बैंक के 28 क्षेत्रीय कार्यालय, 1,325 शाखाएं और 29,250 करोड़ रुपये से अधिक के जमाखाते हैं। बैंक का मुख्य कार्यालय कोलकाता में है। कृषकों को प्रदान की जाने वाली वित्तीय योजनाओं की श्रृंखला में यूनाईटेड कृषि लघु परिवहन योजना, यूनाइटेड कृषि सहायक योजना, यूनाइटेड ग्रामश्री योजना, ग्रामीण भंडारण योजना और यूनाईटेड भूमिहीन किसान क्रेडिट कार्ड शामिल हैं।

विजया बैंक : इसकी स्थापना कर्नाटक के कृषक समाज के बीच बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। वर्तमान में, विजया बैंक की 948 शाखाएं, 60 विस्तार काउंटर और 168 एटीएम हैं। बैंक का मुख्य कार्यालय बंगलुरु में है। यह बैंक एक व्यापक वित्तीय योजना प्रदान करता है जो विजया कृषि विकास (वीकेवी) योजना के रूप में जानी जाती है। यह योजना किसानों की समस्त कृषि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरल पैकेज़ प्रदान करता है, जैसे उत्पादन, निवेश ऋण और खपत क्रेडिट। सभी किसान, स्वामी किराया के उत्पादक, पट्टा भूमि कृषक और शेयर क्रॉपर्स इस योजना के पात्र हैं।

सहकारी कृषि बैंक

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) : नाबार्ड की स्थापना वर्ष 1982 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास अधिनियम, 1981 के कार्यान्वयन के लिए की गई थी। यह शीर्षस्थ विकास बैंक है, जिसके लिए कृषि, छोटे दर्ज़े के उद्योग, कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प और अन्य ग्रामीण शिल्पों के संवर्धन और विकास के लिए ऋण की व्यवस्था कराई जाती है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में संबद्ध आर्थिक कार्यकलापों और ग्रामीण क्षेत्रों की समृद्धि को सुरक्षित रखने के लिए भी जिम्मेदार है। नाबार्ड का मुख्य कार्यालय मुंबई में है। नाबार्ड देशभर में अवस्थित 28 क्षेत्रीय कार्यालयों और 336 जिला कार्यालयों के माध्यम से प्रचालन करता है। नाबार्ड के ऋण प्रयोजनों में आयोजना, वितरण और अनुवीक्षण शामिल है। इसमें ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं के लिए नीतियां और दिशानिर्देश बनाना, निर्गमकर्ता संगठनों को ऋण सुविधाएं प्रदान करना, सभी जिलों के लिए क्षमता संबद्ध ऋण योजनाएं तैयार करना और आधारभूत ग्रामीण ऋण के अंतर्वाह की निगरानी शामिल है। नाबार्ड विकास स्वयंसेवक वाहिनी और किसान क्लबों के माध्यम से चुकौती की नीतियों पर लेनदारों के बीच जागरुकता लाता है। नाबार्ड के पर्यवेक्षणीय कार्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों, (शहरी/प्राथमिक सहकारी बैंकों के अलावा) और राज्य कृषि और ग्रामीण विकास सहकारी बैंकों का निरीक्षण करना शामिल है।

बिहार स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लि. (बीएससीबी) : इसकी स्थापना वर्ष 1914 में पटना में की गई तथा इसे 1912 के सहकारी समिति अधिनियम 11 के तहत पंजीकृत किया गया। यह बैंक अपने स्तर से किसानों के सर्वांगीण विकास में लगा हुआ है। इस बैंक के ज़रिये किसानों एवं ग्रामीण उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।

हरियाणा स्टेट को-ऑपरेटिव एपेक्स बैंक लि. (हारको बैंक) : यह बैंक के नाम से जाना जाता है। यह हरियाणा के किसानों, ग्रामीण शिल्पकारों, कृषक मज़दूरों और उद्यमियों को पिछले 35 वर्षों से वित्तपोषित कर रहा है। राज्य स्तर पर इसकी 13 शाखाएं और 2 विस्तार काउंटर हैं, जिलास्तर पर 336 शाखाओं के साथ 19 केंद्रीय सहकारी बैंक हैं तथा पटवारी सर्किल स्तर पर 2,384 छोटे बैंक हैं।

नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट को-ऑपरेटिव बैंकर्स लि. (एनएएफएससीओबी) : इसकी स्थापना सामान्यतया राज्य और केंद्रीय बैंकों के प्रचालनों और विशेषकर सहकारी क्रेडिट के विकास को ध्यान में रखकर 19 मई, 1964 को की गई। एनएएफएससीओबी का मुख्यालय मुंबई में है।

उड़ीसा स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लि. (ओएससीबी) : उड़ीसा स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक का पंजीकरण वर्ष 1948 में उड़ीसा की लघु आवधिक सहकारी ऋण संरचना के शीर्षस्थ बैंक के रूप में किया गया था। यह बैंक प्राथमिक समितियों; ग्रामीण उड़ीसा में वृहद कृषि बहुप्रयोजन समितियों और फार्म सेवा समितियों के विकास में लगा है। यह फार्म ऋण और उत्पादन ऋण प्रदान करता है।

रिपाटरिएट्स को-ऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट बैंक लि. : इस बैंक की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1969 में उन भारतीयों के पुनर्वास के लिए की गई है जिन्हें म्यामां और श्रीलंका से वापस भेजा गया था। यह बैंक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक और पांडिचेरी में कार्यरत है।

पंजाब स्टेट को-ऑपरेटिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक लि. : इसकी स्थापना 1958 में हुई। यह उन 70 प्राथमिक सहकारी कृषि विकास बैंकों में शामिल है, जो किसानों को दीर्घावधि ऋण देते हैं। इसका मुख्यालय चंडीगढ़ में है।

आंध्र प्रदेश स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लि.: इसकी स्थापना 1963 में की गई और इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। यह बैंक अपने सदस्य जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों और प्राथमिक कृषि सरकारी क्रेडिट समितियों द्वारा किसानों को सहकारी क्रेडिट निर्देशित करता है। ❑

(लेखिका स्वतंत्र पत्रकार हैं।
ई-मेल : kusumlata.kathar@gmail.com)

क्या है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग ?

● सुनील कुमार खण्डेलवाल

किसी हत्या का पेचीदा प्रकरण सुलझाना हो जिसमें हत्यारे का सुराग़ सिर्फ़ उसकी त्वचा का छोटा हिस्सा हो या किसी बच्चे के असली माता-पिता की पहचान करना हो तो ऐसे में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग (डीएनए अंगुली छापन) ऐसा साधन है जिससे प्रकरण को आसानी से सुलझाया जा सकता है। इस तकनीक से ग़लती होने की संभावना नगण्य होती है। आज के वैज्ञानिक युग में कई मुश्किलों को हल करने के लिए नये मानवोपयोगी तकनीकों की खोज हो चुकी है, उन्हीं में से एक तकनीक है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। यह जानकर अचरज होगा कि दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति के डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की संरचना अलग-अलग होती है। इसी से दुनिया के हर व्यक्ति की अपनी अलग पहचान है। इस तकनीक का अदालती या आपराधिक प्रकरणों, संबंधों के मामलों, पुराने जीवन को जानने, जैवप्रौद्योगिकी व चिकित्सा विज्ञान आदि में प्रयोग होता है।

● डीएनए प्रिंटिंग की शुरुआत कब हुई और इसकी कार्यविधि क्या है?

डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की खोज यूनिवर्सिटी ऑफ लीकेस्टर, इंग्लैंड के प्रोफेसर सर एलेक जैफ्रीज ने सन् 1985 में की थी। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग को जेनेटिक फिंगर प्रिंटिंग, डीएनए प्रोफाइलिंग, डीएनए टेस्टिंग तथा डीएनए टाइपिंग आदि नामों से भी जाना जाता है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में विशिष्ट प्रकार के डीएनए अनुक्रम का उपयोग किया जाता है जिसे माइक्रोसैटेलाइट कहते हैं। वास्तव में माइक्रोसैटेलाइट डीएनए के छोटे-छोटे भाग होते हैं, जो व्यक्ति विशेष के डीएनए में बार-बार पाए जाते हैं। आदर्श फिंगर प्रिंटिंग बनाने के लिए माइक्रोसैटेलाइट डीएनए ही उपयुक्त होते हैं। इन्हीं माइक्रोसैटेलाइट डीएनए के आधार पर ही व्यक्ति के परिजनों की पहचान की जाती है।

● फिंगर प्रिंट कितने प्रकार के होते हैं?

फिंगर प्रिंट दो प्रकार के होते हैं :

1. पारंपरिक फिंगर प्रिंट
2. डीएनए फिंगर प्रिंट

पारंपरिक फिंगर प्रिंट का चलन काफी पुराना है। जब भी कोई अपराध होता है तो घटना स्थल से अंगुलियों के निशान तलाश किए जाते हैं जिससे कि अपराधी को पकड़ा जा सके। अंगुलियों के ऊपरी भाग पर पाए जाने वाले निशानों को पारंपरिक फिंगर प्रिंट कहते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति की अंगुलियों पर अलग-अलग होते हैं। आजकल इस तकनीक का उपयोग कम किया जाता है क्योंकि अंगुलियों के फिंगर प्रिंट को शल्य चिकित्सा के द्वारा बदला जा सकता है। ऐसा होने से वास्तविक अपराधी को पकड़ना मुश्किल हो जाता है।

एक व्यक्ति की प्रत्येक कोशिका, ऊतक और अंग का डीएनए फिंगर प्रिंट एक जैसा होता है। डीएनए फिंगर प्रिंट द्वारा किसी भी व्यक्ति की पहचान आसानी से की जा सकती है। इस तकनीक की विशेषता यह है कि अभी तक ज्ञात उपचारों द्वारा डीएनए फिंगर प्रिंट को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इससे वास्तविक अपराधी को आसानी से पकड़ा जा सकता है।

● डीएनए का इतिहास क्या है?

डीएनए (डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड) का इतिहास फ्रेडरिक मिश्चर द्वारा किए गए केंद्रक के रासायनिक अध्ययन से प्रारंभ हुआ था। सन् 1868 में वैज्ञानिक मिश्चर ने मवाद कोशिकाओं (श्वेत रक्त कणिकाएं या ल्यूकोसाइट्स) के केंद्रक से फॉस्फोरस युक्त पदार्थ को पृथक कर उसका नाम न्यूक्लिन रखा था। मिश्चर ने आगे के अध्ययन में पाया कि न्यूक्लिन के एक भाग की प्रवृत्ति प्रबल अम्लीय (इसी भाग को हम आज डीएनए के नाम से जानते हैं) तथा दूसरे भाग की प्रवृत्ति क्षारीय होती है। यह क्षारीय भाग प्रोटीन का बना होता है। यही कारण है कि डीएनए प्रकृति में न्यूक्लियोप्रोटीन के रूप में पाए जाते हैं। डीएनए केंद्रक व गुणसूत्र के प्रमुख अवयव होते हैं। डीएनए अपवाद स्वरूप कोशिका के केंद्रक से बाहर भी जीवद्रव्य में मौजूद रहते हैं। जीवद्रव्य में स्थित कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए के अणु पाए जाते हैं।

● डीएनए की रासायनिक संरचना और स्वरूप पर प्रकाश डालें।

डीएनए एक प्रकार के जटिल अणु होते हैं। यह अनेक छोटे-छोटे अणुओं से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। डीएनए न्यूक्लियोटाइड में पेंटोज शर्करा (डीऑक्सीराइबोज), फॉस्फोरिक अम्ल तथा दो प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार प्यूरीन और पिरिमिडीन पाए जाते हैं। डीएनए में प्यूरीन क्षार एडेनीन (ए) और गुवानीन (जी) तथा पिरिमिडीन क्षार साइटोसीन (सी) तथा थाईमीन (टी) होते हैं।

डीएनए की संरचना : जेम्स वाटसन एवं **फ्रांसिस क्रिक** ने सन् 1953 में डीएनए की संरचना का मॉडल प्रस्तुत किया था। इसके लिए उन्हें नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वाटसन एवं क्रिक मॉडल के अनुसार डीएनए

अणु द्विसूत्री और वृहद सर्पिलाकार सीढ़ी की तरह होते हैं जिसके दोनों समानांतर डंडे पेंटोज शर्करा और फॉस्फेट के बने होते हैं। नाइट्रोजनी क्षार (प्यूरीन और पिरिमिडीन) अनुप्रस्थ डंडे बनाते हैं जो प्रधान आश्रय से शर्करा से जुड़े रहते हैं। वस्तुतः न्यूक्लियोटाइड की लंबी कड़ियां आपस में चोटी की तरह कुंडलित रहती हैं। कड़ियों के कुंडलित होने से एक गहरी खाई बन जाती है। कड़ी में एक वर्तन 34 आंगस्ट्राम का होता है तथा प्रत्येक वर्तन में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। दो न्यूक्लियोटाइड की दूरी 3.4 आंगस्ट्राम होती है। नाइट्रोजनी क्षार आपस में हाइड्रोजन बंधों से जुड़े रहते हैं। प्यूरीन क्षार एडेनीन सदैव पिरिमिडीन क्षार थाईमीन से दो हाइड्रोजन बंधों तथा प्यूरीन क्षार गुवानीन सदैव पिरिमिडीन क्षार साइटोसीन से तीन हाइड्रोजन बंधों से जुड़े रहते हैं।

आनुवंशिक सूचना के वाहक : डीएनए पौधे, जंतुओं तथा वायरस की कोशिकाओं में पाया जाता है। यह एक आनुवंशिकी इकाई है, जो पैतृक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। गुणसूत्रों में पाई जाने वाली जीन नामक रचनाएं इन्हीं डीएनए अणुओं का भाग होती हैं, जो किसी जैविक क्रिया या प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। वास्तव में जीन ही जीव के गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित करते हैं। यदि इन जीनों के नाइट्रोजनी क्षारों के व्यवस्था क्रम में थोड़ा भी परिवर्तन हो जाए तो दूसरी पीढ़ी के जीव पैतृक पीढ़ी से भिन्न हो सकते हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि मनुष्य में लगभग 20 से 25 हजार किस्म की प्रोटीन कोडित जीनें होती हैं। प्रत्येक जीन शृंखला में नाइट्रोजनी क्षार युग्म की संख्या निश्चित होती है और एक डीएनए शृंखला में लगभग ढाई अरब नाइट्रोजनी क्षार युग्म होते हैं। डीएनए आनुवंशिक सूचना के वाहक होते हैं, इसके लिए दो प्रमुख प्रयोग किए गए थे, जिनका विवरण इस प्रकार है:

प्रथम प्रयोग सन् 1943 में रॉककेफ्लर के वैज्ञानिकों ओस्वाल्ड टी. एवेरी, कॉलिन मेक्लियाड और मेक्लिन मेक्कार्टी ने किया था। यह प्रयोग न्यूमोनिया के कारक जीवाणु *स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी* (न्यूमोकोकस) पर किया गया था। इसमें न्यूमोकोकस से धनायन प्रवृति के डीएनए को पृथक करके, न्यूमोकोकस के ऋणायन प्रवृत्ति के डीएनए में स्थानांतरित किया गया और यह पाया गया कि उपचारित ऋणायन प्रवृत्ति के डीएनए में स्थायी रूप से धनायन प्रवृत्ति के डीएनए का स्वभाव उत्पन्न हो जाता है, जो पीढ़ी-दर-पीढ़ी स्थानांतरित होता रहता है। उपर्युक्त प्रयोग से वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि डीएनए आनुवंशिक इकाई की तरह कार्य करता है। द्वितीय प्रयोग सन् 1952 में एल्फ्रेड डी हर्षे तथा मारथा चेज ने किया था। इसमें जीवाणुभोजी टी-2 (बैक्टीरियल वायरस) को उसकी परपोषी कोशिका *इश्चेरीकिया कोलाई* के साथ संक्रमित कराया गया। वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन के अंतर्गत पाया कि परपोषी कोशिका *इश्चेरीकिया कोलाई* में प्रवेश कर वायरस की नयी

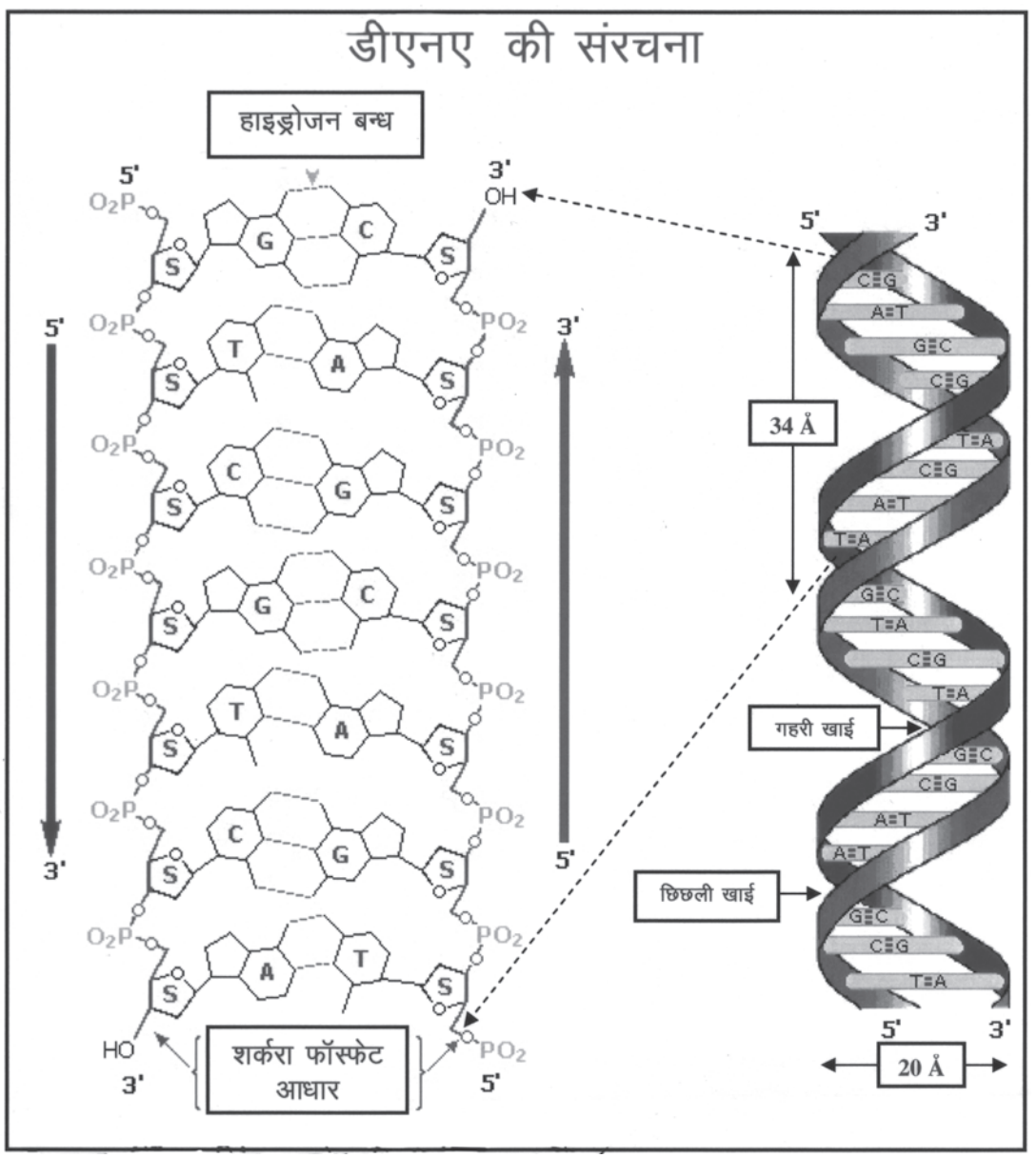

प्रतिलिपियों को आनुवंशिक सूचना संचारित करता है। उपरोक्त प्रयोगों से वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि डीएनए में जीवित कोशिकाओं के लिए आनुवंशिक सूचनाएं संग्रहित रहती हैं। शुरू में इन प्रयोगों को मान्यता प्रदान नहीं की गई लेकिन बाद की खोजों से इन प्रयोगों को सर्वाधिक मान्यता प्राप्त हुई।

● डीएनए फिंगर प्रिंट बनाने की विधि क्या है?

डीएनए फिंगर प्रिटिंग एक प्रयोगशाला विधि है जो कई चरणों के पश्चात पूर्ण होती है। डीएनए फिंगर प्रिंट बनाने की सबसे साधारण विधि प्रतिबंध खंड लंबाई बहुरूपिता (रेस्ट्रिकशन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमोरफिज्म या आरएफएलपी है। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :

- डीएनए फिंगर प्रिंट बनाने के लिए शरीर के ऊतकों या कोशिकाओं से डीएनए प्राप्त किया जा सकता है। डीएनए प्राप्त करने के लिए ऊतक, रक्त, बाल तथा त्वचा की बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है। उदाहरणस्वरूप एक बाल की जड़ से प्राप्त डीएनए की मात्रा उसके विश्लेषण के लिए पर्याप्त होती है।
- डीएनए को टुकड़ों में विभाजित करने के लिए प्रतिबंध किण्वक (रेस्ट्रिकशन एन्जाइम) का उपयोग किया जाता है। प्रतिबंध किण्वक की विशेषता होती है कि वह डीएनए को एक विशिष्ट स्थान से ही काटता है। जैसे बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रतिबंध किण्वक ई. कोलाईआर1 डीएनए को सिर्फ़ जीएएटीटीसी अनुक्रम पर ही काटता है।
- डीएनए को आकार के आधार पर अलग-अलग करने के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक का उपयोग किया जाता है। इसके लिए अगेरोज जेल (जेली जैसा पदार्थ जो कि सीवीड से प्राप्त किया जाता है)

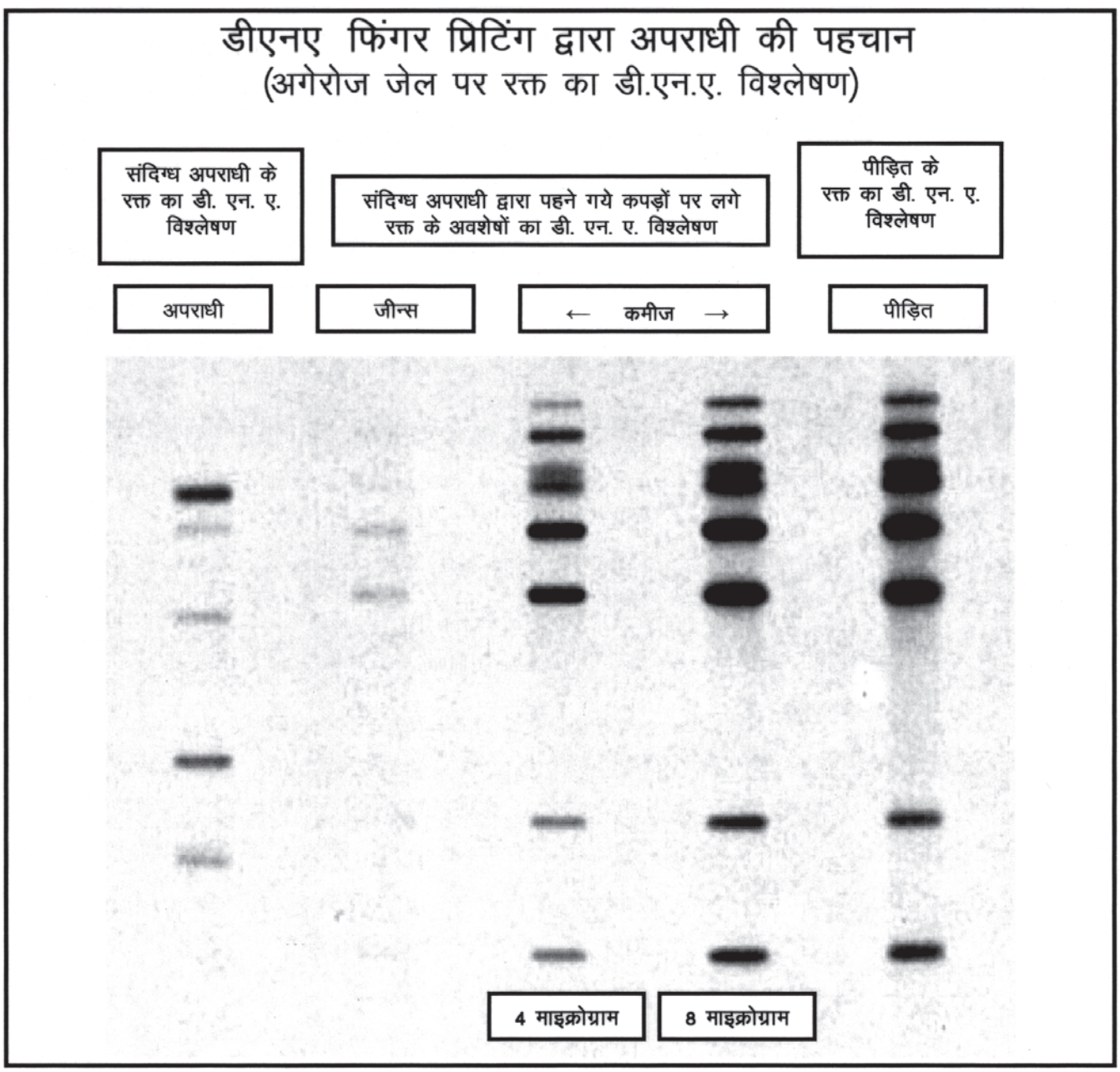

का उपयोग किया जाता है। अगेरोज जेल के निर्माण के समय इसमें कंघी डालते हैं। जेल के जम जाने के बाद कंघी को धीरे से निकाल लिया जाता है। कंघी निकालने के पश्चात जेल पर छोटे-छोटे स्थान स्पष्ट दिखाई देते हैं। इन छोटे-छोटे स्थानों में डीएनए नमूने को डालकर, विद्युत आवेश की मदद से डीएनए का अगेरोज जेल पर गमन कराया जाता है। जेल के ऊपर की ओर ऋणात्मक तथा नीचे की ओर धनात्मक आवेश होता है। डीएनए पर हलका ऋणात्मक आवेश होने के कारण यह नीचे की ओर गमन करता है। डीएनए के छोटे टुकड़े जेल पर अधिक तेज़ी से गमन करते हैं तथा बड़े टुकड़ों की गति धीमी होने के कारण वे जेल के ऊपर की ओर ही रह जाते हैं। इस प्रकार डीएनए के आकार के अनुसार इसके टुकड़ों का जेल पर अलग-अलग स्थान पर गमन होता है।

- तत्पश्चात अगेरोज जेल पर प्राप्त डीएनए का विकृतिकरण ऊष्मा या रासायनिक उपचारों से किया जाता है, जिससे डीएनए एकल रज्जुक में परिवर्तित हो जाता है।
- अगेरोज जेल पर प्राप्त डीएनए के अलग-अलग टुकड़ों को नाइट्रोसेल्यूलोज की परत पर स्थानांतरित किया जाता है। इसके लिए नाइट्रोसेल्यूलोज की परत को अगेरोज जेल के ऊपर एक रात के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके बाद नाइट्रोसेल्यूलोज की परत को 80° सेंटीग्रेड तापमान पर रखा जाता है जिससे डीएनए नाइट्रोसेल्यूलोज की परत पर स्थिर हो जाता है। इस प्रक्रिया को सर्दन ब्लाट कहते हैं।
- सर्दन ब्लाट के विश्लेषण के लिए नाइट्रोसेल्यूलोज की परत पर प्राप्त डीएनए को रेडियोचिह्नित आनुवंशिक अन्वेषी (प्रोब) से संकरित करते हैं तथा मुक्त अन्वेषी को धोकर हटा देते हैं। धोने के पश्चात विशिष्ट प्रकार का डीएनए पट्ट (बैंड) प्राप्त होता है।
- रेडियोचिह्नित डीएनए पैटर्न को सीधे ही एक्स-रे फ़िल्म पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। जब एक्स-रे फिल्म को विकसित किया जाता है तो डीएनए फिंगर प्रिंट प्राप्त होता है जिसको आसानी से देखा जा सकता है। इस प्रकार प्राप्त डीएनए फिंगर प्रिंट से व्यक्ति विशेष की पहचान की जाती है। यह डीएनए फिंगर प्रिंट पंसारी की दुकान पर सामानों पर पाए जाने वाले बार कोड के जैसा ही दिखाई देता है।

● डीएनए फिंगर प्रिंटों का उपयोग किन-किन क्षेत्रों में किया जाता है?

– डीएनए फिंगर प्रिंट समाज के विभिन्न क्षेत्रों के लिए उपयोगी है। डीएनए फिंगर प्रिंट का सर्वाधिक प्रयोग मानव स्वास्थ्य और न्यायिक प्रक्रिया में किया जाता है।

– **जन्मजात रोगों का निदान :** डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का उपयोग जन्मजात रोगों के निदान में किया जाता है। इसके लिए माता-पिता व बच्चे के डीएनए फिंगर प्रिंट का विश्लेषण किया जाता है। ये रोग हैं–सिस्टिक फाइब्रोसिस, हीमोफीलिया, हनन्टिंगटन रोग, पारिवारिक एल्जाइमर्स, सीकल सेल एनीमिया तथा थैलेसीमिया आदि। प्रारंभिक अवस्था में इन रोगों का पता चल जाने पर डीएनए फिंगर प्रिंट की मदद से चिकित्सक द्वारा उचित इलाज करवाकर इन रोगों को नियंत्रित किया जा सकता है।

– **अपराधियों की पहचान :** अपराधियों की पहचान के लिए अपराध स्थल से प्राप्त रक्त के धब्बों, बाल या अपराध के शिकार व्यक्ति से प्राप्त अपराधी के डीएनए (जैसे बलात्कार के मामलों में कपड़ों पर लगे वीर्य के धब्बों से प्राप्त डीएनए) तथा संदिग्ध व्यक्ति के डीएनए फिंगर प्रिंट की तुलना कर यह जाना जा सकता है कि संदिग्ध व्यक्ति ही वास्तविक अपराधी है या नहीं।

हत्या के मामलों में संदिग्ध अपराधी के जब्त हुए कपड़ों पर लगे रक्त के धब्बों तथा पीड़ित के रक्त के डीएनए फिंगर प्रिंट तैयार कर उसका विश्लेषण किया जाता है और उसकी मदद से वास्तविक अपराधियों की पहचान की जाती है।

– **व्यक्तिगत पहचान :** एक व्यक्ति के अंग या ऊतकों का डीएनए फिंगर प्रिंट जीवन भर एक समान होता है। यूएस आर्म्ड सर्विसेज ने अपने सैनिकों के डीएनए फिंगर प्रिंट का संग्रह कर रखा है जिसका उपयोग भविष्य में कभी भी पहचान के लिए किया जा सकता है। जब कभी भी युद्ध के दौरान या अन्य किसी कारण से सैनिक की पहचान नहीं हो पाती है तो डीएनए फिंगर प्रिंट की मदद से उस व्यक्ति विशेष की आसानी से पहचान की जा सकती है।

– **असली माता-पिता की पहचान :** किसी बच्चे के असली पिता की पहचान के लिए बच्चे, उसकी मां एवं उसके संदिग्ध पिता का डीएनए फिंगर प्रिंट तैयार कर उसका विश्लेषण कर यह तय किया जाता है कि उसके असली माता-पिता कौन हैं। बच्चे के डीएनए फिंगर प्रिंट में उपस्थित सभी पट्ट उसके मां या पिता से ही आए होंगे। यदि संदिग्ध पिता के डीएनए फिंगर प्रिंट के पट्ट बच्चे के डीएनए फिंगर प्रिंट के पट्ट से नहीं मिलते तो वह उसका पिता नहीं है और यदि मिलते हैं तो वही बच्चे का असली पिता है। जब कोई बच्चा खो जाता है या माता-पिता से बिछड़ जाता है तो उसके असली माता-पिता की पहचान भी डीएनए फिंगर प्रिंट तकनीक द्वारा ही की जाती है। इस प्रकार माता-पिता की पहचान में डीएनए फिंगर प्रिंट मददगार साबित होता है।

– **अन्य उपयोग :** चिकित्सा के क्षेत्र में आनुवांशिक सलाह एवं अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण (बोनमेरो ट्रांसप्लांट) में दाता कोशिकाओं की आवृत्ति ज्ञात करने में डीएनए फिंगर प्रिंट का उपयोग किया जाता है। अंग प्रत्यारोपण से पूर्व दान दाताओं के अंगों का रोगी से मिलान किया जाता है। जैसे किसी रोगी में लीवर या किडनी का प्रत्यारोपण किया जाना है तो दान दाता और रोगी के डीएनए फिंगर प्रिंट को तैयार कर उसका विश्लेषण किया जाता है कि दान दाता के अंग को रोगी में प्रत्यारोपित किया जा सकता है या नहीं। पशुपालन में पैतृकता सिद्ध करने में, चोरी के पशुओं की पहचान, मारे गए पशुओं की पहचान (अस्थि में उपस्थित डीएनए से) और फसलों की किस्मों के पेटेंट एवं पहचान के लिए तथा सूक्ष्मजीवों के विभेदों आदि की पहचान के लिए भी डीएनए फिंगर प्रिंट का उपयोग किया जाता है। ❑

(लेखक राजस्थान कृषि महाविद्यालय, उदयपुर के आणविक जीव विज्ञान एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग से संबद्ध हैं

ई-मेल : khandelwalsk19@gmail.com)

योगासन और स्वास्थ्य

● पी. डी. शर्मा

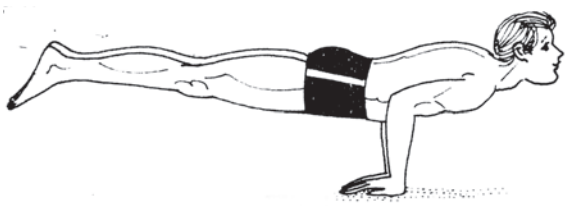

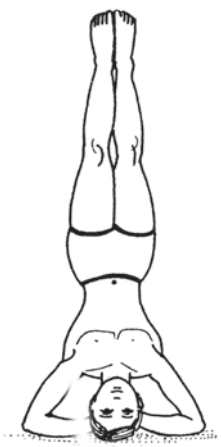

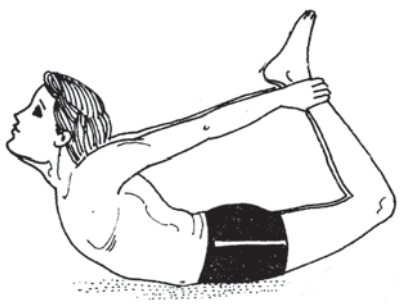

भारतवर्ष में अत्यंत प्राचीन काल से योग-व्यायाम करने की पद्धति प्रचलित है। हमारे ऋषि-मुनियों ने योग के आठ अंग या सोपान की चर्चा की है। यम, नियम आदि का पालन करके आसनों की साधना करने से शारीरिक नाड़ियों की शुद्धि, स्वास्थ्य-वृद्धि एवं मानसिक स्फूर्ति प्राप्त की जा सकती है और इस प्रकार मन को प्रसन्न किया जा सकता है।

योग का तात्विक अर्थ है– आत्मा तथा परमात्मा का मिलन अथवा संधान। आज योग के महत्व को समस्त विश्व ने स्वीकार कर लिया है। इतना ही नहीं, योग विद्या संसार को भारत की बहुमूल्य देन साबित हो चुकी है। हमारे ऋषि-मुनि योग-साधना द्वारा तन, मन और आत्मा की शांति एवं शुद्धि के साथ-साथ परमात्मा की उपासना भी किया करते थे।

योगासन को योग का तीसरा एवं महत्वपूर्ण अंग माना गया है। योगासन अर्थात शरीर के अंतर्बाह्य अंगों को स्वस्थ रखने की क्रियाएं। जब तक हमारे शरीर के अंतर्बाह्य अंग स्वस्थ नहीं होते तब तक हम कोई भी कार्य सुचारू रूप से नहीं कर सकते। स्वस्थ शरीर के महत्व को समझ कर ही हमारे शास्त्रों में *शरीर माद्य खलु धर्म साधनम्* की बात की गई है, जिसके अनुसार स्वस्थ रहकर मनुष्य धर्म, तन तथा विद्या का अर्जन कर सकता है। शरीर और मस्तिष्क का परस्पर बड़ा गहरा संबंध है और यही कारण है कि आज से हज़ारों वर्ष पूर्व यूनानी लोग *स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है* के सिद्धांत में पूर्ण विश्वास करते थे तथा उनकी शिक्षा पद्धति भी इसी सिद्धांत पर आधारित थी।

पातंजल योगदर्शन में आसन को *स्थिर सुखमासनम्* कहा गया है। अर्थात जिस स्थिति में आसानी से बैठकर शरीर स्थिर रहे तथा शरीर एवं मन को सुख प्राप्त हो, उसको आसन कहते हैं। दैनिक शारीरिक क्रियाओं से और भोजन ग्रहण करने से शरीर में जो मलमूत्र और विकार उत्पन्न होते हैं यदि ये नियमित एवं पर्याप्त मात्रा में शरीर से बाहर न निकलें तो शरीर में रोग उत्पन्न हो जाता है। योगासन-पद्धति के द्वारा मलमूत्र आदि विकारों को सरलतापूर्वक शरीर के बाहर निकाला जा सकता है तथा इस प्रकार शरीर को संपूर्णतः निरोगी रखा जा सकता है।

योगासन का महत्व

योगासन पद्धति व्यायाम करने की अन्य पद्धतियों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। इसके निम्नलिखित कारण हैं :

- अन्य पद्धतियों में शरीर के आंतरिक अंगों को योग्य व्यायाम नहीं मिल पाता, जबकि योगासन पद्धति से शरीर के आंतरिक अंगों को पर्याप्त मात्रा में व्यायाम मिल जाता है। फलस्वरूप योगासन से व्यक्ति अधिक समय तक स्वस्थ जीवित रह सकता है।
- योगासन के लिए बहुत अधिक जगह और साधनों की आवश्यकता नहीं होती।
- योगासन व्यक्ति अकेला ही कर सकता है।
- व्यायाम की अन्य पद्धतियों की अपेक्षा योगासन का प्रभाव मन और इंद्रियों पर अधिक पड़ता है। इस कारण मन और इंद्रियों को वश में रखने से व्यक्ति में आंतरिक शक्ति का विकास होता है।
- योगासन के लिए विशेष ख़र्च नहीं करना पड़ता।
- योगासनों के द्वारा शारीरिक विकार भलीभांति बाहर निकाल सकते हैं। इससे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और व्यक्ति रोगमुक्त रहता है।
- योगासनों से शरीर लचीला बनता है, शरीर में स्फूर्ति आती है, काम करने की शक्ति बढ़ती है, व्यक्ति ज़वान लगता है तथा व्यक्ति की आयु बढ़ती है।
- भिन्न-भिन्न आसनों द्वारा शरीर की विभिन्न कोशिकाओं का रक्त शीघ्रता से शुद्ध किया जा सकता है।
- योगासनों और प्राणायाम से फेफड़ों के संकुचन और प्रसरण की शक्ति बढ़ती है। फलस्वरूप रक्त अधिक मात्रा में शुद्ध होता है।

- आयुष्य, यौवन और स्वास्थ्य मेरूदंड के लचीलेपन पर निर्भर है। आसनों द्वारा मेरूदंड को लचीला रखा जा सकता है।
- आसन करते समय बहुत ही कम शक्ति का व्यय होता है। फलतः थकान कम लगती है। यही कारण है कि योगासनों को अहिंसक क्रियाएं कहा जाता है।
- योगासन से मन शांति का अनुभव करता है इस कारण मानसिक शक्ति बढ़ती है और बुद्धि का विकास होता है।
- योगासनों से शरीर की विभिन्न ग्रंथियों को जाग्रत किया जा सकता है जिससे उनमें अपेक्षित मात्रा में रस उत्पन्न होता है। यही रस रक्त में मिलकर शरीर का संतुलित विकास करता है।
- योगासनों और प्राणायाम से कब्ज, वायु (गैस), मधुमेह, रक्तचाप, हर्निया, सरदर्द आदि रोगों पर नियंत्रण रखा जा सकता है।
- योगासनों द्वारा शारीरिक और मानसिक विकास के साथ-साथ बौद्धिक और आत्मिक विकास भी संभव है।
- बड़ी उम्र के स्त्री-पुरुष भी योगासन कर सकते हैं।

योगासनों का पूरा-पूरा लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित बातों का पालन करना हित में होगा :

- योगासन प्रातःकाल शौचक्रिया से निवृत्त होने के बाद करना चाहिए। यदि स्नान करने के बाद योगासन किए जाएं तो और भी अच्छा है, क्योंकि स्नान से शरीर हल्का-फुल्का और स्फूर्तियुक्त बन जाता है।
- योगासन करने का स्थान समतल, स्वच्छ और शांत होनी चाहिए। भूमि पर दरी या आसन बिछाकर योगासन करें।
- योगासन करते समय मौसम के अनुसार पोशाक पहननी चाहिए।
- आसन करते समय बातचीत न करें। यदि आसन एकाग्रता से किए जाएं तो शारीरिक और मानसिक लाभ अधिक होते हैं।
- आसन प्रारंभ करने से पूर्व शवासन करके श्वास, शरीर और मन को शांत करना चाहिए।
- योगासन अहिंसक क्रिया है, इसलिए झटके के साथ या बल-प्रयोग करके कोई आसन न करें।
- योगासनों का अभ्यास धीरे-धीरे बढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से शरीर में लचीलापन उत्पन्न होगा और थोड़े ही समय में सरलता से आसन की पूर्ण स्थिति प्राप्त की जा सकेगी।
- योगासन एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसका संबंध शरीर के अंतर्बाह्य अंगों से है। इसलिए किसी जानकार व्यक्ति से विधिपूर्वक सीखने के बाद ही आसन करना चाहिए।
- आसन करने वाले व्यक्ति को यथासंभव हल्का भोजन करना चाहिए ताकि शरीर हल्का-फुल्का रहे।
- जटिल रोगों में या अधिक ज्वर में आसन न करें।
- महिलाओं को गर्भधारण के चार महीनों के बाद, प्रसूति के बाद तीन महीनों तक और मासिक धर्म के समय आसन नहीं करना चाहिए।
- जिन आसनों से पूरे शरीर का वज़न हाथ के स्नायुओं पर उठाना पड़ता हो ऐसे आसन स्त्री-साधकों को अभ्यास के बाद ही करना चाहिए।
- आसनों की संख्या और उनकी अवधि में धीरे-धीरे वृद्धि करें। पहले ही दिन अधिक आसन करने की कोशिश न करें।
- किसी भी आसन की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक जाते समय और अंतिम स्थिति से प्रारंभिक स्थिति तक आते समय ज़ल्दीबाजी न करें।
- योगासन करने के बाद थोड़े समय के लिए शवासन करें। शवासन एक संपूर्ण आसन है। इससे शरीर की थकावट बहुत जल्द दूर हो जाती है और शरीर में शक्ति का संचार होता है।
- आसन करने के बाद थकावट का अनुभव न हो, शरीर हल्का-फुल्का महसूस हो और कार्यशक्ति बढ़ती जाए तो समझना चाहिए कि योगासन भलीभांति और लाभप्रद ढंग से किए जा रहे हैं।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि योग शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक प्रशिक्षण की संतुलित प्रणाली है तथा योगासनों के नियमित अभ्यास से शरीर को स्वस्थ, सरल, सुलभ और सुंदरतम बनाया जा सकता है। ❑

(लेखक राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त पुस्तक *योगासन और स्वास्थ्य* के रचयिता हैं)

पृष्ठ 22 का शेषांश

साथ देश के पांच हज़ार डाकघरों के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

आसमान छूती महंगाई और फ़र्श से नीचे गई मंदी का गांवों में शुरू की गई राष्ट्रीय रोज़गार गारंटी योजना से सामना करने में बड़ी सहायता मिल रही है। करोड़ों लोगों को रोज़गार मिलने से और उन्हें हेराफ़ेरी से बचाने के लिए मेहनताने की राशि गांवों के बैंकों में ज़मा होने से ग्रामीण और कस्बाई बैंकिंग व्यवसाय को चार चांद लग गए हैं। इसके विपरीत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश अमरीका में ग़हरी जड़ें जमाए और शताब्दी पुराने बैंक लिमैन ब्रदर्स के वर्ष 2008 के मध्य सितंबर में डूब जाने के बाद वहां आई ज़बरदस्त मंदी में पहले 335 बैंक और अगले वर्ष यानी 2009 में 140 बैंक धराशायी हो गए। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के विशाल राहत पैकेज़ के बावजूद मंदी के संक्रामक रोग पर अभी तक क़ाबू नहीं पाया जा सका है। स्थिति में यहां-वहां ज़रूर कुछ सुधार हो रहा है। लेकिन अपने देश में कोई भी बड़ा बैंक असफल नहीं हुआ है। उधर उद्यमशीलता के लिए ख्यातिप्राप्त जापान भी अभी तक मंदी के दलदल से उभर नहीं पाया है। चीन जैसा देश भी महंगाई और मंदी से उभरने के लिए छटपटा रहा है। यूरोपीय देशों की भी हालत ख़स्ता बनी हुई है। वहां और अमरीका में क़ारखानों के पूरी तरह या आंशिक बंद होने के कारण भारत के निर्यात व्यापार को ज़रूर ज़बरदस्त धक्का लगा है क्योंकि अमरीका और यूरोप को हमारा लगभग 60 प्रतिशत निर्यात होता था। मंदी का सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव हमारे निर्यात व्यापार पर ही पड़ता है। अन्य क्षेत्रों में स्थिति क्रमिक रूप से सुधरती-उभरती जा रही है। सरकार के तीन बड़े राहत पैकेज़ों से मंदी से जूझने में बहुत सहायता मिली है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने महंगाई और मंदी से उबरने में सरकार से भरपूर सहयोग कर आदर्श प्रस्तुत किया है। इस केंद्रीय सरकारी बैंक ने पहले महंगाई में बाज़ार से मुद्रा ख़रीदने और दूसरी बार मंदी में नकदी को बाज़ार में डालने की कार्रवाई में कोई कोताही नहीं बरती। उसका यह लचीलापन गत वर्ष वैश्विक वित्तीय संकट से उभारने पर एक यादगार बन गया है। चाहे देश में मंदी की मार हो या महंगाई का प्रहार या फिर सूखे से खेतों में हाहाकार, इन सभी विकट स्थितियों में सहकारी बैंकों की भूमिका भी अग्निशमन दमकलों की सी रही है। ❑

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

रोज़गार समाचार

सत्यमेव जयते

साप्ताहिक

क्या आप सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/कर्मचारी चयन आयोग/संघ लोक सेवा आयोग/ रेलवे भर्ती बोर्ड/सशत्र सेनाओं/बैंकों में रोज़गार तलाश रहें हैं?

रोज़गार समाचार आपका श्रेष्ठ मार्गदर्शक है। यह विगत तीस वर्षों से नौकरियों के लिए सबसे अधिक बिकने वाला साप्ताहिक है। आप भी इसके सहभागी बनें।

आपका हमारी वेबसाइट: *employmenteews.gov.in* पर स्वागत है, जो कि

- नवीनतम प्रौद्योगिकी से विकसित है।
- उन्नत किस्म के सर्च इंजिन से युक्त है।
- आपके प्रश्नों का विशेषज्ञों द्वारा शीघ्र समाधान करती है।

रोज़गार समाचार/एम्प्लाएमेंट न्यूज की प्रति के लिए निकटतम वितरक से संपर्क करें।

व्यापार संबंधी पूछताछ के लिए संपर्क करें :

रोज़गारसमाचार, पूर्वीखण्ड4, तल5, रामकृष्णपुरम, नईदिल्ली।

फोन : 26182079, 26107405, ई–मेल : enabm sa@yahoo.com

प्रकाशन विभाग

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

भारत सरकार

प्रकाशक व मुद्रक वीना जैन, अपर महानिदेशक द्वारा प्रकाशन विभाग के लिये ब्रजबासी आर्ट प्रेस लिमिटेड, ई-46/11, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेस-2, नयी दिल्ली-110 020 से मुद्रित एवं प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सी.जी.ओ. कॉप्लेक्स, लोधी रोड, नयी दिल्ली-110 003 से प्रकाशित। संपादक : राकेशरेणु

Licenced under U (DN)-53/09-11
पंजी सं. 951/57
R.N.951/57

रजि.सं.डीएल (एस)-05/3231/2009-11 तथा डाक व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक में डालने के लिए लाइसेंस-प्राप्त
Reg. No. D.L.(S)-05/3231/2009-11 Licenced to post without pre-payment at RMS, Delhi
26 जनवरी, 2010 को प्रकाशित • 29-30 जनवरी, 2010 को डाक द्वारा जारी

प्रतियोगिता दर्पण

के अतिरिक्तांक

टॉपर्स की नजर में

➡ ....भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मैंने प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक पढ़ा, जो काफी प्रशंसनीय है.
—किरण कौशल
सिविल सेवा परीक्षा, 2008 में हिन्दी माध्यम से सर्वोच्च स्थान

➡ ....मैंने प्रतियोगिता दर्पण के अर्थव्यवस्था के अतिरिक्तांक का गहन अध्ययन किया है. इसका अध्ययन प्रारम्भिक परीक्षा के लिए तो अनिवार्य है ही, इसके माध्यम से अर्थव्यवस्था की भूल अवधारणाओं का प्रामाणिक ज्ञान होता है, जो मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार में भी बेस के रूप में उपयोगी सिद्ध होता है.
—श्वेता सिंघल
सिविल सेवा परीक्षा, 2008 में हिन्दी माध्यम से द्वितीय स्थान

➡ ...प्रतियोगिता दर्पण के अर्थशास्त्र और पॉलिटी के अतिरिक्तांक मैंने पढ़े हैं और इनसे मुझे काफी सहायता मिली. ये प्रारम्भिक और मुख्य परीक्षा दोनों में महत्वपूर्ण हैं.
—नीलिमा
सिविल सेवा परीक्षा, 2007 में हिन्दी माध्यम से महिलाओं में सर्वोच्च स्थान

➡ ....प्रतियोगिता दर्पण के अतिरिक्तांक बहुउपयोगी हैं विशेषकर 'भारतीय अर्थव्यवस्था' तो संग्रहणीय है.
—प्रियंका पालीवाल
म.प्र. पी.एस.सी. परीक्षा, 2005 में सर्वोच्च स्थान

To purchase online log on to
www.pdgroup.in

New Revised & Enlarged Editions

Series-1	Indian Economy	790	210.00
Series-2	Geography (India & World)	793	190.00
Series-3	Indian History	798	110.00
Series-4	Indian Polity	797	125.00
Series-6	General Science Vol. 1	814	90.00
Series-6	General Science Vol. 2	818	65.00
Series-7	Current Events Round-up Vol. 1	819	70.00
Series-12	Indian National Movement & Constitutional Development	812	90.00
Series-15	Indian History–Ancient India	804	110.00
Series-16	Indian History–Medieval India	806	105.00
Series-17	Indian History–Modern India	802	110.00
Series-24	Commerce	805	190.00
प. सीरीज–1	भारतीय अर्थव्यवस्था	791	199.00
प. सीरीज–2	भूगोल (भारत एवं विश्व)	792	140.00
प. सीरीज–3	भारतीय इतिहास	795	120.00
प. सीरीज–4	भारतीय राजव्यवस्था	794	125.00
प. सीरीज–5	भारतीय कला एवं संस्कृति	796	85.00
प. सीरीज–6	सामान्य विज्ञान Vol. 1	829	90.00
प. सीरीज–6	सामान्य विज्ञान Vol. 2	830	75.00
प. सीरीज–7	समसामयिक घटनाचक्र	809	55.00
प. सीरीज–9	वस्तुनिष्ठ सामान्य हिन्दी	822	65.00
प. सीरीज–10	बौद्धिक एवं तर्कशक्ति परीक्षा	825	85.00
प. सीरीज–11	समाजशास्त्र	810	90.00
प. सीरीज–12	भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन एवं संवैधानिक विकास	823	85.00
प. सीरीज–13	खेलकूद	828	130.00
प. सीरीज–14	कृषि विज्ञान	836	110.00
प. सीरीज–15	प्राचीन इतिहास	837	110.00
प. सीरीज–16	मध्यकालीन इतिहास	838	125.00
प. सीरीज–17	आधुनिक इतिहास	839	135.00
प. सीरीज–18	दर्शनशास्त्र	842	80.00
प. सीरीज–19	न्यू रीजनिंग टेस्ट	843	105.00
प. सीरीज–20	हिन्दी भाषा	860	85.00
प. सीरीज–21	संख्यात्मक अभियोग्यता	861	135.00
प. सीरीज–22	राजनीति विज्ञान	866	150.00
प. सीरीज–23	लोक प्रशासन	813	170.00
प. सीरीज–24	वाणिज्य	816	185.00

प्रतियोगिता दर्पण
2/11 ए, स्वदेशी बीमा नगर, आगरा – 282 002
फोन : 4053333, 2530966, 2531101; फैक्स (0562) 4053330
E-mail : publisher@pdgroup.in
दिल्ली ब्रॉच ऑफिस फोन नं. : 23251844/66

YH-2/10/2